(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 10] विधान सभा के दसम् सत्र का पांचवां दिवस [संख्या 4

शुक्रवार

9 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री शंकरलाल।

पाली में कृषि भूमि पर रंगाई व छपाई की फैक्ट्रियां

47. श्री शंकरलाल (पाली) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर व उसके आस पास की कृषि भूमि में कई रंगाई व छपाई की फैक्ट्रियां बिना इजाजत अनधिकृत चलाई जा रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पाली व पंचायत समिति रोहट ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर इन फैक्ट्रियों से कृषि भूमि नष्ट होने व कुएं बेकार हो जाने के कारण इसका हल निकालने का अनुरोध किया था ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी फैक्ट्रियों के विरुद्ध लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 (ए) व 91 के तहत सम्बन्धित तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार धारा 90 (ए) व 91 के तहत निर्णीत मामलों की अपील कलेक्टर न्यायालय में करने का प्रावधान है और दूसरी अपील राजस्व अपीलेट अथोरिटी के समक्ष ?

(5) क्या यह सही है कि पृथक्-पृथक् कानून और नियमों के अन्तर्गत अपीलें किये बिना राज्य सरकार ने बिना कानूनी अधिकारों के तमाम मामलों की कार्यवाही एक साथ स्टे कर दी ? यदि हां, तो क्यों ? और किसके कहने पर ?

(6) इस सम्बन्ध में अब सरकार द्वारा किस कानून के तहत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) :

(1) जी हां।

(श्री मूलचन्द)

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) फैक्ट्रियों के मालिकों के अभ्यावेदन राज्य सरकार को प्राप्त होने पर फैक्ट्रियों को ध्वस्त न करने के आदेश दिये गये हैं।

(6) अनियमित बनी हुई फैक्ट्रियों को हटाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में जिलाधीश से राय मांगी गयी है व साथ ही आवश्यक समझा जाने पर उनसे वैकल्पिक स्थान के बारे में प्रस्ताव भिजवाने हेतु कहा गया है।

श्री शंकरलाल : इन लोगों के प्रार्थना-पत्र पर किस अधिकारी ने यह आदेश दिये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): गवर्नमेन्ट ने।

श्री शंकरलाल : गवर्नमेन्ट का मतलब कौन ? राजस्व अपीलेट अथोरिटी के अन्तर्गत यह होना चाहिये। न तो 91 में अपील कलेक्टर के पास हुई और न ही रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी के पास। किस अथोरिटी के द्वारा यह किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्व विभाग को जो सूचना मिली है वह यह है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने आदेश दिये हैं और डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से आदेशों की प्रति प्राप्त हुई है।

श्री शंकरलाल : तो यह समझा जाय कि यह आदेश इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने दिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री शंकरलाल : इसका उत्तर आप गलत दे रहे हैं क्योंकि इसके अन्दर कलेक्टर ने तहसीलदार के नाम ऑर्डर दिये हैं उसमें यह है :

"Instructions have been received from the Revenue Department that no further action may be taken in the proceedings initiated under Section 90-A and 91 of the Land Revenue Act against unauthorised construction of industrial units on agricultural land, as the representation of the owners of these factories for regularisation is under consideration of the Government.

You are, therefore, to take necessary action in accordance with the above instructions and report compliance."

17 सितम्बर को कलेक्टर ने तहसीलदार को लेटर लिखा उसमें जिक्र किया है कापी भेजी है to the Commissioner & Secretary to the Government, Revenue Department, Rajasthan, Jaipur, with reference to his telephonic instructions dated 16-9-75. Copy to Secretary to Hon. Chief Minister and copy to S. D. O. Pali for necessary action. 16-9-75 को रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट द्वारा ऑर्डर्स दिये गये।

Page No 3

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि रेवेन्यू कमिश्नर ने 91 में कार्यवाही दर्ज नहीं की। इससे पूर्व इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने निर्णय लिया जो कम्यूनिकेट हुआ। बातचीत होने के बाद रेवेन्यू और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट को टेलीफोन पर सूचना दी कि 91 में कार्यवाही नहीं की जाय। माननीय सदस्य कह रहे हैं 91 में एक पर्टीकुलर प्रोसिजर लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित है जिसकी पहली अपील कलेक्टर के पास है और दूसरी राजस्व अधिकारी के पास अपील होती है। उसके खिलाफ यह निर्णय किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं सुबह भी बात कर रहे थे, गवर्नमेन्ट को जो पावर्स हैं, लैंडलेस को डिस्पजेस करने का सवाल है, आज भी राजस्थान में बाड़े और मकान अन-अथो-राइज्ड बना लिये हैं उनके रेगुलेराइजेशन के आदेश 7 जुलाई 71 के दिये हैं उसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने ट्रेस पास जिन्होंने किये हैं उनके रेगुलेराइजेशन किसी कानून के अन्दर नहीं है, तो 162 के अन्तर्गत एक्जीक्यूटिव को पावर्स हैं, एक्स्टेन्सिव हैं जब तक कि 3 आर्टिकल्स को इन्फ्रिन्ज नहीं करता है। 72 तक टिनेन्सी एक्ट नहीं बना था तो उससे पहले जितने भी आदेश दिये गये वह उस कानून की निगाह में सही मान लिये गये। कानून के अन्तर्गत लैंड का प्रश्न है, गवर्नमेन्ट विचार कर सकती है। व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं इसलिये लैंड रेवेन्यू एक्ट में फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाय। उसके साथ ही कलेक्टर को आदेश दिये हैं। जवाब में दिया है कलेक्टर डिप्टी टाउन प्लानर के साथ तमाम एरिया में सर्वे करवा कर कि जो इन्डस्ट्रीज आज वहां पर हैं और लोगों ने लगा ली हैं उनको रेगुलेराइज कर सकते हैं अथवा नहीं, वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 20-12-73 के पहले कन्वर्शन रूल्स में प्रावधान कर दिया गया है, कुछ रेगुलराइज हो सकती हैं जैसा कि पत्र में लिखा है। सबसे बड़ी प्रोब्लम है वह है एफ्लुएन्ट वाटर की। उसको किस प्रकार से किया जाय। राज्य सरकार इस बारे में कार्यवाही कर रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आपने किस कानून के तहत टेलीफोन किया? एक्ट में तो आपने पावर्स दिये हैं और दूसरी तरफ आप टेलीफोन करके कानून का विरोध करते हैं?

श्री शंकरलाल : इस मामले को आप कन्फ्यूज कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत और शिड्यूल के तहत धारा 91 के पीनल क्लाज के मामले हैं। ज्युडिशियल मामले हैं। अलाटमेन्ट के मामले होते हैं तो वे नोन ज्युडिशियल होते हैं। मकराना का इसी प्रकार का मामला आया तो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कह दिया कि ज्यूडिशियल मामले हैं और पहली अपील उसकी कलेक्टर के पास होगी और दूसरी रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी के पास होगी। ज्युडिशियल मामलों में इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट को पावर नहीं है। 91 के मामलों में इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट स्टे आर्डर दे सकता है यह गलत है।

रेगुलेराइजेशन की बात कही तो एग्रीकल्चरल लैंड है और नान एग्रीकल्चरल पर्पज के लिये उसको काम में लेना है तो रूल्स बने हुए हैं। कलेक्टर, और नगरपालिकाओं को रेगुलराइज करने के पावर्स

(श्री शंकरलाल)

है। उसके अन्तर्गत दिसम्बर 73 तक जिनके कब्जे थे उनको रेगुलराइज करने के संबंध में म्यूनिसिपैलिटी की सलाह से किया है। इसलिये इस प्रकार के 91 के जो पीनल चार्ज के मामले हैं उनको स्टे दे दिया गया है यह गलत है। मैं यह मांग करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय बतायें कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट का स्टे आर्डर किस तारीख का है और किस अथोरिटी ने पास किया है और किसकी दरख्वास्त पर किया है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इल्लीगल अवेक्शन को जस्टिफाई करने का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : 20 दिसम्बर 73 को अमेन्डमेन्ट किया गया है। अमेन्डमेन्ट यह है इससे पूर्व कोई इन्डस्ट्री बिना परमिशन के एग्रीकल्चर लैंड पर खड़ी कर दी गयी है तो उस लैंड का कन्वर्जन कर दिया जावेगा।

श्री शंकर लाल : The conversion of land is done by the Collector or the Appellate Authority and not by the Industries Department.

श्री परसराम मदेरणा : 85 मामले पेन्डिंग पड़े हैं उनका डिस्पोजल किया गया है जैसा आप कह रहे हैं कुछ मामले उन रूल्स में रेगुलेराइज कर दिये गये हैं। कितने मामलों के किये हैं और कलेक्टर व नगरपालिका को अधिकार था उसके अनुसार कर दिया····

श्री शंकर लाल : मैं उसी की बात कर रहा हूं····

श्री परसराम मदेरणा : रेगुलेराइजेशन रूल्स का जिनका मैं हवाला कर रहा हूं नान एग्रीकल्चरल रूल्स अप्टूडेट अमेन्डेड हैं, उन्हीं के अन्तर्गत कलेक्टर को रेगुलराइज करने के अधिकार हैं। पहले कम भूमि पर अधिकार थे लेकिन इस एक्ट से 10 एकड़ भूमि पर-बारानी और चाही के अभी भी सरकार के पास अधिकार है। वहां पर भूमि चाही है बारानी भी है और अन-एग्रीकल्चरेबिल भी है। इसलिये कलेक्टर को रेगुलराइज करने के आदेश नहीं हैं। हमने यह आदेश दिये हैं। जो फैक्ट्री डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं उसको भी यह कहा जा रहा है कि दूसरी जमीन वह पसन्द करते हैं। टाउन प्लानर से स्कीम बना ले-कोई जगह खाली है या नहीं, यह देख लें, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने भी मूव कर रखा है उसको सर्वे करके वस्तु स्थिति से जानकारी दें। इसलिये हमने रेगुलेराइज नहीं किया है, केवल स्टे आर्डर है। राजस्थान सरकार के एक्जीक्यूटिव आर्डर सिवाय चक जमीन पर, चरागाह भूमि पर, बंजर भूमि पर जहां-जहां ट्रेसपास हुये हैं सरकार ने जनहित की दृष्टि से आदेश दिये हैं···

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका मतलब यह हुआ कि कोई ट्रेसपास करे तो रेगूलेराइज नहीं किया जाय···

श्री परसराम मदेरणा : यह तो शहरी क्षेत्र में भी 21 अगस्त, 1971 से पहले जिसने भी मकान कैसी भी भूमि पर बना लिये हैं वह रेगूलेराइज कर दिये। इसलिये जुडिशियल मैटर का मामला खड़ा नहीं होता है। माननीय सदस्य का लीगल इन्टरप्रिटेशन कान्फ्यूज्ड मालूम पड़ता है।

Page No 5

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर 1971 में पाली शहर में छोटे-छोटे आदमियों को हटा दिया गया है। पूंजीपतियों की एक फैक्ट्री हटे तो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। क्या गवर्नमेंट बता सकती है कि कौनसे आर्डर से यह किया है? आप आर्डर की कापी बता दीजिये किस कानून के तहत यह हुआ है। आप समझते हैं यह गैर कानूनी नहीं हुआ है यह बहुत बड़ी भ्रान्ति है। आपको मालूम है मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था और उसकी प्रतिलिपि आपको भी दी थी। वहां कांग्रेस संगठन, लेबर यूनियन्स ने जगह-जगह तार दिये हैं। पूंजीपतियों की अनधिकृत फैक्ट्री है जिससे सारे शहर को नुकसान हो रहा है और उससे हजारों बीघा जमीन बेकार हो गई है। लेकिन बेचारे गरीब हैं वे बोल नहीं सकते हैं। गरीबों को, मुआवजे की बात करते हैं वह भी नहीं दिया जाता। पंचायत ने रिजोल्यूशन पास किया है। दूसरों की फैक्ट्री तो हट जाती है—कन्फ्यूज तो आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कोई पावर्स नहीं है। कलेक्टर और म्यूनिसिपैलिटी करती है। मैं चैलेंज करता हूं—इस बात के लिये, किस कानून के तहत है, आप मुझे बता दीजिये। जबरदस्ती लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है। तहसीलदार के जरिये आपने ऐसा एक भी आर्डर पास कराया है? और जब कहते हैं तो जवाब मिलता है कि कलेक्टर के पास जाइये, रेवेन्यू आथोरिटी के पास जाइये। आप जैसे मंत्री होकर भी सही चीज क्यों नहीं रखते हैं। आप कहिये, किसने आर्डर पास किया है? किस आथोरिटी ने यह आर्डर दिया है उसका नाम बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने निवेदन किया किसी भी पूंजीपति के पक्ष में कोई निर्णय लेने का प्रश्न नहीं है। वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय के बनने के बाद दिसम्बर, 1973 में जब पाली गये तो आपने पब्लिक मीटिंग में यह ऐलान करवाया था कि यह रैगुलेराइज होगा...

श्री शंकरलाल : उसके बहुत तो हो गया, दिसम्बर 73 से जो फैक्ट्री पहले बनी हुई थी वह रूल्स के अनुसार थी बरकत साहब चीफ मिनिस्टर थे और दिसम्बर 73 के बाद कोई भी फैक्ट्री बनेगी, हम हटा देंगे और यह फैक्ट्री उसके बाद में बनी हुई है। रूल्स के तहत नहीं आती है...

श्री परसराम मदेरणा : दिसम्बर, 73 के बाद तो आप स्वयं चाहते थे। उसके बाद जो फैक्ट्री बनी हुई है...

(व्यवधान, अस्पष्ट)

श्री शंकर लाल ; The factories stayed are not covered under the rules.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय जो स्टे आर्डर दिया गया है इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने इसलिये दिया है और मुख्य मंत्रीजी के सामने भी यह प्रश्न आया। उन्होंने इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को आदेश दिया तारीख कौनसी है, वह फाइल अभी मेरे पास नहीं है और मेरे डिपार्टमेंट की बात नहीं है सन् 1971 में जो कम्यूनिकेट किया था उसको कम्यूनिकेट करने के बाद फाइल को भेजा था इसलिये यह कहना रेवेन्यू डिपार्टमेंट पिक्चर में नहीं है, गलत है

Page No 6

(6)

(श्री परसराम मदेरणा)
इसलिये साइट का प्रश्न बल करना कि कहां पर जमीन ईयर मार्क करनी चाहिये और किसको देनी है फारेस्ट डिपार्टमेंट को देनी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देनी है है, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देनी है, हमने पहले लिखा है। यह बात बहुत बाद की है, जून 75 में लिखा है कि इस तरह का मामला है। आपकी क्या राय है इसलिये अब जो कुछ हो रहा है वह सर्वे कर रहे हैं, रेगुलेराइज नहीं कर रहे हैं केवल यह कि इन यूनिट्स को कहां पर लगाना चाहिये उसको साइट देनी चाहिये। टाउन प्लानर और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट सर्वे कर रहा है और कलेक्टर अपने कमेन्ट्स के साथ भेजेगा आया उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है। खेती की भूमि को नुकसान नहीं हो, यह प्रश्न भी सर्वे कर रहे है इसलिये सर्वे आने के बाद रेगुलेराइज कलेक्टर करेगा लेकिन रिकमन्डेशन करते हैं इसके लिये सेट अपार्ट करनी चाहिये और क्वेश्चन यह भी है कि आबादी की भूमि में····

श्री रघुनाथ विश्नोई : गवर्नमेंट स्टे आर्डर जारी कर सकती है क्या ?

श्री शंकर लाल : कौनसे कानून के तहत कर सकती हैं, यह बतायें····

(व्यवधान प्रश्नकर)

श्री परसराम मदेरणा : पब्लिक परपज के लिये गवर्नमेंट जहां फील करती है नेशनल प्रापर्टी है वेल्थ है तो उसको डिमालिश करके नुकसान नहीं किया जाय, इस प्रकार का गवर्नमेंट स्टे आर्डर दे सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय प्रश्न का पूरा जवाब तो आया ही नहीं है···

श्री अध्यक्ष : आपका मसला कानूनी मसला है, कौन सही है, कौन गलत है यहां फैसला नहीं हो सकता है। आगे की रैमेडी का इलाज करें अब तो।

श्री शंकर लाल : सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय आर्डर किसने दिया, कब दिया और किस स्थिति में दिया। 73 के बाद रेगुलेराइजेशन के रूल्स बने हुये हैं ऐसी कौन-सी बात आ गई थी। कलेक्टर के पास जा सकते हैं, यहां पर क्यों ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहन राज !

बाली क्षेत्र में एनिकट्स की मरम्मत का कार्य

48. श्री मोहन राज (बाली) : क्या सहायता एवं राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षाकाल में बाली क्षेत्र के आदिवासी इलाके में पिछले वर्ष अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बने छोटे सिंचाई बांध (एनिकट्स) अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि यदि इन एनिकट्स को शीघ्र दुरुस्त न कराया गया तो न केवल आर्थिक हानि होने की सम्भावना है वरन इनका कोई उपयोग नहीं होगा और सारा व्यय अनुत्पादक हो जायेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार इनकी मरम्मत का कार्य शीघ्र हाथ में लेने हेतु कदम उठायेगी ?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाब सिंह शक्तावत): (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) वित्तीय साधन उपलब्ध होने की दशा में अन्य कार्यों के साथ इनकी मरम्मत का काम भी हाथ में लिया जायगा।

श्री मोहन राज: अध्यक्ष महोदय ये ऐसे काम हैं जिनके लिये तुरन्त वित्तीय साधन जुटाकर काम करवाया जाय। प्रश्न एक और दो में जो मैंने संकेत दिया है कि यह सारे के सारे छोटे-छोटे एनीकट्स आदिवासी इलाकों में हैं और उनकी मरम्मत का काम शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो जो कार्य किये गये हैं उनका ही नुकसान नहीं होगा बल्कि थोड़ा बहुत उनको खेती बाड़ी में जो कुछ फायदा हो सकता है वह भी रुक जायेगा। इसलिए जो भी सहायता इसके मुतल्लिक तत्काल दी जायेगी वही कामयाब होगी इसके मुतल्लिक मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को शीघ्र करवायें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा प्रश्न के भाग (3) में निवेदन किया कि वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर अन्य कार्यों के साथ इसको भी लिया जायेगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस वर्ष अकाल की गम्भीरता की वजह से राजस्थान सरकार ने अपने निजी साधनों से 10.19 लाख रुपये के अलावा भी 18 करोड़ और खर्च करने पड़े इसके साथ ही साथ बाढ़ भी आ गयी और इसकी वजह से राजस्थान में 17 करोड़ का नुकसान हुआ है और 17 करोड़ के कामों को एक साथ हाथ में लेना सम्भव नहीं है। हमने भारत सरकार को निवेदन किया तो भारत सरकार ने केवल हमें 2 करोड़ 50 लाख रुपया बाढ़ग्रस्त कार्यों को क्षतिपूर्ति के लिए दिया है। लेकिन जो धनराशि दी गयी है उन्होंने इसके लिए ईयर मार्क कर दिया है कि 2 करोड़ रुपया तो सड़कों में खर्च किया जायेगा और 50 लाख रुपया इर्रीगेशन के कामों में किया जायेगा। लेकिन काम वही हाथ में लिये जायेंगे जो कि योजनाओं के तहत स्वीकृत हैं और फ्लड में नुकसान हुआ है।

माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह अकाल राहत के तहत एनीकट्स के संबंध में है और वह योजना के कार्य नहीं हैं। इसलिए जो धनराशि अभी मिली है उस राशि से तो इस काम को हाथ में लिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट,

श्री मूलचन्द सामरिया!

दौसा में राजकीय कन्या सेकेण्डरी स्कूल का भवन

49. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दौसा में राजकीय कन्या सेकेण्डरी स्कूल के भवन की व्यवस्था ठीक है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिए पर्याप्त भवन की व्यवस्था करेगी?

(2) यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

Page No 8

(8)

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जाकिर हुसन): (1) पूरी तरह सन्तोषजनक नहीं है। यथासम्भव जन सहयोग के आधार पर इसकी व्यवस्था की जायेगी।

(2) भवन निर्माण के लिए जन सहयोग प्राप्त करने हेतु स्थानीय व्यक्तियों की एक समिति बनाई जा चुकी है।

श्री मूलचन्द डागरिया: जगह अपर्याप्त है इसको सरकार ने अपने पहले के प्रश्नों के जवाब में माना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जवाब दिया जा रहा है पर्याप्त है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस जगह कन्याशाला है वह ऐसी जगह है कि जहां चारों तरफ आबादी बसी हुई है और वहां पर लेट्रीन वगैरह और गन्दगी है जहां कि साधारणतया आदमी बैठ भी नहीं सकता और बिलकुल सफोकेटेड जगह है। जब भी शहरों के अन्दर कालेज और यूनिवर्सिटी बनती हैं तो जन सहयोग की बात नहीं आती और जब भी छोटी जगह गांवों आदि में बात आती है तो जन सहयोग की बात आती है। हम बराबर का टैक्स देते हैं और दौसा कन्याशाला की जमीन बिलकुल नरक में है। उसको अच्छी जगह नहीं बना सकते हैं तो जन सहयोग की राशि मुकर्रर कर दें कि इतनी राशि की आवश्यकता होगी और इसका निर्माण कब तक करा देंगे?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए 7 बीघा 3 बिस्वा जमीन आवंटित कर ली गई है और यह लालसोट रोड पर है और वहां पर भवन बनाना है। तो उसके लिए एक समिति बना दी है। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी इस काम के लिए चन्दा दिलायें और भवन बनवाने में सहयोग दिलायें और जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग अगर भवनों पर अपनी तरफ से पैसा खर्च करे तो राजस्थान का पूरा बजट इसमें ही खर्च हो जाये। इसलिए आपको मालूम होगा कि हमारे देश की प्रधान मंत्री ने भी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा था कि जहां भवन का प्रश्न है अगर अच्छे और खूबसूरत भवन नहीं हों तब भी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और इसमें हमारा ज्यादा विश्वास है।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में महिला शिक्षा का औसत बहुत कम है और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ न कुछ प्रावधान इन स्थितियों के लिए करना ही पड़ेगा और हमारी प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि महिला शिक्षा का औसत बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए सरकार को पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और जहां तक जन सहयोग का प्रश्न है मुझे दुःख है कि स्कूल और कालेजों के लिए जन सहयोग मिल जाता है और कन्याशालाओं के लिए जन सहयोग बिलकुल नहीं मिलता है।

श्री खेतसिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह निवेदन है कि जहां तक बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न है यह सही है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं और इसके लिए मुझे अफसोस भी है। हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में अन्य राज्यों के मुकाबले में बालिका शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। जहां

(श्री खेतसिंह)
तक पैसे का प्रश्न है आम तौर पर चाबी स्त्रियों के पास रहा करती है इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप भी दौसा में प्रयत्न कीजिए कि जिससे चन्दा आये और हम बालिका शाला का भवन बना सकें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगाराम!

बाड़मेर जिले में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कार्य

50. श्री गंगाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किस किस जिले में डाइरेक्टर प्रोजेक्ट (डी.पी.ए.पी.) के पदों की स्थापना की जा चुकी है व अब तक स्टाफ पर कुल कितना व्यय किया जा चुका है तथा इन क्षेत्रों में इसी मद में विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गयी है?

(2) बाड़मेर जिले में डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी राशि किस कार्य हेतु व्यय की जानी है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) राजस्थान के जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में प्रोजेक्ट डाइरेक्टरों (डी.पी.ए.पी.) के पदों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 1974-75 में संस्थापन व्यय (एजेन्सी एण्ड एक्सक्यूशन) 2 लाख रुपया था व वर्ष 1975-76 में सितम्बर, 75 तक 1.83 लाख था। सूखा संभाव्य क्षेत्र में वर्ष 1974-75 में विकास व्यय की राशि 290.62 लाख रुपये व वर्ष 1975-76 में सितम्बर 75 तक विकास व्यय की राशि 144.10 लाख रुपये है।

(2) बाड़मेर जिले में सूखा सम्भाव्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में निम्नलिखित व्यय का प्रावधान है :—

		लाख रुपये
1.	कृषि कार्यक्रम	2.00
2.	भू-गर्भ जल विकास	10.00
3.	पशु एवं दुग्ध विकास	29.25
4.	सिंचाई	0.43
5.	वन विकास	6.00
6.	संस्थापन व्यय	2.48
7.	अन्य	0.08
	योग	50.24

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपया जो इस वर्ष का निर्धारित है इसमें से कितनी राशि 31 मार्च तक व्यय की जा सकेगी क्या मंत्री महोदय इस संबंध में प्रकाश डाल सकेंगे?

श्री शिवचरण माथुर : कोशिश यही होगी कि पूरी की पूरी राशि व्यय हो जाये और मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए खास तौर से कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में मोटे तौर पर हमने अब की बार डेयरी प्रोग्राम को हाथ में लिया है और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि बालोतरा में जो चिलिंग प्लान्ट है वह करीब करीब तैयार हो गया है और किसी

Page No 10

(10)

(श्री शिवचरण माथुर)

भी समय शुरू कर सकते हैं। उसका मिल्क कलेक्शन का काम भी शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ी रकम आपने देखी होगी कि 29.25 लाख रुपया डेयरी पर है जिसकी काफी रकम खर्च हो गयी है और जितनी बाकी बची हुई राशि है वह भी कोशिश कर रहे हैं कि डी.पी.ए.पी. में इन्फ्रा स्ट्रक्चर का काम जम गया है और पूरी राशि को खर्च कर सकेंगे, ऐसी आशा है।

श्री गंगाराम चौधरी : पशुपालन और भेड़ पालन और फारेस्ट के कार्यों में अब तक क्या योजनायें तैयार हो गयी हैं? नहीं हुई तो कब तक हो जायेगी?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। क्या नागौर जिले की इस संबंध में कोई योजना बनी है? बनी है तो किस रूप में है और अब तक उसमें कितना खर्च हो चुका है?

श्री शिवचरण माथुर : नागौर जिले की योजना है लेकिन कितना खर्च हो चुका है यह अलग से प्रश्न पूछ लें जवाब दे दिया जायेगा मैं आपको बता दूं कि नागौर और जोधपुर में वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रोग्राम बनाया जा रहा है और नागौर जिले में सबसे अधिक पैसा खर्च होने वाला है और जिलों में तो 4।। करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन अकेले नागौर में 6 करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्री दीपंकर : कौन से मद में खर्च होगा?

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : मुझे भी एक प्रश्न पूछना था।

श्री अध्यक्ष : हां पूछिये। आपको कैसे ना किया जाये।

श्रीमती मदनकौर : चीलिंग प्लांट के सम्बन्ध में अभी तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें से जैसा मैंने निवेदन किया मोटे तौर पर चीलिंग प्लांट पर जो खर्च हुआ है....

श्रीमती मदन कौर : मोटे तौर से नहीं, बारीक तौर से आप से चाहेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : बारीक तौर से भी बतला सकता हूं।

श्रीमती मदन कौर : वही बताइये।

श्री शिवचरण माथुर : कुल मिला कर 25 लाख 24 हजार अभी तक खर्च हो चुका है चीलिंग प्लान्ट पर और जोधपुर की जो मेन डेयरी है जो कि मदर डेयरी है चीलिंग प्लान्ट की उसमें और यह जोधपुर बाड़मेर और जैसलमेर तीनों की एक एक डेयरी और मदर डेयरी सब पर मिला कर यह खर्चा हुआ है। सारा खर्चा इसमें शामिल है।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल!

राजस्थान पुलिस द्वारा स्टेट लाटरी के टिकिट बेचने का निर्णय

51. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान पुलिस वेलफेयर फण्ड में राजस्थान स्टेट

Page No 11

(11)

(श्री मीठा लाल मीणा)
लाटरी से कुछ प्रतिशत प्राप्त करने का तय करके राजस्थान पुलिस ने राजस्थान स्टेट लाटरी के टिकिट बेचने का निर्णय किया है ?

(2) यदि हां, तो राजस्थान पुलिस का कितना हिस्सा कितने प्रतिशत है ? क्या पुलिस ने टिकिट बेचने का कार्य जिलेवार कोटा तय करके किया है ?

(3) क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा टिकिट बेचने में लोगों के ऊपर नाजायज दबाव भी डाले हैं ? क्या राज्य सरकार को इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) यह सच है कि राजस्थान पुलिस वेलफेयर फण्ड में राजस्थान स्टेट लाटरी के 58 वें ड्रा के लिए राजस्थान पुलिस ने राजस्थान स्टेट लाटरी के टिकिट बेचने का निर्णय लिया है ।

(2) स्टेट लाटरी के टिकिट पुलिस विभाग द्वारा बेचने का कोई प्रतिशत तय नहीं हुआ बल्कि पुलिस द्वारा कुल बिक्री पर इनाम की रकम व खर्चा बाद में देकर शेष राशि राजस्थान पुलिस वेलफेयर फण्ड के लिए उपलब्ध होगी । लाटरी के टिकिट जिलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित जिलों में किए गए हैं ।

(3) जी नहीं । राज्य सरकार को इस बारे में दो शिकायतें प्राप्त हुई ।

श्री मीठालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरकार जैसे टैक्स लगाये, जिस पर चाहे टैक्स लगाए, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे, जैसे चाहे वसूल करे । राज्य सरकार चाहे तो गद्दे पर टैक्स लगा सकती है, जैसे चाहे लाटरी के जरिये रुपया इकट्ठा कर सकती है । अगर हम कहेंगे तो उसका कोई मायने नहीं है····

श्री जय किशन लाल तोसावडा (फागी) : और कहेंगे तो अन्दर चले जायेंगे ।

श्री मीठालाल मीणा : लेकिन जिस प्रकार से लाटरी के टिकिट बेचने का तरीका अपनाया गया है, जैसे अगर किसी बूढ़े के हाथ में लाठी दे दें तो कोई डर नहीं है लेकिन अगर जवान के हाथ में दे दें तो उसकी क्या स्थिति होगी । एक गंवार के हाथ में बन्दूक दे दें तो वह कुछ नहीं कर सकता है लेकिन अगर चलाने वाले के हाथ में बन्दूक दे दें तो क्या स्थिति होगी । यह आप लोगों के जरा सोचने की बात है । आपने सब जिलों के लिए जिलेवार कोटा निर्धारित कर दिया लाटरी का । पुलिस का प्रतिशत भी तय नहीं किया कि खर्चा निकाल कर, इनामें निकालने के बाद कितना उनको देंगे । जिलेवार आपने जो कोटा निर्धारित किया है वह किस आधार पर किया है और हर जिलेवार कितने 2 टिकिट अब तक लाटरी के टिकिट बिके हैं । आपके पास दो शिकायतें आई हैं वह तो ठीक है लेकिन सी. आई. डी. के जरिये आपके पास क्या रिपोर्ट आई है यह बतायें ।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय····

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : एक मिनिट । एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं । क्या

(श्री पी. के. चौधरी)
सरकार पुलिस के तौर से लाटरी के टिकिट बिकवाना उचित मानती है ? क्या सरकार यह उचित मानती है कि पुलिस के जरिये लाटरी के टिकिट बेचना, पुलिस के जरिये से चन्दा इकट्ठा करना, पुलिस के जरिये से स्माल सेविंग का फण्ड इकट्ठा करना, यह कहां तक उचित समझती है, यह बता दीजिए ?

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। पदमपुर थाने के द्वारा चालीस हजार रुपये के टिकिट बेचे गये हैं और आबकारी विभाग ने भी टिकिट दिए हैं। हर शराब की बोतल के साथ एक रुपये का टिकिट बेचते हैं। और दुकानदारों को भी टिकिट दिए हैं पदमपुर की मण्डी में हर दुकानदार जो चार रुपये का सौदा देगा, चार रुपये की मिर्ची भी देगा तो एक रुपये का टिकिट लेना होगा उस खरीदने वाले को। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति क्या है और क्यों इतनी सख्ती से वसूली की जा रही है। आज थानों के अन्दर काम बन्द पड़ा हुआ है। कत्ल हो गया तो उसकी जांच नहीं होती लेकिन टिकिट बेचने के लिए थानेदारों को वहां थानों से गैर हाजिर रहना पड़ रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार 20 लाख रुपये के टिकिट इस साल इस तरह से बेचे जा रहे हैं, यह कहां तक सच है ?

श्री दलपतसिंह (सारची) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न· ·

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय· ·

श्री दलपतसिंह : एक प्रश्न मेरा भी सुन लीजिए। क्या यह सच है कि जिन आदमियों ने खास तौर से पुलिस जिनके खिलाफ तफतीश कर रही है उन्होंने ऐसे टिकिट खरीदे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। क्या यह सही है कि पुलिस ने उन्हीं लोगों को ज्यादातर टिकिट बेचे हैं जो रिपोर्ट करने आते हैं या पुलिस की तफतीश में जिनके केसेज हैं। या जो दूध बेचने वाले हैं उनको 11-11) रु. के टिकिट बेचे हैं या ऊंट गाड़ियों वाले लोगों को पांच-पांच रुपये के टिकिट दिए हैं। उनमें से किसी ने मना किया तो पुलिस ने एक्शन लिया है उनके खिलाफ में। जो-जो पावर फुल डिपार्टमेंट हैं जिनके सामने कोई भी मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता ऐसे डिपार्टमेंट्स के द्वारा सरकार द्वारा टिकिट बिकवाना, लाटरी के टिकिट बिकवाना कहां तक उचित है। जो जनता को भयभीत करते हैं, बाई फोर्स करके जनता को टिकिट बेचे हैं इसको सरकार कहां तक उचित समझती है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पुलिस विभाग ने सरकारी तौर पर लाटरी के टिकिट बेचने के बाबत में एक फैसला किया किन्तु इसका फैसला पुलिस के आई. जी. के लेवल पर हुआ ऊपर के लेवल पर यह फैसला नहीं किया गया था। मैं इसके खिलाफ हूं कि पुलिस के मार्फत इस प्रकार का कोई भी कलेक्शन किया जाय। न केवल इसके बल्कि पटवारी के मार्फत भी कलेक्शन करने के खिलाफ हूं। क्योंकि गांवों में अथवा अन्य क्षेत्रों में जहां

(श्री हरिदेव जोशी)

पर ऐसे किसी आदमी का मुलाहिजा तोड़ा नहीं जा सके ऐसे लोगों से इस प्रकार का कलेक्शन का काम कराना डिपार्टमेंटों में उचित नहीं मानता हूं। मैं इस प्रकार के विचारों का हूं और इसीलिए जैसे ही यह मेरी जानकारी में आया, मेरे पास एक चिट्ठी आई अजमेर से उस समय तक मैंने इसको गम्भीरता से नहीं लिया था और इसको भेज दिया मगर जवाब आने पर जब मैं दौरे से वापिस आया, उस दौरान में जब मैं दौरे पर गया तो मुझे मालूम हुआ कि ट्रक वालों से, ऊंट वालों से और उनको पुलिस वाले रोक कर टिकिट दे रहे हैं। मैंने यहां आते ही इन सारी चीजों को बन्द कर दिया। यह पुलिस बेनेवलेन्ट फण्ड के लिए कलेक्शन किया जा रहा था या किसी डिपार्टमेंट के लिए उसका कलेक्शन नहीं था इसमें आई. जी. पी. ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किया था उसमें क्लीयर यह लिखा था कि किसी को मजबूर नहीं करके, अपने गुड आफिसेज को यूज करते हुए जितने स्वेच्छा से ले सकें, उतने सेल करना चाहिए। फिर भी ऐसा लगता है कि निश्चित तौर से इसमें कुछ जगह पर ज्यादती हुई है, परसूएशन दूसरी बात थी लेकिन दूसरे भी तरीके अख्तियार किए गए हैं जो अनफोर-चूनेट हैं। इसीलिए इसको तुरन्त रोक दिया गया है और पुलिस विभाग आयन्दा जब तक कि वे गवर्नमेंट का एप्रूवल न ले लें इस प्रकार के किसी काम में हाथ नहीं लगावें यह आदेश दे दिए गए हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या आप माननीय मुख्य मंत्रीजी···

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह दूं पहले। आज ही आदेश देंगे कि इसको बन्द कर दिया जावे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : आज ही आदेश देंगे कि इसको बन्द कर दिया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : बन्द कर दिया है। सारे जिलों के लिए एक करोड़ का टार्गेट बनाया गया था कि एक करोड़ के टिकिट बेचे जावें। इसकी बात थी, मैं जितने भी वापस करवा सकता था करवा दिये हैं और अब उनके पास आयन्दा कोई टिकिट नहीं रहे और किसी प्रकार का परसूएशन नहीं हो यह कह दिया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या आप यह आपत्तिजनक मानते हैं कि सरकार के नालेज में जो चीज नहीं थी, जो प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, जो पार्टी के लीडर हैं उनके नालेज के बिना पुलिस इस प्रकार से धांधली करे और आई. जी. ने जो इस तरह का निर्णय करके पूरे प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार करके अपने अधिकारों के विरुद्ध कार्य किया है, उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लेने का विचार रखते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : कई राज्यों में इस प्रकार के कलेक्शन किए ये उनकी देखा देखी राजस्थान पुलिस ने भी शुरूआत की।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपकी लीडरशिप में, आपके नेता होते हुए, आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और आप जब इसको उचित नहीं मानते हैं तो आपकी भावना की कदर नहीं करके यह कार्य किया है··

श्री हरिदेव जोशी : इसीलिए रोक दिया है वरना वह चालू रहता।

Page No 14

(14)

श्री मूलचन्द डागरिया : जो एक्शन किया गया है उसको मनचन करने के लिए आप कोई एक्शन लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री केसरीमल।

जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में कर्जा वसूली रोकने की व्यवस्था

52. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में सन् 72 एवं 74 में भयंकर अकाल था और 75 में खरीफ की फसल अधिक वर्षा से नष्ट हो गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की जनता से सभी प्रकार की वसूलियां सख्ती से की जा रही हैं जब कि फसलें लगातार नष्ट हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार रबी की फसल आने तक के लिए सभी प्रकार की कर्जा वसूली रोकने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं ।

(3) जिन गांवों में आधी या आधी से अधिक फसल नष्ट हुई है उनमें भू-राजस्व एवं सभी प्रकार की राजकीय वसूलियां केवल पम्पिंग सेट एवं ट्रैक्टरों के ऋणों को छोड़कर अग्रिम आदेश तक स्थगित की जा चुकी हैं।

श्री केशरीमल : ये आदेश कब दिए गए हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 26-12-75 को।

श्री केशरीमल : इसके बाद भी लोगों की पिटाई हुई है ब्यावर में। वसूली करने वाले लोगों ने किसानों को, एक भीमा बलाई बीछापुर का है उसकी पिटाई की है; इसी तरह से···

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री केशरीमल : यह बात नहीं है, कलेक्टर की मीटिंग में जब मंत्री महोदय स्वयं पधारे थे तब वहां पर आवाज उठाई गई थी कि यह उगाई करने वाले जुल्म कर रहे हैं किसानों के साथ में, उनकी पिटाई की जा रही है। कहीं पर उनको मुर्गा बनाया जा रहा है, कहीं पर घोड़ियां बना रहे हैं, इस तरह से उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं·····

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिलों में अभी तक ये आदेश नहीं पहुंचे हैं, आप इनको इफेक्टिव बनाइये।

(व्यवधान—प्रश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। जब वे खत्म कर दें तब दूसरे माननीय सदस्य बोलें।

Page No 15

(15)

श्री केशरीमल : मेरे इलाके में 700 गांव हैं, मेरे खुद के इलाके में 350 गांव पीड़ित हैं, इतने गांवों के पीड़ित होते हुए भी, लगातार तीन तीन साल से अकाल पड़ रहा है और वहां पर किसानों की पिटाई हो रही है। मंत्री महोदय के सामने, कलेक्टर के सामने यह बात रखी गई थी लेकिन उनकी हां हो जाने के बाद भी वहां के कलेक्टर कोई आदेश नहीं देता उसने खुद ने कहा, हम सख्ती से वसूल करेंगे। टारगेट पूरा करना है। वह पूरा नहीं हो रहा है। एक तरफ आप देखेंगे कि अधिकारी लोग इस तरह ज्यादती करते है। मैं पूछना चाहता हूं कि कलक्टर का खुद का जवाब तलब आप करेंगे?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गुजारिश करूंगा कि यह सवाल उठाया गया है और मंत्री महोदय के सामने भी यह डिसकस किया गया है तो क्या इस बात को सही मानते हैं कि डिसकसन किया गया और डिसकस होने के बाद, पालिसी के खिलाफ कार्यवाही की गयी, उसका उल्लंघन किया गया है तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। दूसरी बात यह है कि एम. एल. ए. साहब ने आपको लिखा है और आप उसको भी गलत नहीं मानते हैं कि इस किस्म की ज्यादती हो रही है तो क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ जो इस किस्म की ज्यादती करते हैं, कोई एक्शन लेने को तैयार हैं और अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री शंकरलाल : यह ज्यादतियां हर जगह हो रही हैं। पाली जिले में भी हो रही हैं...

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : पूरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति नहीं है और कुछ क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति है तो उस क्षेत्र में किसी प्रकार से वसूली नहीं करेंगे, यह कलक्टर को हिदायत है और यह उसको डिस्क्रिशनरी पावर है कि उस क्षेत्र से वसूली न करने के आदेश दें। मंत्री महोदय के सामने आने का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो कलक्टर महोदय ही बैटर समझते हैं।

श्री केशरीमल : जहां तक इसका सवाल है, जब आपकी जानकारी में इस प्रकार की वसूली हो रही है और गवर्नमेन्ट का भी यह इन्टेन्शन है तो किस प्रकार से यह हो रहा है।

श्री विट्ठल भाई (गोपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर है कि जहां पर अकाल नहीं है, बांसवाड़ा जिले में अकाल नहीं है लेकिन यह जरूर होता है कि जब तहसीलदार जाता है तो वह एकदम वसूली करता है और किसी को एक–दो दिन का समय नहीं देता है। काफी बड़ी रकम होती है। काश्तकार को ऐसी बड़ी रकम जमा कराने के लिए कम से कम कुछ समय तो मिलना चाहिये। परन्तु उनको कोई अवसर नहीं दिया जाता है। ऐसा मौका दिया जाना चाहिये कि 8/10 दिन. में दे उस रकम को जमा करा दे। हमारे बांसवाड़ा जिले में ऐसी सख्ती हो रही है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां पर अकाल नहीं है वहां पर वसूली होगी। माननीय सदस्य दोनों चीजें चाहें कि विकास का काम भी होवे, और ओवरड्राफ्ट भी न हो और यह भी चाहें कि वसूलात भी न हो, तो ऐसा कोई जादू सरकार के पास नहीं है।

(श्री हरिदेव जोशी)
अब रह जाता सवाल ऐसे लोगों की स्थिति का कि जिनकी हैसियत नहीं है, इस बात को डिसकस किया गया है और यह निर्णय हो गया है कि दो साल से अधिक की वसूली एक साथ में नहीं की जानी चाहिये। इससे ज्यादा वसूली नहीं होगी। इस प्रकार जितनी सुविधाएं हम दे सकते थे उतनी दे रहे हैं। जहां तक कलेक्टर का सवाल है उसको और ताकीद कर देंगे कि जिनकी हैसियत खराब हो और उनको वे समझते हैं कि यह रकम जमा नहीं करा सकते उनको छूट दे दें।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि कलक्टर महोदय को लिखा गया, उनसे मिला भी हूं और उनको समझाया भी परन्तु वे इस इन्स्ट्रक्शन का पालन करने को तैयार नहीं हैं। वे तो यह कहते हैं कि मुझे टारगेट पूरा करना है वसूली नहीं करेंगे तो कैसे पूरा होगा। ऐसे अधिकारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने को तैयार हैं?

श्री हरिदेव जोशी : इन्डीविज्यूल केसेज को एग्जामिन किया जा सकता है किन्तु पूरी तहसील की वसूली से कैसे एग्जम्पट किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि कलेक्टर को जानकारी है कि जहां पर 50 परसेन्ट खराबी हो गयी है वहां पर वसूली न हो। उसको वह स्थगित कर सकता है। उसके बावजूद भी कलेक्टर इस ओर कार्यवाही नहीं कर रहा है। मंत्री महोदय के ध्यान में भी यह मामला है और कलेक्टर की ज्याद-तियां जवाजा तहसील में हो रही हैं तो प्रश्न यह है कि ऐसे कलेक्टर के खिलाफ आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री हरिदेव जोशी : जानकारी कर ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह!

टोंक जिले में पंजीकृत संस्थानों को कच्चे माल का कोटा

53. **श्री अजीतसिंह (टोंक) :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में उद्योग विभाग में कितने संस्थान पंजीकृत हैं?

(2) पंजीकृत संस्थानों को विभाग क्या और किस प्रकार सहायता पहुंचाता है?

(3) उद्योग विभाग ने जिला टोंक में क्या क्या व कितना कितना किस संस्थान को सन् 1974 में कच्चे माल का कोटा उपलब्ध करवाया है? कृपया संस्थान वार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) टोंक जिले में 31-12-75 तक 712 औद्योगिक इकाइयां स्थायी रूप से पंजीकृत थीं।

(2) विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सुविधाएं परिशिष्ट (1) पर संलग्न हैं।

(3) जिला टोंक में वर्ष 1974 में लघु उद्योग इकाइयों को दिये गये कच्चे

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)
माल की सूची 'क' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो उद्योगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं वे जितनी होनी चाहिए थीं उतनी नहीं हैं। जिला टोंक पहले ही पिछड़ा हुआ जिला है। उसके लिए आपने जो सुविधाएं प्रदान की हैं वे कम हैं। लिखित में जो आपने सब कुछ बता दिया है लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वहां पर ये सारी चीजें नहीं हैं, उद्योगों के लिए पूरी जमीन नहीं है, शेड्स पूरे नहीं हैं, बिजली वित्तीय सहायता, कच्चा माल और मार्केट जो उद्योगों के लिए आवश्यक हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ये कमजोरियां हमारे जिले में है। उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह ऐसा पिछड़ा जिला है कि कुछ माल न दें तो क्या उम्मीद करेंगे कि लोग उद्योगों को ठीक तरह से वहां पर चला पाएंगे। हमारे इस जिले में ऊन कारपेट बनते हैं, नमदा बनता है। यह ऊन का जो उद्योग है-उसको भी कच्चा माल नहीं मिलता है। इसकी व्यवस्था की जानी अत्यन्त आवश्यक है। आप यह माल उपलब्ध करावें तो कारपेट बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को गंभीरता से लेंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी तक टोंक जिले की राष्ट्रीयकृत बैंकों से 10 औद्योगिक इकाइयों को ऋण दिलाया गया है। इसी तरह से विभाग द्वारा 35 इकाइयों को एक लाख 12 हजार का ऋण दिलाया गया है और 5 उद्योगों को अनुदान की राशि स्वीकृत की गयी है। जैसा कि आपने बताया है वैसी स्थिति नहीं है। इसकी प्रगति सन्तोषजनक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस औद्योगिक क्षेत्र का जल्दी से जल्दी विकास करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : 712 यूनिट में से इतने को ही सहायता दी गयी है ? बाकी क्या बन्द हो गयी हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : टोंक जिले में जो इन्डस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं उसमें यह लाजमी नहीं है कि हरेक अप्लाई करे। जहां तक टोंक जिले का सवाल है उसको स्पेशल ट्रीटमेन्ट दिया गया है। राज्य की ओर से ग्रामीण दृष्टि से विकास के लिए यूनिट वहां पर कायम किए गए हैं, और वे टोंक को दिये गये हैं। राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज ने बीड़ी का कारखाना वहां पर लगाया है। टोंक के लिहाज से बीड़ी का कारखाना वहां पर लगाने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है परन्तु वहां की बेरोजगारी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था इसी प्रकार से वहां पर टेनेरी का कारखाना लगाया गया है। अब एक चीज ध्यान में रखनी चाहिये कि इन्डस्ट्रीज वहीं पर चलेंगी जहां कि उसके लिए पोटेंशिएलिटी हो। जिस क्षेत्र में पोटेंशिएलिटी बहुत अधिक होगी वहां पर इन्डस्ट्रीज अपने आप अवश्य हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

शिक्षा विभाग में अध्यापकों की पदोन्नतियां

54. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग में अध्यापकों की पदोन्नति किस प्रक्रिया से होती है ? इनके क्या नियम हैं ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों की पदोन्नतियां लोक सेवा आयोग और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अलग-अलग की जाती हैं ? यदि हां, तो किस पद पर चयन इन दोनों तरीकों से तथा किस अनुपात से किया जाता है ?

(3) क्या प्रधानाध्यापकों की पदोन्नतियां करते समय उनके विपरीत कोई शिकायत, अभियोग अथवा पुलिस में यदि जांच चल रही है तो उस पर भी विचार किया जाता है ?

(4) पिछले तीन सालों में प्रधानाध्यापकों की पदोन्नतियां करते समय ऐसी कितनी शिकायतें अथवा अभियोग या पुलिस जांच के मामले आयोग अथवा समिति के सामने रखे गये ?

(5) प्रधानाध्यापकों की ए.सी.आर. गुम होने पर पुनः लिखवाने के क्या प्रावधान हैं ?

(6) ए.सी.आर. गुम होने पर कितने प्रधानाध्यापकों अथवा अध्यापकों की ए.सी. आर. पुनः लिखी गई ? क्या यह सब सक्षम अधिकारी द्वारा लिखी गई ? कृपया ऐसे अध्यापकों की सूची पटल पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन) : (1) शिक्षा विभाग में अध्यापकों की पदोन्नति राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम 1971 तथा राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 1970, के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है । नियम राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं । राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 1970 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां, निम्नलिखित पदों पर चयन दोनों तरीकों से तथा उनके सामने अंकित अनुपात से किया जाता है :

पद	अनुपात
(1) वरिष्ठ अध्यापक	50:50
(2) प्रधानाध्यापक	50:50

माध्यमिक विद्यालय एवं समनक्ष

(3) जी हां ।

(4) पिछले तीन वर्षों में प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति हेतु एक बार ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जून 75 में हुई है । इसमें जिन अध्यापकों, अध्यापिकाओं के विरुद्ध गंभीर शिकायतें अथवा अभियोग या पुलिस जांच के मामले थे, वे उक्त समिति के सम्मुख रखे गये थे । उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1. सहायक अध्यापिका (द्वि.श्रेणी) 62
2. वरिष्ठ अध्यापक 34

(5) यद्यपि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है किन्तु यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर,

(श्री फारूक हसन)
रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर उपलब्ध हो तो उससे पुनः ए. सी. आर. लिखवाने की प्रथा है।

(6) सूचना संकलित की जा रही है।

(नियम की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गोपाल जोशी : मैं एक बात यह पूछना चाहूंगा कि जो सक्षम अधिकारी हैं और जिनके अन्दर में अध्यापक वर्क करता है ए. सी. आर. गुम होने की दशा में उसी से लिखाना चाहिए। तो क्या ऐसे मामलों में जिनमें गुम हुई है या करा दी गई है, यह नोट करने की बात है, गुम होती नहीं और करा दी जाती है तो सी. आर. लिखने के लिए जिसके अन्दर में वह वर्क कर चुका है, जिस जिला शिक्षाधिकारी के अन्दर में वर्क किया है वही लिखें या उसकी मौजूदगी में दूसरा लिखें, क्या ऐसी शिकायतें प्रश्नकर्त्ता ने या दूसरे को आपके विभाग के डाइरेक्टर को या एज्यूकेशन सेक्रेटरी के समक्ष की है ? अगर की है, तो उस पर क्या एक्शन आज तक हुआ है ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि एम्बेजलमेंट के और काग्नीजेबल आफेन्स के केसेज के यदि चार्जेज अध्यापकों पर हों तो ऐसी दशा में जब प्रोमोशन का मामला आयेगा तो क्या ऐसे चार्जेज प्रोमोशन समिति के सामने नहीं रखे जाने चाहिए ? यदि हां, तो क्या ऐसे मामले रखे गये हैं ? यदि रखे गये हैं तो क्या उनका प्रमोशन ऐसे मामलों के बावजूद भी हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स दे दें कि इस अध्यापक के साथ में जो ए. सी. आर. गुम करा दी गई है और जानबूझ कर गुम करा दी गई है, या इस तरह के केसेज हुए हैं तो आप नाम दे दें तो सारी एन्क्वायरी कराकर बता सकता हूं। माननीय सदस्य इस प्रकार से वेग पूछते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट दे दी तो यों तो यह डिपार्टमेंट इस प्रकार का इतना बड़ा है कि इसमें 1,29,000 वर्कर्स हैं, तो आप कृपापूर्वक स्पेसिफिक जिस टीचर के लिए पूछना चाहते हैं उस टीचर का नाम दे दीजिये। अगर नाम दे देंगे तो मैं सारी जानकारी करा दूंगा और निश्चित तौर से कराऊंगा। यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसको सुधारा जायेगा।

दूसरा प्रश्न आपने यह किया है कि क्या जो डी. पी. सी. बैठी है तो उसके सामने अध्यापकों के खिलाफ क्रिमिनल केसेज या इस तरह की शिकायतें पेश होती हैं या नहीं होती हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की डी. पी. सी. के सामने चाहे वह सीनियर टीचर्स की हों तो उनके सामने लाये गये हैं, या द्वितीय श्रेणी के टीचर्स की होती है तो उनके सामने पेश होते हैं। जिस वक्त प्रमोशन करते हैं तो सारी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए और ए. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन दिये जाते हैं।

श्री गोपाल जोशी : ऐसे केसेज में भी प्रमोशन दिये गये हैं जिनके खिलाफ एम्बेजलमेंट के केसेज हैं और पुलिस जांच कर रही है, और मेरिट मानकर प्रमोशन दिये गये हैं।

Page No 20

(20)

श्री खेतसिंह : नहीं दिये जाते हैं।

श्री गोपाल जोशी : दिये गये हैं और मैंने इसकी शिकायत की है। मेरे कहने का मतलब यही था कि मेरिट फार्मूले में वही हो रहा है। कई लोगों ने विभाग में मैनिपुलेट करके नाजायज फायदा उठा लिया है, क्योंकि मेरिट में वह आ जाते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री खेतसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पर्टीक्यूलर टीचर का नाम बतलाते कि इन-इन टीचर्स को नाजायज लाभ दिया गया है तो मैं आपको जवाब दे देता और उनके लिए इन्तजाम हो जाता।

श्री गोपाल जोशी : आप डिपार्टमेंट से पूछ लेते कि ऐसे केसेज हुए क्या?

श्री खेतसिंह : मैं पूछ लूंगा।

श्री गोपाल जोशी : क्या महिला वर्ष में महिलाओं को पदोन्नति देने में कोई विशेष छूट दी गई है? 10-15 साल से जो महिलाएं एक ही जगह पर थीं उन महिलाओं को गांवों में दूर दूर भेजकर ज्यादा हैरेसमेंट किया गया या उनकी पदोन्नति की गई और विशेष छूट दी गई है?

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : मेरा भी एक सवाल है कि मेरे यहां पर पदमपुर में मिसेज लाल हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एम्बेजलमेंट किया है उनको वापिस वहां पर ही भेजते हैं उसके मामले में जरा बतला दें।

श्री खेतसिंह : मिसेज लाल के ट्रान्सफर का जो केस है उसका इस क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : उसने एम्बेजलमेंट किया है। वह आपके सामने मामला है उसको वापिस वहीं पर भेज देते हैं।

श्री खेतसिंह : अगर उसने एम्बेजलमेंट किया है तो निश्चततौर पर कार्यवाही होगी और साबित हो गया तो सजा मिलेगी।

दूसरा प्रश्न आपने किया है कि महिला वर्ष में महिलाओं को पदोन्नति में विशेष छूट दी गई है तो किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

श्री गोपाल जोशी : हैरेसमेंट तो किया है।

श्री अध्यक्ष: (सुश्री शकुन्तला के खड़े होने पर) आप पूछिये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (मामेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से एक बात जरूर पूछना चाहती हूं कि इस तरह के नाम के बारे में जो आप यहां पर कहलवाना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूं कि ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, वीमेन्स एज्यूकेशन का क्या हाल है? क्या एर. एल. एज. अछूते हैं जो उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करती हैं। वहां पर विभाग में लेडी टीचर्स के साथ में किस तरह का अन्याय हुआ है और हो रहा है कि उनकी परीक्षा की जो कापियां आती हैं सीलबन्द तो उनकी सील तोड़ी गई है, इसकी जांच करवाकर देख लें। मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि उनसे दो सीनियर बैठी हुई हैं और जूनियर को ज्वाइन्ट डाइरेक्टर बना दिया है वह कैसे?

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उत्तर नहीं आया माननीय अध्यक्ष, मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी दोनों जानते हैं। हम लोगों ने इन दोनों का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया है। इन्होंने आश्वासन भी दिया था। यह इनकी बहुत मेहरबानी कहूंगी, लेकिन उसके बावजूद और कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। हमारे मुख्य मंत्रीजी के आदेश की भी उन लोगों ने अवहेलना की है।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह !

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : जवाब आने दें।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष, जो पहला प्रश्न पूछा था आपने कि 15–15 साल से जो महिला टीचर्स शहरों के अन्दर हैं उन महिला टीचर्स को देहातों में बदल दिया, उसके पीछे यह भावना थी कि शिक्षक संघ ने यह लिख कर दिया था कि कई टीचर्स तो जिन्दगी भर तक शहरों में बैठे रहते हैं और दूसरे गांवों में ही भटकते रहते हैं। उनके रिप्रेजेन्टेशन पर यह तय किया गया था कि जिन महिला टीचर्स को शहरों में 15 साल हो गये हैं कन्टीन्युअसली उनको देहातों में लगाया जाय, और जो देहातों में अर्से से रह रहे हैं उनको शहरों में लगाया जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, और मैं समझता हूं यह न्यायपूर्ण निर्णय है।

दूसरा जो झोटवाड़ा से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है····

एक माननीय सदस्य : झोटवाड़ा नहीं आमेर से।

श्री खेतसिंह : आमेर से आने वाली माननीय सदस्या···

श्री शंकरलाल : झोटवाड़ा से अक्सर महिलाएं आती हैं।

श्री खेतसिंह : यह जो कहा गया है कि वह महिलाओं से, एम. एल. ए. से बात नहीं करती हैं तो मैं बुलाकर उनसे बातचीत करूंगा और उनको कहूंगा, एम. एल. एज. से बात करने में उन्हें तमीज रखनी चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : वह शकुन्तला जी से नहीं, आमतौर से एम. एल. एज. के साथ इसी तरह का बिहेवियर करती हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय··· अध्यक्ष महोदय···

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न शिक्षा नीति से सम्बन्धित है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, कई बार तो वह खेतसिंह जी के आदेश फेंक देती हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप चाहते हैं तो उनको जोधपुर ले जायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हो सकता है कि कभी वह खेतसिंह को ही उठाकर फेंक दें ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 25 सन् 1975) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 28 सन् 1975) को जारी करने के कारणों को सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975

अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 24 सन् 1975) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मीठालाल : यह रहने दीजिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय···

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, आप परसों भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तावक महोदय ने विस्तार से प्रकाश डाला है। उसके आधार पर बार-बार कहना तो पिष्ट पेषण होगा। इसलिए उसमें न जाकर 21-सूत्री कार्यक्रम जो है, उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने में देश में दिक्कत आ सकती है। उसके बारे में हमने महसूस और ध्यान आकर्षित करना चाहा है। उनकी ओर सरकार ध्यान देकर उनको ठीक करने की चेष्टा करेगी। 21-सूत्री कार्यक्रम का पहला भूमि का है भूमि की वह व्यवस्था करने के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर और रैवेन्यू क्षेत्र में ले जाकर उसे पूरा करने का राज्य सरकार का निश्चय है। इसमें राज्य सरकार की यह स्पष्ट भावना है कि किस तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने और उनमें गर्व पैदा करने के लिए उनको साधन मिलने चाहिये। उनमें स्वाभिमान पैदा होने के लिए और देश की एकता रखने के लिए और देश को संगठित रखने के लिए यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा।

श्री अध्यक्ष : आप पहले भी बोल चुके हैं। थोड़े में अपनी बात कह दें। मेरे पास काफी सदस्यों के नाम आये हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम तौर से 10 मिनिट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री दीपंकर : मैं दस मिनट में ही समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप परसों भी बोले थे।

श्री दीपंकर : मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका कार्यकाल तो अजर-अमर है। चिन्ता नहीं करें।

श्री दीपंकर : जहां तक भूमि के बंटवारे का सवाल है, दस साल से यह हो रहा है। अब सरकार और तेजी से करना चाहती है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो साधारण और भूमिहीन लोग हैं, उनको जमीन दी

(श्री दीपंकर)

जाये, तो यह महत्व का काम होगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण काम के पीछे यह जरूर है कि ऐसा प्रभावशील तबका, है जिसने दस वर्ष तक पूरा नहीं करने दिया, आज वह पूरा कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि 21-सूत्री कार्यक्रम का यह महत्वपूर्ण अंग है। अगर यह अधूरा रह जाएगा तो फिर कभी नहीं होगा। कुछ ऐसी ही बातें गंगानगर के बारे में वहां के जन प्रतिनिधियों से सुनता हूं। जिस तरीके से उनकी भूमि को लिया जाना चाहिए, जिस प्रकार से सीलिंग में लिया जाना चाहिए, किस तरीके से उनको रिपोर्ट लेनी है, जो अधिकारी वहां पर लेने जाते हैं, वह दूसरी ही चीज लेकर आते हैं–तो यह चिन्ता की बात है इस कार्यक्रम को गति मिले। गरीबों के हित में अच्छा काम हो सके। यही मेरा निवेदन है।

को-आपरेटिव का जहां तक सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह बड़ा प्रगतिशील नियम बना दिया गया है कि हरिजन जाति या जन जाति के लोग फार्म भर दें तो सदस्य मान लिये जायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि अभी तक ऐसे लोगों को लेने की कोशिश की है जो उनकी हां में हां मिलाएं। इसलिए अब यह प्रयत्न किया जाये कि हां मिलाने वाले लोग न हों। अच्छा हो कि विभाग ही इस काम को ले ले। को-आपरेटिव की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि कुछ व्यक्तियों ने वर्षों से अधिकार जमा रखा है और उसके द्वारा स्वयं के बारे में लाभ उठाया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सही लोग आयें इसके लिए सरकार को ध्यान देना है। एक और बात यह है कि राजस्थान में यह सबसे बड़ी समस्या है जो गरीब तबके के लिए है। वह समस्या पीने के पानी की है। पीने के पानी का संकट है। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि वह एक निगम बनाने के लिए जा रहे हैं।

इस दिशा में कोई कदम शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए और उसकी कोई व्यवस्था हो। यह बहुत जरूरी है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां कि लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, लोगों को पीने के पानी के लिये, पानी की समस्या को हल करने के लिये, अपने परिवार के लोगों को दिन भर लगाना पड़ता है और राज्य के पशु मर जाते हैं। काश्तकारों के पास रक्षा करने का, कावत के अलावा दूसरा काम पशु धन की रक्षा करने का है और अगर पानी नहीं मिलता है तो वे अपने पशुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं। पानी उनको ऐसा मिलता है जो पीने के काम में नहीं आ सकता और इसलिये बहुत से पशु उस पानी को पीने से मर जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तवज्जह सरकार पीने के पानी के लिये देगी, इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति का कार्य किया है और काफी बड़ी तादाद में यह किया गया है इससे सरकारी कर्मचारियों में सही ढंग से काम करने की भावना आई और काम में भी सुधार हुआ

(श्री दीपंकर)

है। उनमें अनुशासन भी पैदा हुआ है और उनमें एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करेगा, जो भ्रष्टाचारी है, अनुशासन से नहीं रहता या जो नियमों को नहीं मानता उसको सरकार घर पर बिठा देगी। अभी सरकार ने जो यह प्रावधान रखा है कि 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष का सेवाकाल होने पर उनको सेवा निवृत्त कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इसको जगह जब भी सरकार के ध्यान में यह लाया जाय किसी के जरिये कि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है या नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और जनता को परेशान कर रहा है तो उसका कितना ही कम सेवाकाल क्यों न हो अगर वह जनहित में कार्य नहीं करे तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के संशोधन से निश्चय ही राज्य सरकार के कर्मचारियों में गति आयेगी। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों में भी एक नई क्लास पनपी है, जो बड़े आफिसर हैं जो बड़े ओहदेदार हैं वह तो किसी को नहीं मानते और जो छोटे कर्मचारी हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनको सजा मिलती है। इसलिए यह जो सरकारी कर्मचारियों में छोटे और बड़ों का भेद है यह जो फर्क है इस फर्क को कम करने की नीति होनी चाहिए, इसके लिए संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि देश की आजादी के बाद देश के प्रजातन्त्रीय ढांचे में और जनहित में और जनता के द्वारा जो राज्य बना उसका उपयोग सही ढंग से कदापि नहीं हो सकता जब तक कि राज्य सरकार के, गवर्नमेन्ट के छोटे–बड़े सभी कर्मचारी जनहित के लिए कार्य न करें। अगर सरकारी कर्मचारी जनहित के लिये कार्य नहीं करते हैं तो चाहे, कितना ही कम उनका सेवा काल क्यों न हो चाहे, दो साल का सेवा काल हो, तीन साल का सेवा काल हो क्यों न हो उनको भी सेवा निवृत्त किया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, जब तक यह परिवर्तन नहीं आयेगा तब तक उनमें जनहित में कार्य करने की भावना नहीं बनेगी वे यह मानकर चलते हैं कि 50 वर्ष की आयु होने तक और 20 वर्ष का सेवाकाल होने तक तो वे कार्य करते ही रहेंगे और तब तक उनको नहीं हटाया जाने वाला है। इसलिए यह आज की मांग है और यह आज की आवश्यकता है। आज की यह भी मांग है कि जिस प्रकार से हमारे संविधान में व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने के बारे में छूट है, आप चाहे जितनी सम्पत्ति इकट्ठा कर सकते हैं इससे कई आदमी पैसे वाले बन गये और गरीब गरीब ही रह गया, वह धनवान नहीं बन सका, इसकी वजह से हमारी प्रधान मन्त्री यह कहती हैं कि आज हमको यह भी तय करना होगा कि हिन्दुस्तान के संविधान में इस प्रकार का परिवर्तन करना है या नहीं। तो हमको यह मानना पड़ेगा कि इस तरह के परिवर्तन करने का समय आ गया है कि सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रकार के प्रावधान या अधिकार दिये गये हैं, जिस प्रकार से सरकार को आई.सी.एस. अधिकारियों के अधिकार और सुविधाओं को समाप्त करना पड़ा, उसी प्रकार से मौजूदा अधिकारियों का भी जो आयु का और सेवाकाल का समय निर्धारित है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और आयु की जो यह सीमा है उसको हटाया

(श्री दीपंकर)

जाना चाहिए और इस प्रकार से विधान में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हम जिस प्रकार के वर्गहीन समाज की रचना करना चाहते हैं, समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं उसमें अगर किसी बात से रोड़ा अटकने की गुंजाइश हो तो संविधान में परिवर्तन करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि अधिक अन्न उपजाने के बारे में बिजली की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम बेकारी को दूर करने पर ज़ोर देते हैं उसी प्रकार से अधिक पैदावार के लिये बिजली की आवश्यकता है। आज यह एक ऐसी चर्चा का विषय बन गया है कि इसका सम्बन्ध एक नीति और राष्ट्रीय प्रश्न से सम्बन्धित है। यह एक रिवाज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जनता मे यह धारणा बन रही है कि अगर मैं यह कहूं कि बिजली विभाग से झूठे बिल बनाये जाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं कहीं तो पांच रुपये का बिल 500 रुपये का बना दिया जाता है। जब बिजली विभाग में इसके लिये जाते हैं तो सुधार करने पर वह 50 रुपये तक आ जाता है। इस प्रकार बिजली विभाग में झूठे बिल बनाये जाते हैं और होता यह है कि काश्तकार को समय पर बिजली भी नहीं मिलती। किसी इलाके में काश्तकार को मीठा पानी भी नहीं·····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : मिलता। बिजली विभाग में पैसा जमा करा दिया है तब भी काश्तकारों को बिजली नहीं मिल रही है। सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, पीने के पानी की योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, बिजली की वजह से। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या को शीघ्र से शीघ्र हल किया जाना चाहिए और इसको हल नहीं किया जाता है तो यह एक बड़े भारी दुर्भाग्य की बात है।

एक बात और कहूंगा, वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मुझे एक बात निवेदन करनी है। शिक्षण संस्थाओं के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की तरफ से जो भी 14, 15 सौ प्राइवेट स्कूल हैं, सैकेन्ड्री स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हायर सैकेन्ड्री स्कूल हैं उनको सरकार की तरफ से किसी को 70 पर्सेन्ट, किसी को 80 पर्सेन्ट और किसी को 60 पर्सेन्ट एड दी जाती है लेकिन वहां पर टीचर्स का शोषण किया जाता है। उनके दस्तखत ज्यादा पर कराये जाते हैं और पैसा कम दिया जाता है। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, सरकार के धन का दुरुपयोग किया जाता है और बच्चों की फीस तथा सरकारी एड से यह स्कूल चलाये जाते हैं और उनमें समाज विरोधी कार्यवाही की जाती है। इसलिए हमको 21-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज विरोधी संस्थाओं के ऊपर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा, और जो लोग यह समाज विरोधी कार्य करते है उनको गिरफ्तार भी करना होगा। उनको रोकने की कार्यवाही की जानी चाहिए। आज आप यह मानकर चलिये कि ये वही संस्थायें हैं जिनको कि आप पैसा देते हैं और वे ही लोग जनता में

(श्री दीपंकर)

घृणित प्रचार करते हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग करके वे इस तरह से राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी कार्यवाहियां करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को ऐसी संस्थाओं को अधिग्रहण करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से सरकारी अध्यापकों को जो सुविधायें मिलती हैं वह सुविधायें उनको भी मिलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकार को इसमें जोर आयेगा लेकिन राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिये यह बहुत आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं कि टीचर्स राष्ट्र के निर्माता हैं फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां कर रहे हैं और प्रतिबन्ध के बावजूद भी पर्चे निकालते हैं। अभी कल ही मैंने यह देखा कि 4–5 छोटे छोटे बच्चे स्कूल के नारे लगा रहे थे, आखिर उनको कौन बहका रहा है! यह सारा का सारा काम प्राइवेट स्कूलों····

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : आपकी कार्यवाही उनको बहका रही है।

श्री दीपंकर : हमको यह मानकर चलना चाहिए कि यदि प्राइवेट स्कूलों में इस प्रकार का कार्य होना है तो उन पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। अगर यह कार्यवाहियां चलती रहीं तो राष्ट्रीय नीति नहीं चलेगी। एक प्रकार से राष्ट्र विरोधी कार्यवाही को प्रोत्साहन देकर राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे राष्ट्र में टीचर्स का एक बहुत ऊंचा दर्जा है, टीचर राष्ट्र का निर्माता है। अगर वह इस तरह से करेंगे तो बच्चों के दिमाग में जहर भरकर उनमें फितूर पैदा करने की कोशिश करेंगे हैं, और इसी प्रकार से यदि वे अभिभावकों के संपर्क में आयेंगे तो वह भी ऐसा ही करेंगे और यह एक भयंकर चर्चा का विषय बन जायगा। इसीलिये हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की जनता को बचाने के लिये, देश को बचाने के लिये, देश को खतरे से बचाने के लिये इमर्जेन्सी की घोषणा की और 20-सूत्री कार्यक्रम देश के सामने रखा।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, और निवेदन कर दूं, ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ ही दिनों में राजस्थान के हमारे बोर्डर एरिया में विश्व बैंक का एक बहुत बड़ा अध्यक्ष निरीक्षण करने आ रहा है, मैक्नमारा'–उसको देखना है कि वह क्या कर रहा है। हमारे पूर्व माननीय सदस्यों ने भी कहा, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, वह यह देखेगा कि किस प्रकार की नहरें और नालियां बनाई जा रही हैं और किस तरीके के छोटे–मोटे काम हो रहे हैं। उनको देखने के सिलसिले में, आ रहे हैं जिससे उनको हमारे मुल्क की जानकारी मिल सके। हमने देश की आजादी के पश्चात् यह सोचा था कि समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिये किसी प्रकार की विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी और जनता ही हमको सहयोग देगी, फिर भी हमने विदेशों से सहायता ली। उनके हमारे इलाके में घूमने से और नक्शे वगैरह देखने से सारी स्थिति की उनको जानकारी मिलेगी। इससे हमारी इस सीमा को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए उनकी इस यात्रा को रद्द किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते,

(श्री दीपंकर)

हमारी प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कहा है और विश्व की सारी प्रगतिशील शक्तियों ने एक साथ मिलकर नारा लगाया है, इस देश के अन्दर गरीबी मिटाने के लिए नारा बुलन्द किया है। इसलिए इस प्रकार पूंजीवादी, साम्राज्यवादी मुल्क, विश्व बैंक की रकम को ठुकरा देना चाहिए। ऐसी रकम से हमारे देश का विकास करके हम नीचे गिर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे आफिसर्स आएं। आब्जेक्शन कर दिया गया परन्तु विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों द्वारा आयोजन होते हैं उनमें वे शरीक होते हैं। सरकारी मशीनरी में जो लोग बैठे हैं, आज भी उनमें बैठे हैं क्योंकि उन्हें समाज में प्रभाव डालने का मौका देते हैं। इसलिए हमारी शिक्षा क्या होनी चाहिए, हमने पहले नहीं सोचा। हमारा योजना आयोग बैठा। योजना आयोग ने शुरू में बड़ी बड़ी बातें सुनाई अंग्रेजी भाषा के अन्दर। उससे हमारी भाषा, हमारे आदमी दूर चले गए। इसका यही कारण रहा। ऐसे देशों के साथ मिलकर, अपने देश के अन्दर ऐसा वातावरण न बनाने दें। राज्य सरकार से निवेदन है कि उन तक आवाज पहुंचानी चाहिए कि हमारे यहां जमीन समतल करने की आवश्यकता नहीं, वे क्या बता सकेंगे। इसलिए उनको यहां आने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यात्रा को रद्द करवाया जाए। ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्थायें है उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए ताकि किसी तरीके से, किसी धर्म के नाम से, किसी जाति के नाम से, किसी तरीके से आगे जाकर मास्टर शोषण न कर सकें। यह सारी की सारी बातें हमारा रास्ता रोकेंगी और हर तरह से भड़काएंगी

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जन सिंह।

श्री मोहर सिंह (गादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बाद में।

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा सौभाग्य मानकर चलता हूं और आपकी असीम कृपा मानता हूं कि मुझे विचार व्यक्त करने का, मेरे स्वास्थ्य की ओर ध्यान देकर समय प्रदान किया बड़ी कृपा हुई।

(12.25 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करते हुए मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी वर्ष में हमारी सरकार क्या करना चाहती थी, क्या करने जा रही है, उसका विशेष विवरण होना चाहिए वह इस स्पीच में मुझे कहीं नहीं मिला। यह जरूर कहा गया है कि विगत वर्ष में हमारी उपलब्धियां क्या रहीं, किस क्षेत्र में हमने क्या किया—उसके आंकड़े तक देने की कृपा की गई, परन्तु यह कहीं बताने का, निर्देश देने का प्रयत्न नहीं किया गया जिससे एक यह कल्पना कर सकें कि आने वाले वर्ष में हमारी सरकार किस क्षेत्र में क्या सक्रिय कदम उठाने जा रही है। मुझे हर मद पर अपने विचार व्यक्त करने का

(श्री सज्जनसिंह)

शौक नहीं है न मैं लालसा रखता हूं लेकिन जो सेलियंट फीचर्स हमारे प्रधान मंत्री ने और 20 सूत्री कार्यक्रम में बताए उनके विषय में हमारे राज्य में क्या क्या काम किए गए, उस पर मैं अपने विचार जरूर आपके माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यह बताने की कोशिश की कि भूमिहीन लोग, समाज के पिछड़े हुए तबके को, जिनके पास आवासीय भूमि नहीं थी, हमने बहुत से प्लाट्स वितरण किए। इसमें मतभेद हो सकता है कि जो लोग पहले से बसे हुए थे, पीढ़ियों से बसे हुए थे उनको पट्टे देकर हमने अपना सर गर्वोन्नत कर लिया। लेकिन उनकी औलाद के पास मकान होंगे या नहीं, पंचायतों के पास ऐसी भूमि बची हुई है या नहीं? या हमने आबादी भूमि को कन्वर्ट करने का इरादा प्रदर्शित किया है तो केवल इस वर्ष पट्टा वितरित करते समय कुछ आबादी के नजदीक भूमि को कन्वर्ट करके ही किया और वह भूमि ऐसे लोगों को दी गई जिन्होंने धंधा बना लिया है। उन लोगों ने भूमि ग्रहण की है जिन्होंने पहले आवासीय भूमि को बेच दिया, गांव के बीच में जो रहते थे, गांव के सक्षम समाज को अपने पास की जमीन बेची और सरकार ने जब यह सुविधा देना तय किया तो उस पर नई जमीनें मुफ्त में ग्रहण की। एक आपने गलती यह की है, अगर इस बाड़े को, इस एलाटेड प्लाट को अगर बेच देते हैं तो आपने रोक लगाने की क्या व्यवस्था की है तहसीलदार या विकास अधिकारी पट्टे देकर चला गया। आपने बड़े गौरव के साथ प्रचार कर दिया कि आपने इतने लाखों रुपए की आवासीय भूमि रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एलाट कर दी। शहरी क्षेत्र की बात तो और है, उसके लिए मैं बाद में निवेदन करूंगा लेकिन आपने उनके रहने के लिए जो मकानों के लिए पट्टे दिए और जमीन जो आपने दी वह जमीन भी सक्षम लोग खरीद नहीं लें इस पर प्रतिबंध लगाने का आपने कभी विचार नहीं किया। मैं समझता हूं कुछ समय के बाद ये प्लाट्स बिक जायेंगे और वे लोग जो हमेशा देखते हैं, गरीबों का नाजायज फायदा उठाते हैं वे लोग वे प्लाट्स खरीदेंगे और भूमिहीन लोग पुनः भूमिहीन होंगे और वही समस्या फिर प्रस्तुत हो जायेगी।

मेरा सुझाव था कि राज्य सरकार को इस प्रकार से पट्टा वितरित करने में हजारों लाखों रुपये का पेट्रोल बर्बाद करने के बनिस्पत भूमि को आबादी में कन्वर्ट करने के लिए पंचायतों को निर्देश कर देने चाहिए थे कि अगर भूमि इन लोगों को वितरण नहीं करेंगे जिनके पास वास्तव में आवासीय भू-खण्ड नहीं हैं तो आपके सरपंच को पंचायत से हटा दिया जाएगा या पंचायत को भंग किया जाएगा। अगर ऐसा प्रतिबंध लगा देते, इस प्रकार का मार्ग दर्शन किया होता तो मैं सोचता हूं कि आपका ड्यूअल पर्पज सर्व होता। आपकी पंचायतें जो निष्प्राण हो गई उनका केवल जनाजा निकालने की तैयारी कर रखी है, कफन बटोर रखा है, केवल जलाने के लिए लकड़ी जंगलात विभाग उपलब्ध कराए तो दाह संस्कार करके संतोष कर लें। उस पंचायत के इस गई गुजरी हालत में भी प्राण टिक सकते

(श्री सज्जनसिंह)

थे। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस उपलब्धि के लिए हम इतने गौरव के साथ सर ऊंचा करके दूसरे राज्यों का मार्ग दर्शन करने का कार्य करते हैं उसे अपनी पंचायतों के माध्यम से उसे न गिरायें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने विकास अधिकारी, जो केवल प्रेक्टिकल फील्ड में आता है, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, एनीमल एक्सटेन्शन अधिकारी ने पट्टे बंटवा दिये हैं। आपने अपने समाज के उस वर्ग को, समाज के पिछड़े वर्ग को और समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को यह तो कम से कम बतला ही दिया कि आपकी पंचायतें कुछ नहीं कर सकती। और मैं समझता हूं उनकी समझ में यह भी आ गया होगा कि आपकी पंचायतें भविष्य में भी कुछ नहीं कर सकेंगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह पचायतों के प्रति उपेक्षापूर्ण बर्ताव करके आपने यह एक अच्छा काम नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के निर्देशकों ने संविधान में पंचायतों को सबल बनाने के लिये बल दिया। हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का एक नागौर में दीपक जलाया था वहां पर आपने बड़े जोर से, बुलन्दी के साथ कहा था कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। आपने वहां घोषणा की थी कि हमारी सरकार जिला परिषदों को कुछ अधिकार देगी। आपने घोषणायें की थीं हम पंचायत समितियों को अधिकार देंगे, पंचायतों को अधिकार देंगे। और आपने पंचायत समितियों के माध्यम से करोड़ों रुपये व्यय भी किये थे। लेकिन आपने यह सब करके उस तरह भी कार्यवाही की कि आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापिस ले लिया। आपने छोटे बच्चे को जन्म दिया पर वह थोड़ा चल भी नहीं सका और आपने उस मासूम बच्चे का गला भी घोट दिया। उपाध्यक्ष महोदय, बेचारा पंचायती राज अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया था कि आपने अपनी नौकरशाही को उस पर हावी कर दिया। आपने अपनी नौकरशाही के द्वारा पट्टे बंटवा कर बेचारी गरीब जनता, बेचारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के हितों पर एनक्रोचमेन्ट किया है। आप नौकरशाही के हाथ में सत्ता बांट करके, आपने प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में सत्ता देकर पंचायतों का, पंचायत समितियों का और जिला परिषदों का जनाजा जल्दी निकालना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा तो मुझे उसमें पंचायत राज को चालू रखने के विषय में या पंचायत राज को समाप्त करने के विषय में या पंचायतों के चुनाव के विषय में कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं पाया। पंचायतों के चुनावों के बारे में उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मैं यह कल्पना करता हूं कि हमारी सरकार अब पंचायत राज को शायद धीरे धीरे समाप्त करना चाहती है। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कल्पना करने का मुख्य कारण यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं भी इसके बारे में कुछ भी संकेत नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिये एक बहुत ही खेद का विषय है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष

(श्री सज्जनसिंह)

महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस बात की जोर शोर से गर्ज कर घोषणा की कि हमने लाखों एकड़ भूमि बड़े बड़े जागीरदारों और राजा महाराजाओं से सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त कर ली है और हमने उनको भूमिहीनों में, गरीब और अनुसूचित जन जाति के लोगों में बांट दी है। इस बारे में इस वक्त मैं आपके माध्यम से इस विधान सभा को यह याद दिलाना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय मेरे चुनाव क्षेत्र में सांडेराव में श्रीमती नारायणी देवी की जमीन, जो कि खसरा नम्बर चार है, जो भूमि रकबा चार हजार बीघा जमीन है, जो सिंचित नहरी भूमि है, के बारे में इस सदन में एक प्रश्न भी उठाया था और उसके जवाब में राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इस पवित्र सदन के प्रांगण में यह मुझे आश्वासन दिया था कि हम वह जमीन भूमिहीनों में जल्दी ही बांट देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे कहा गया था। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी शर्म आती है और मुझे बड़ा दुख भी होता है उसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा गुस्सा भी इसके लिए आता है कि उस जमीन के बारे में हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। इस प्रकार की आप गलत घोषणायें करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय मुझे, यहां पर कहा गया था कि वह जमीन आपके चुनाव क्षेत्र के गरीब आदमियों में, वहां के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों में बांट दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, उस आश्वासन को, जो विधान सभा में मुझे राज्य के राजस्व मंत्री जी ने दिया था, मैंने उस प्रश्नों के जवाब के पर्चे को मेरे चुनाव क्षेत्र की जनता को बताया। और उन्हें विश्वास दिलाया कि अब यह जमीन अपने यहां की गरीब जनता को मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से यह कहना पड़ता है कि उस जमीन को आप ले नहीं सके और उस एरिया के कुछ गुन्डों ने अपने लट्ठ के जोर से आपके गुन्डा एक्ट को खूंटियों पर टांक कर काश्त करना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के तहसीलदार ने कागजी कार्यवाही करना शुरू किया। उन्होंने उन गुण्डों के खिलाफ में 91 के केस, नाईन्टी वन के केस कब्जा हटाने के बनाये लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह सब एक झूठा नाटक था। आपने वहां पर सी. आर. पी. के 600 जवानों को भेजा, कलेक्टर और एस. पी. साहबान को भेजा और एक इस प्रकार का नाटक खड़ा किया कि आप इस जमीन को इनसे छीन कर बेचारे गरीबों में बांट देंगे। उस जमीन पर जो गुन्डों ने फसल खड़ी करदी है उसे आप कुड़क कर लेंगे पर, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं हो सका। और जब मैं इस बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिला तब उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तो मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में मेरे पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचता कि मैं राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र प्रांगण में आकर आपके माध्यम से हमारी राज्य सरकार और सदन के माननीय सदस्यों को यथार्थ स्थिति बता दूं। सदन

(श्री सज्जनसिंह)

के अन्दर राज्य के मन्त्रि-मंडल के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि सांडेराव के अन्दर चार हजार बीघा जमीन, जो सिंचित भूमि है, को हमारी सरकार कब्जे में नहीं कर सकी है। जो बड़ी बड़ी घोषणायें हमारी सरकार जमीन लेने की करती है वही हमारी सरकार सांडेराव की चार हजार बीघा सिंचित भूमि को आज दिन तक अपने कब्जे में नहीं ले सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह जमीन को उन गुन्डे लोगों से अवाप्त करके अगर आक्शन की जाय तो वह जमीन 50 लाख रुपये से कम रुपयों में आक्शन नहीं होगी। और वही जमीन अगर आप उन गुन्डों से लेकर हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों में बांटते तो आप वह पचास लाख रुपया उन गरीबों में बांटते और इससे आपको यश मिलता। मुझे इस बात से बहुत ही खुशी होती और हमारे यहां के अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के लोगों में खुशहाली आती। जब तक आप उस सांडेराव की सिंचित भूमि को इन गरीब लोगों में नहीं बांटते तब तक मुझे किसी भी प्रकार का सन्तोष नहीं होगा। मैं असन्तुष्ट रहूंगा आप चाहे जितनी भूमि अवाप्त करलें लेकिन जब तक आप इन ट्रेसपासर्स से सांडेराव की चार हजार बीघा जमीन लेकर गरीबों में नहीं बांट देते तब तक आप गर्व करने के लायक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार श्रीमती नारायणी देवी की जमीन है, जो कि गांव दुंजाना में है जिसका कि खसरा नम्बर 127 है उस जमीन का भी आपके सरकारी अधिकारियों ने लेण्ड ग्रेबिंग किया। एक आर. ए. एस. अधिकारी ने बेनामी तरीके से उस जमीन को अपने कब्जे में कर रखा है। आपने उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया और आज दिन तक आप उस जमीन को अपने कब्जे में नहीं ले सके और न ही उस आर. ए. एस. आफिसर का म्यूटेशन ही खारिज कर सके। मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज भी आपकी सरकार उस आर. ए. एस. अधिकारी से मुगालता खा रहे हैं और मुझे भी आप मुगालता दे रहे हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट राज्य सरकार को कह देना चाहता हूं कि मैं इसमें मुगालता खाने को तैयार नहीं हूं। मैं सरकार से यह स्पष्ट चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप भूमि का अधिग्रहण करके गरीब जनता में बांटना चाहते हैं, वास्तव में जैसा कि आपने कानून बनाया है कि अवैध भूमि अधिग्रहण करने वालों के खिलाफ में कार्यवाही की जावेगी। उनको तीन महीने की जेल दी जावेगी। वास्तव में आप उनसे जमीन का 50 गुना लगान वसूल करेंगे तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन गुन्डे लोगों की खड़ी फसल को कुड़क कीजिये और जो दुंजाना और सांडेराव में जो जमीन अनधिकृत कब्जे में की हुई है उसको अपने कब्जे में लेकर ट्रेसपासर्स को सजा दीजिये और वह जमीन गरीबों में बांटिये। अगर वास्तव में आपकी नियत साफ है तो यह कार्यवाही कीजिये अन्यथा मैं यह समझूंगा कि आपकी नियत साफ नहीं है और आप लोगों से जमीन लेकर गरीबों में नहीं बांटना चाहते हैं।

श्री दलपतसिंह : वह कौन आर. ए. एस. आफिसर है ?

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि कलेक्टर के चाहने के बावजूद भी उसके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज राजस्थान के प्रशासन में यह स्थिति है कि एक पटवारी का ट्रान्सफर कलेक्टर तो क्या राजस्थान का रेवेन्यू मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। तो उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो मैंने आपको आवासीय भूमि और अलॉटमेन्ट आफ एग्रीकल्चरल लैण्ड के बारे में निवेदन किया है। अब मैं थोड़ा सीलिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद आता है कि यहां पर हमारे प्रगति के ठेकेदारों ने जब यह कहा था कि हम सीलिंग कानून के अन्तर्गत बहुत सी जमीन लेकर भूमिहीनों में बांट देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी यह कहा था कि आप राजस्थान के अन्दर अगर पोइन्ट जीरो जीरो थ्री परसेंट भी बांट दें आबादी में तो भी बहुत है। मुझे तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और अब भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जब इस विषय में कुछ भूमि वितरण के बारे में कहा गया तो मैंने उन आंकडों का जायजा मेरे एक मित्र से जो कि अर्थमेटिक के अच्छे जानकार हैं उनसे मैंने मदद ली तो उन्होंने मुझे बताया कि राज्य सरकार अपनी जन संख्या के अनुसार वास्तव में .005 प्रतिशत ही भूमि वितरण कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि भी आपको वह दी गयी है जो सबसे बेकार है, जो नाकाबिल काश्त है। जिस में पैदावार कुछ नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो मैं यह चेलेन्ज के साथ कहता हूं हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर को वह भूमि अलॉट की जाय और पैदावार वे उसमें करके बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कोई भूमि की जरूरत नहीं है। सिंचित बढ़िया वाली भूमि उससे छीन लूं और उसके पास बंजड़ भूमि रहने दूं यह भी न्याय का तकाजा नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : रेवेन्यू मिनिस्टर तो भूमिहीन ही रहे हैं।

श्री सज्जन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह तो मैं जानता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर भूमि विहीन नहीं है इसलिये उनको भूमि की आवश्यकता नहीं है। यह भी मैं जानता हूं कि वे रसमी काश्तकार नहीं हैं बल्कि ऐसे काश्तकार हैं जो पीढियों से काश्त करते आये हैं जिसका जीवनोपार्जन का एक मात्र साधन ही काश्त है। यह भी मुझे मालूम है। यह भी मैं जानता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर के आचरण और व्यवहार पर कोई कलंक लगा नहीं सकता है।

मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह था कि आपका नाम इसलिये लिया कि प्रशासन के उस तबके से जिम्मेदार हैं जो रेवेन्यू का काम करता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी को दिलवाइये, एग्रीकल्चर डाइरेक्टर को दिलवाइये-कलेक्टर को और एस. पी. को दिलवाइये। मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

तो आप वह जमीन जिसको बांटने की तारीफ दुनियां से सुनने के आदी हो

(श्री सज्जन सिंह)

गये हैं, अखबारों में पढ कर, अपना नाम देख कर, अपनी सरकार की शोभा पढ़ कर आपका गर्व से सीना फूलता है, आपके कोट के बटन टूटते हैं। उस आदत के लिये मैंने निवेदन किया है। महोदय, आप नाराज न हों। आप जरा शांति से हर बात को सुन लीजिये। उसमें कोई झूठ है तो मेरे पल्ले डाल दीजिये। अगर सत्य है तो उसको आपको सुनना पड़ेगा और एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने वह जमीन बांटी जिसमें कुछ उत्पादन हो नहीं सकता और इसके साथ आपने उस काश्तकार को दिया क्या ? एक पट्टा जिसको लेकर भूमि में डाल लेगा। उस पट्टे के सिवाय न हल दिया, न बैल दिये, न बीज दिया और आप उम्मीद उससे यह करते हैं कि वह आपका बहुत बड़ा कृपा पात्र बना रहेगा, आपका फेदफुल रहेगा और आप इस बात की भी उम्मीद रखते हैं वह उसमें कुछ पैदावार करके परिवार को भी पाल लेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस भ्रम का पर्दा फाश करना बहुत आवश्यक था। हमने उसको दिया कुछ नहीं। हमने बेकार से बेकार भूमि उसको दी। हल दिया नहीं, बैल दिये नहीं, बीज दिया नहीं और बिजली देने वाले मंत्री तो अब आये हैं इनके पक्ष की बात भी निवेदन करूंगा तो उस समय और बातें कहूंगा। आपने उस काश्तकार को प्रोड्यूस करने के इम्प्लिट्स नाम की कोई चीज नहीं दी और आप यह आशा रखते हैं कि वह अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा लेगा। वह समाज का पिछड़ा तबका, पीढ़ियों तक जिसको दबाये रखा जिसका शोषण किया, जिसको आज दिन तक अछूत बनाये रखा, आपके दस पन्द्रह बीघा के अलाटमेन्ट से उसको ऊंचे तबके के समाज में प्रतिष्ठा की जगह मिल जायेगी। उसका बच्चा आई.ए.एस. बन जायगा, उस का बच्चा आर.ए.एस. बन जायेगा, मोटर में बैठ कर घूमेगा, उपाध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज में उड़ेगा, यह ख्वाब, ये स्वप्न, ये आकांक्षायें हम उसको कितने दिन तक दिखाते रहेंगे यह सरकार के सामने मुझे निवेदन करते हुए दुख के सिवाय और क्या हो सकता है। महोदय....

एक माननीय सदस्य : बस।

श्री सज्जन सिंह : आप धैर्य रखिये। वास्तव में सुनना चाहते हैं तो मुझे निवेदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है उसका उपयोग करने दीजियेगा।

कई माननीय सदस्य : करिये।

श्री सज्जन सिंह : हमने बड़े गौरव के साथ कहा कि हमने ग्रामीण...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपको कौन रोकता है।

श्री सज्जन सिंह : धन्यवाद।

भूमिहीन मजदूर को 6 रुपया मजदूरी दिलवाने का तय किया, हमने इसकी भी बडे गौरव के साथ घोषणा की कि हमने उसका सारा कर्जा माफ करवा दिया। लेकिन महानुभाव मैं यह निवेदन करूं कि हमने आई. पी.

(श्री सज्जन सिंह)

सी. के अन्दर 323 का अध्ययन नहीं किया, 504 का अध्ययन नहीं किया। आप गांवों में घूमते हैं। आप जानते हैं कि जो कर्जा देने वाला है आप से ज्यादा होशियार है। आप कानून नहीं बनाते हैं उससे पहले कानून से बचने का रास्ता इन्वेन्ट करता है। उसने लिखा पढ़ी में विश्वास छोड़ दिया है। उसने गरीब आदमी का जेवर गिरवी रखना शुरू किया है। उसके लिए आपने क्या सोचा है? उसने जेवर गिरवी रखने के अलावा यह कहा है कि महीने के महीने ब्याज नहीं दिया तो जूते मार मार कर तबियत ठीक कर दूंगा। श्रीमन्, अनेक उदाहरण बता सकता हूं। जिनको सरे आम जूतों से पिटवाया जाता है और मजदूर से पैसा वसूल किया गया है। दावा करना नहीं चाहता, कागज वह नहीं लिखवाता, अदालत की शरण जावेगा नहीं जूते मार कर पैसा वसूल करेगा। धारा 323 में पुलिस सुनवाई नहीं कर सकती है। 504 में सुनाई कर नहीं सकती। उसको सरे आम मां बहिन को गालियां दी जावेगी और उसकी जिन्दगी, उसकी इज्जत सरे आम बाजार में लुट जावेगी और डंडे मार कर उससे पैसा वसूल किया जावेगा। इसके लिए क्या सोचा है? आपने यह तय किया कि मजदूर को 6) रुपया मजदूरी दिलवायेंगे आपने यह भी तय कर दिया कि विकास अधिकारी दौरा करके पता लगायेंगे। आपने विकास अधिकारी को अधिकार दिये हैं। वह विकास अधिकारी जो आपकी गाडी का पेट्रोल बेचता है, ट्यूब और टायर बिकवा देता है। बीज का गेहूं बेच कर के बोता हो, अध्यापक की तनख्वाहों में से पैसा ऐंठ कर जाता हो, समाज में हीन मनोवृत्ति का अफसर बन कर उससे आप 6) रुपया मजदूर को मजदूरी दिलवाने की बात करते हैं। एक तरफ अधिकारी से मिल कर एक हाथ से क्या किया और दूसरे हाथ से जूते बतलाये जाते हैं मजदूर को कि अगर तूने यह कह दिया कि दो रुपये ही देते हैं, अगर यह तूने कह दिया कि सागड़ी रख छोड़ा है, अगर तूने यह कह दिया कि पैसा मांगते हैं, बंधक मजदूर के रूप में काम कराते हैं, यह मोटर तो आयगी और धूल उड़ाती चली जावेगी और तुझे मार डंडे सीधा कर दिया जावेगा। इस लिए आपका यह कानून तो केवल भाषणों में ही रह जावेगा और केवल कागजों तक ही सीमित रह जावेगा। कानून बना कर पास हो जाने से उसका पालन नहीं हो जाता। मृत्युभोज क्या बन्द करवा दिये? ेर भी कई कानून बनाये आपने कानून बनाये हमारे देश में कोई भी निरक्षर नहीं रहेगा। क्या सबको आपने पढ़ा दिया? कानून बना दिया आजादी का और सब आजाद हो गये। मैं भी आजाद हूं और मैं जैसा चाहूं बोलता हूं। यहां आजादी भी आपने दे दी और बाहर कुछ बोल जाऊं तो श्रीमान् आपकी ताकत मुझे अन्दर बैठाने की भी है। गांव के मनी लैन्डर्स को ठीक नहीं कर सकते। कम मजदूरी देने वालों को ठीक नहीं कर सकते हैं। कानून ठीक नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते हैं अधिकारी, व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। वे आदेशों का पालन अक्षरशः नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है।

इसके अलावा राज्यपाल के भाषण में एक चीज का, खास तौर से बिजली का

(श्री सज्जन सिंह)

गांवों में विस्तार किया है, उसका उल्लेख किया गया है। शायद बिजली मंत्री नहीं आये होते तो मैं भावनाओं में इतना बह जाता कि इस प्रसंग में नहीं कहता। आपने बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिये। आपने योजनाओं की याद दिलायी। जिस गांव में दो सौ कुए हों उस गांव को बिजली नहीं दी जावेगी। जिस गांव में हर काश्तकार दो के की जगह तीन क्रॉप पैदा करता है उसको बिजली नहीं दी जावेगी। बिजली वहां जरूर जावेगी जहां मंत्री महोदय का चमचा रहता हो। जहां मंत्री महोदय दौरा करने के लिए जा रहे हों। उदाहरण के तौर पर श्री राम गोपाल। जिनकी चर्चा पिछले सदन में काफी हुई थी उनके लड़के की शादी में मंत्री महोदय जाने वाले थे उस वक्त यह विभाग उनके पास था और मंत्री महोदय श्रीमान् खेतसिंहजी साहब वहां पधारे। उसके पहले पहले बिजली लग गयी उस गांव में केवल एक कुआ है। एक घर को बिजली दी गई और पन्द्रह मील गुढ़ोड़ तक निम्बाहेड़ा तक बिजली दी गयी। मेरा गांव देवली जो सड़क पर है, बिजली को छोड़ दिया। अब वह बिजली रोती है अपने भाग्य को और काश्तकार रोता है अपने भाग्य को...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: और आप रो रहे हैं दोनों को।

श्री सज्जनसिंह: बेशक, मैं तो दोनों को रोने का भाग्य प्राप्त कर चुका हूं। जनता का प्रतिनिधि होने के कारण यह सौभाग्य कह लीजिये या दुर्भाग्य कह लीजिये वह मेरे गले आ मंढा है और मेरे गांव में 200 कुएं जिसमें काश्तकार तीन तीन फसल लेता है उनको बिजली देने के लिये मंत्री महोदय को मिन्नतें कर ली, मेरी आदत में नहीं है। मैंने एक मन्त्री महोदय को सुबह कह दिया था और बड़े मुंहफट शब्दों में कहा था आपके घर जाने में मैं अपना अपमान समझता हूं लेकिन फिर भी मिन्नतें कीं। मेरे गांव से एक मील इधर और एक मील उधर बिजली आ चुकी है। मेरे घर को आप देख चुके हैं और संकट के समय देख चुके हैं जब आपको मालूम नहीं था कि आप मंत्री बनने वाले हैं। मेरे पर कृपा करें, गरीब किसानों पर कृपा करें लेकिन आप कृपा नहीं कर सकते...

एक माननीय सदस्य: और आपने रोटी खिलाई...

श्री सज्जनसिंह: रोटी मैं नहीं खिलाता और उपाध्यक्ष महोदय, कृपा उस गांव में की है जिनके कुवों में पानी नहीं है जहां एक घन्टे से अधिक मोटर नहीं चल सकती है, वहां आपने बिजली दी है। बड़े गर्व से रेडियो पर घोषणा करवाते हैं बिजली पहुंचाने की और एग्रीकल्चर रि-फाइनेन्स कार्पोरेशन की कि यह कर दिया, वह कर दिया। ये देखकर प्रभावित होते हैं, हम करके प्रभावित होते हैं। आपने बिजली पहुंचाने का वायदा किया था तो मुझे बता दीजिये क्यों नहीं पहुंचा सके? और अगर पहुंचा भी देंगे तो मुझे मालूम है वह निर्जीव बिजली होगी जो एक घन्टे भी बराबर नहीं चलेगी। खेती करने वाला जानता है जिस समय फसल जल रही है और 24 घण्टों में एक घण्टे को दी तो आपको रोयेगा या अपने भाग्य को रोयेगा, यह भी वह अच्छी तरह जानता है। इसके

(श्री सज्जन सिंह)

सिवाय बिजली विभाग की बेगारें, कि खम्भा लावो, तार लावो हजार तरह की दिक्कतें करो और फिर उसके ऊपर बिना सोचे-समझे बिजली का बिल भेजते हैं होना चाहिये पांच रुपये का और बिल भेजते हैं 5 हजार रुपये का और दुरुस्त करने के लिए मैं दर-दर फिरता हूं तो 5 की जगह 15 का रह जाता है-यह बिजली विभाग की कुटिलता नहीं है तो और क्या है ? ये आपके अधिकारी, आपकी योजनायें सब बेकार हैं।

रानी पंचायत समिति में जो योजना इस वर्ष बनाई उसमें एक भी ऐसा गांव नहीं जिसमें 200 कुएं हों और आपने जान-बूझकर हमारे गांव को उपेक्षित किया है, इसलिये कि मैं आपके सामने नाक नहीं रगड़ता, इसलिये कि मैं आपका चमचा नहीं हूं, इसलिये कि मैं आपके घर नहीं आता हूं क्योंकि मैं ये चीजें पसन्द नहीं करता हूं, इसलिये आपने जो अपने अधिकारों का प्रदर्शन किया उसके लिये मैं केवल एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अलावा शिक्षा के लिये हमने बड़े गर्व के साथ यह कहा और इससे अधिक उनके पास है ही क्या कि केवल मात्र घोषणायें रेडियो पर करवा दें ....

एक माननीय सदस्य : पी. डब्लू. डी. की भी बात कह दें ....

श्री सज्जनसिंह : इर्रीगेशन, पी. डब्लू. डी. सबकी बात अलग अलग से कहूंगा। शिक्षा के लिये बड़े गर्व से यह कहा, हमने इस वर्ष इतनी माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करके हायर सैकेन्डरी स्कूलें बना दी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में हायर सैकेन्डरी स्कूलें नहीं होंगी और मुझे यह भी मालूम है कि मेरे क्षेत्र में सुमेरपुर में टेन्सन होने के बावजूद, लड़कों की संख्या होने के बावजूद और बड़े बड़े गांव होने के बावजूद-सुमेरपुर तहसील, बाली, सान्डेराव, तख्तगढ़, चावंल आदि में कोई भी स्कूल इनके विभाग के अधिकारियों ने खोलना उचित नहीं समझा। चरनोद की मिडिल स्कूल को बन्द कर दिया। पिछले सत्र में मैंने प्रश्न पूछा था कि किसके आदेश से बन्द हुआ तो हाउस में तो जवाब दे नहीं पाये, समय नहीं रहा और लिखित में जवाब आया है कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल के कहने से बन्द किया है। कितने महीने तक बन्द रहा, 6 महिने तक बन्द रहा और वजह क्या थी, कोई वजह नहीं थी। स्कूल चलता हुआ बन्द हो जिसकी कोई वजह नहीं हो और बताया गया इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के कहने से बन्द की गई थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हो लेकिन मंत्री महोदय के बंगले में हवा कभी गरम कभी ठंडी जैसी चाहेंगे वैसी ही आवेगी, मंत्री महोदय के पी. ए. की ड्यूटी में परिवर्तन हो सकता है, मंत्री महोदय की कार कभी खराब होगी तो इमीजियेट रिप्लेसमेंट होगी, मंत्री महोदय के बंगले में कभी जरूरत हुई तो इमीजियेट मरम्मत होगी लेकिन गांव की बालिकायें 6-6 महिने स्कूल बन्द होने के कारण इधर उधर भटकती फिरें इसकी कोई जांच करने वाला नहीं है, इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। मैंने इन्सपेक्ट्रेस महोदया से पूछा कि क्या आपकी नालेज में है कि स्कूल बन्द है जवाब दिया हां, नालेज में है, बन्द है। कारण पूछा गया तो बताया

(श्री सज्जन सह)

कि वहां के लोग गालियां देते हैं इसलिए बन्द कर दी है। मैंने कहा आप जांच तो करवा लेते आप एन्क्वायरी तो करा लेते जो दोषी था उसको सजा दे देते, उसकी शिकायत कर देते और उपाध्यक्ष महोदय, उसकी शिकायत भी हुई है उसका चालान भी पेश हो गया फिर क्या कारण है कि अभी तक स्कूल बन्द है तो जवाब मिला उस गांव में सब हिजड़े बसते हैं If I don't mistake, I have seen some officer who happend to be the Collector in Pali, in the officers' gallery here today.

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी कहा कि भाई वह स्कूल चालू करवा दीजिये, हमारे जिला परिषद् सब के माननीय सदस्यों ने कहा स्कूल चालू करवा दीजिए तब बड़ी मुश्किल से वह स्कूल चालू करवाया। तो मान्यवर, यह क्षेत्रीय असन्तुलन किस लिए है। राजस्थान को जनता जो सुमेरपुर में बसती है उस तबके ने सज्जन सिंह को वोट दे दिए, कांग्रेस को वोट दे दिया, श्रीमती इन्दिरा गान्धी की नीतियों को वोट दिया, इन्दिरा गान्धी के गरीबी हटाओ नारे का समर्थन किया, उस क्षेत्र की उपेक्षा करने का, मान्यवर, इनको अधिकार क्या है ? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं यह उपेक्षा पूर्ण नीति आप कब तक, कहां तक और क्यों चलाते रहेंगे और हमको बर्दाश्त करने के लिए आपने जो यह अनुशासन का डण्डा रखा है, उसका भी आपको बड़ा भारी दम है और मैं जानता हूं कि जिन सीमाओं के अन्दर जितनी आजादी हमें अपने विचार व्यक्त करने की इस सदन में है उसके अन्दर अपने विचार व्यक्त करने से मुझे रोक नहीं सकते। कहूंगा मैं जरूर। और यह भी मैं जानता हूं कि जब तक मैं विधायक हूं तब तक आप मेरा काम नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपकी चिलम नहीं भरता, क्योंकि मैं आपकी गुलामी नहीं करता, क्योंकि मैं आपकी चापलूसी नहीं करता क्योंकि मैं आपकी हां में हां नहीं मिलाता, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को हीन करके मजबूर करके आपसे भीख मांगने नहीं आता। जनता का अधिकार है, मेरे विचार हैं और अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अधिकार है और बुलन्दगी के साथ कहूंगा जितना आप मुझे दबाने की कोशिश करेंगे उतने ही जोरों से जनता के हकों की मांग करूंगा। यह ठीक है आप सुनेंगे नहीं तो कोई और सुनने वाला भी भारत में है वह भी मुझे मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेकर दो एक मुद्दों पर आपके माध्यम से हमारी सरकार को अपनी बातें सुना देना चाहता हूं। एक मुद्दा तो है पी. डब्लू. डी. का। जिस समय मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत, जिस समय डी. पी. ए. पी. के तहत पाली जिला भी इन्क्लुडेड है। मेरे क्षेत्र में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्दर एक सड़क मन्जूर हुई 3 वर्ष हो गए लेकिन वह सड़क पी. डब्लू. डी. के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की कृपा नहीं होने के कारण या मुझ पर मंत्री मण्डल के माननीय सदस्यों की कृपा नहीं होने के कारण सड़क आगे नहीं बढ़ रही है। केवल 6 या 7 किलो मीटर की सड़क है। आप सड़क मत बनाइये, आप सज्जनसिंह पर कृपा मत कीजिए लेकिन आप अपने कर्त्तव्यों को भुलायें मत कि आपको क्या करना है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या है ? डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम क्या है ? उस प्रोग्राम के अन्दर आपकी बातें आपके अधिकारी करते क्यों नहीं है ? इसकी

(श्री सज्जन सिंह)

आपको जांच करनी चाहिए। यहां के मंत्री जो हमारे जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम के इन्चार्ज हैं, बड़े समाजवादी हैं, बड़े प्रतिभाशाली विचारों के हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। यह बात दूसरी है कि चुनावों में वह दो सौ, चार सौ वोटों से जीतकर आये लेकिन वह दौरा करके आयें उन्होंने देखा होगा कि सड़क टूटी हुई है लेकिन वह भी उचित नहीं समझते कि वहां के पी. डब्लू. डी. स्टाफ को कुछ कहें। क्यों नहीं कहते ? श्रीमन्, मैं तो अपनी खुद की कार लेकर आता हूं। मुझे दर्द होता है कि मेरी कार की स्प्रिंग खराब हो जायेगी, मेरी कार के टायर घिसेंगे। उनको इस बात का भी दर्द नहीं है क्योंकि गाड़ी भी जनता के पैसे की और गाड़ी जनता की ताकत से चल रही है। इसलिए वह भी कोई चिन्ता नहीं करते इस बात की। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को यह पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की सड़कों की उपेक्षा आप कब तक, कितने समय तक और करते रहेंगे ? यह कृपया मुझे समझा दीजिए।

..(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक बात जवाई बांध के लिए कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राजस्थान की बहुत अच्छी मीडियम साइज की जवाई सिंचाई योजना है। अनाप-शनाप जमीन उससे सिंचित होनी चाहिए। उसका कमाण्ड एरिया इस समय तय कर रखा है। बेटरमेन्ट लेवी काश्तकारों से वसूल की है लेकिन उसकी नहरें आज भी उसी हालत में हैं जिस हालत में कि वह पहले पहल जिस समय बनाई थी उस समय बनी थी। हर साल नहरें टूटती हैं और इस साल भी नहरें टूटी और सिंचाई के फुल ब्लूम सीजन में पानी वेस्ट होता है। मजबूर होकर पानी को रोक दिया जाता है। फसल बोने से महरूम और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो सीड देता है उसको कोई गारन्टी नहीं, फर्टीलाइजर समय पर मिलता है या नहीं उसकी कोई गारन्टी नहीं। क्योंकि विकास अधिकारी के पास जो जीप है वह तो इस टारगेट को फुलफिल करने के लिये है कि सागड़ी प्रथा में कितने आदमियों का पता लगाया, कितने आदमियों को अरेस्ट करवाया ? यह भी मैं बाद में अर्ज कर दूंगा लेकिन सिंचाई की बात अर्ज कर देता हूं।

साही की योजना मन्जूर हुए कितना समय हो गया, यह तो आपको मालूम ही है। साही में पानी जब आयेगा तो हमारे क्षेत्र में पूरे कमाण्ड एरिया को बन्द कर देंगे यह भी आपको मालूम है लेकिन वह साही की योजना पूरी क्यों नहीं होती ? कब तक पूरी हो जायेगी, उसमें क्या दुविधा है ? टेक्नीशियन आपके एफीशियेन्ट हैं या इनएफीशियेन्ट। जहां टनल खोदनी चाहिये थी इधर से उधर खोद दी इधर से उधर क्रास करते हुए। इधर से गयी पूर्व में और उधर गयी दक्षिण में और वह टनल जुड़ नहीं रही है। ऐसे आपके टेक्नीशियन्स हैं और उनकी गलती के कारण वहां की जनता सफर करती जाये। हमारा पानी जो सिंचाई के लिए है वह आप जान बूझकर जोधपुर की जनता को पिलाने के लिए ले जाओ। जोधपुर की जनता के लिए पानी के दूसरे

(श्री सज्जन सिंह)
सोर्सेस टैप नहीं करें और आप गर्मी के उस मौसम में हमको मजबूर करो कि जब इन्सान प्यास से मरता हो, मवेशी प्यास से मरती हो, उस समय आप मजबूरी में यह कहलवायें कि हम नहर तोडेंगे। तो श्रीमन् अब आप बिना मजबूरी से यह सुन लें कि या तो आप बराबर पानी दीजिए और बराबर अगर पानी नहीं देते हैं तो अगली साल इसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। पानी लेने को कोई आदमी तैयार नहीं होगा और जानबूझकर हम इन्कार करेंगे कि जोधपुर में ड्रिंकिंग वाटर टैंक बनायेंगे तो सारा ही पानी जोधपुर को दीजिए और हमको जरूरत नहीं है। हम खेती करना जानते हैं। बारानी खेती करके सन्तोष कर लेंगे लेकिन यह मुर्दा खेती नहीं कर सकते। पानी देने का आपका कर्त्तव्य है और उसको आप निभाओ नहीं और आप उम्मीद करो कि अधिक पिला दिया तो तावान वसूल करेंगे। 6 साल का तावान आप एक साथ वसूल करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वसूली की बात तो और भी अच्छी है। इतने वर्ष तक आप वसूल किया करते थे रेवेन्यू एजेन्सी के द्वारा और अब आपने अपनी खुद की एजेन्सी कायम कर दी है। मैंने अधिक पानी नहीं लिया और आपने जितनी परसेन्टेज सैंक्शन की है उतना पानी लिया है और उसके बाद भी आपका पटवारी मुझ से अड़ गया कि वह सोचता है कि पहले मैं उससे राम राम करूंगा और मैं सोचता हूं कि पहले वह राम राम करेगा। तो हमारी राम राम पर बात अटक गयी और उसने गिरदावरी गलत कर दी तो मैं किस को रोऊंगा ? आपको रोऊंगा या उस पटवारी को रोऊंगा या पानी को रोऊंगा ? इसलिए आपको एजेन्सी को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। Some responsible officer will have to check that girdawari done by your irrigation department's low lying patwari.

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : आप उस खुदा को रोइये जिसने जहां को बनाया।

श्री सज्जन सिंह : मैं आपको भी रोलूंगा क्योंकि उसने आपको भी बनाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन पहले मैं आपको रोऊंगा, यह मैं बता दूं।

श्री सज्जनसिंह : यह तो कौन जानता है। जहां बनाने वाला ही जानता है कि पहले आप रोयेंगे या मैं रोऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार ने राज्यपाल महोदय के भाषण के माध्यम से अपनी नीति का जो कुछ भी विश्लेषण, लेखा जोखा किया, अपनी उपलब्धियों के लिए जो गर्व किया उसमें एक साधारण नागरिक की हैसियत से गांव के एक साधारण गरीब आदमी की हैसियत से जो कुछ लोग महसूस करते हैं उनके विचारों की अभिव्यक्ति करने में अगर मैंने आपकी कृपा का अधिक समय लेकर दुरुपयोग किया हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजपाल महोदय ने जो अभिभाषण कृपा पूर्वक

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

सदन की मेज पर रखा उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं। आज वास्तव में इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि आपातकालीन स्थिति का सर्वत्र स्वागत हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं ने सूझबूझ के साथ यह प्रावधान रखा कि जब भी अनुशासनहीनता की स्थिति हो, या असुरक्षा की स्थिति बने तो उस समय आपातकालीन स्थिति लागू की जा सके। उनको, संविधान निर्माताओं की सूझबूझ के आधार पर ही यह आपात-स्थिति का प्रावधान किया गया है, क्योंकि 26 जून से पहले कुछ एक अजीब सी स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई थी, चारों ओर हड़तालों का साम्राज्य दिखाई देता था। कई ऐसी ताकतें थीं जिन्हें हम फासिस्ट ताकतें कहते थे, उन्होंने सुसंगठित होकर हमारे प्रजातन्त्र के भवन की जो नींव थी उसमें घुस कर के उसको धराशायी करना चाहा। मुद्रा स्फीति से त्रस्त जो मानव हैं तथा बेरोजगार जो युवक थे उनके असंतोष का बेजा फायदा उठाया और इसके साथ ही उन्होंने अपने खूनी पंजे से फैला लिए थे परन्तु मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी प्रधान मंत्रीजी की सूझ-बूझ का प्रतीक है कि उन्होंने उनके ऊपर रोक लगाई तथा उनके खूनी पंजे जो निकले थे उनको प्रारम्भ में ही तोड़ दिया। मान्यवर, उन्होंने एक ऐसी आर्थिक क्रांति जनता के सन्मुख रखी। उस आर्थिक क्रांति का सूत्र-पात हुआ जिसे आज हम बीस सूत्री कार्य-क्रम कहते हैं। मान्यवर, यह बीस सूत्री कार्यक्रम जो है यह तो एक नीति है। नीति जो बनती है उसकी वास्तव में सफलता जो है वह उसके सही क्रियान्विति पर निर्भर करती है। बीस सूत्री कार्यक्रम की तुलना जो है हम भूमि में बीज डालने से कर सकते हैं। वह बीज तब तक अंकुरित नहीं हो सकता, वह बीज तब तक विकसित और प्रस्फुटित नहीं हो सकता जब तक कि चतुर माली जो है वह उसमें खाद नहीं दें पानी नहीं दें और जो कूड़ा करकट है उसको निकाल कर बाहर नहीं करे। यही सम्बन्ध है हमारी इस 20 सूत्री आर्थिक योजना का, राज्य सरकार के साथ है। राज्य सरकार ने भी यद्यपि केन्द्रीय सरकार के साथ इसमें कदम मिलाया है परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ कमियां भी हमारे पास हैं। कमियां जो मुझे देखने को मिलती हैं, ऐसे तो हमारा चिर अभिलाषित लक्ष्य गरीबी हटाना रहा है और गरीबी जो है भारत में हटाने का अभिप्राय यही है कि यहां के जो भूमिहीन कृषक हैं, भूमिहीन काश्तकार हैं, इसी प्रकार से जो श्रमिक हैं, जो छोटे-मोटे कारीगर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। तो मान्यवर, यदि हम केवल कागजों के ऊपर बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता को बताते रहें, कागजों पर कहते रहेंगे कि यह हुआ है, वह हुआ है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वास्तव में यह देखना है कि यह नीति जो है हर क्षेत्र में किस प्रकार से सफल हो रही है। मैं राज्य सरकार के उस कदम का तो स्वागत करती हूं जिसमें उन्होंने जिला स्तर पर कुछ ऐसी समितियों को बनाने का प्रयत्न किया है जो कि इस कार्य-क्रम का अवलोकन करेंगी और इस सम्बन्ध में जो है सुझाव भी पेश करेंगी। राजस्थान सरकार की यह जो नीति है, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज हम इस चौराहे पर खड़े हुए हैं जो कि हमें किस दिशा में जाना है

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

यह कार्यक्रम दिशा बताता है। यह सही है कि अगर हम इस बीस सूत्री कार्यक्रम का हू-ब-हू पालन करते हैं तो ऐसा सुन्दर रास्ता मिलेगा जिससे कि सदियों से जो भारत में गरीबी है, सदियों से जो अत्याचार हो रहे हैं उसको हम समाप्त कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यह बीस सूत्री कार्यक्रम जो है अभी तक किस रूप में हमारे सामने है। तो इसमें यह कहना चाहूंगी कि कृषकों की जो आर्थिक स्थितियों में सुधार होना चाहिए, कृषकों की जो वास्तव में स्थिति है उसमें जो सुधार होना चाहिए था वह जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। गरीब किसान आज भी अपने भूमि के कागजों को लेकर उसी प्रकार से भटकता है, उसी प्रकार से अपने पट्टे लेकर भटकता है जिस प्रकार कि पहले भटकता था। क्योंकि यदि उसको जमीन हमने आवंटित की है जो आवंटन ऐसे-ऐसे स्थान पर की है जो एक्स है और जो पटवारी महोदय के द्वारा जमीन ऐसे स्थान पर बताई जाती है जो वाई पर है अब क्स पर उसका नाजायज कब्जा बता कर उसको परेशान किया जा रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार शासनतंत्र में जो एक अव्यवस्था हमें दिखाई देती है उसका कारण यही है कि अभी तक शासनतंत्र में उतना परिवर्तन नहीं आया है जितना कि आना चाहिए था। शासनतंत्र अभी भी उसी प्रकार से उपनिवेशवादी व्यवस्था का एक स्वरूप सा हमें दिखाई देता है। मान्यवर, बोतल वही है, बोतल वही है, केवल लेबल बदल गया है। तो ऐसी स्थिति में नौकरशाही इन नीतियों को सफल नहीं होने देंगे। यद्यपि····

(व्यवधान)

क्या हो गया।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : देवपुराजी से कह रहा हूं कि जरा सुन लें।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : तो मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि हम एक छोटे काश्तकार के लिए, लघु काश्तकार के लिए, सीमान्त काश्तकार के लिए नीतियां तो बहुत ही सुन्दर रूप में बनाते हैं पर हमारी नीतियां उस शासनतंत्र में उलझ करके रह जाती हैं। उसको वह वास्तविक सफलता नहीं मिल पाती जितनी कि मिलनी चाहिए। मैं एक बात और भी निवेदन कर देना चाहती हूं कि हमारा जिला प्रशासन जो है एक बहुत लम्बी कड़ी है और उस कड़ी के आखिरी सिरे पर पटवारी है और सबसे ऊपर की जो कड़ी है उस पर जिलाधीश महोदय बिराजमान हैं। मान्यवर, हमने उपनिवेशवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, हमने सामंतशाही व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, उन नरेशों को समाप्त कर दिया पर आज इसके आगे यह जिलाधीश शब्द क्यों है मैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहती हूं कि इसके स्थान पर जिला सचिव शब्द रखना अधिक उपयुक्त होगा। यह जो शासनतंत्र है इसमें जिलाधीश महोदय भी वही बात फरमायेंगे जो कि पटवारी कह रहे हैं। तो यह लम्बी-चौड़ी शृंखला है, इतनी लम्बी-चौड़ी कड़ी है, इसकी आवश्यकता क्या है? मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमें बीस सूत्री कार्यक्रम को यदि सफल करना है तो हमें काश्तकारों

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
की ओर ग्रामीण व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करना होगा। वरना कृषकों की स्थिति सुधारे बिना समाजवाद की बात करना मृग तृष्णा मात्र होगी। मान्यवर, यद्यपि हमने आर्थिक विकास के बहुत से कार्य किये हैं परन्तु ऐसे गरीब लोग भी हैं जिन्होंने जन्म के बाद यदि सूर्य की किरण के बाद दूसरी चीज देखी है तो वह देखी है मात्र गरीबी। राज्य सरकार को इस क्षेत्र में और अधिक प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। यद्यपि जन प्रतिनिधि इस बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में···

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : यदि किसी बात के लिए कहते हैं तो हर चीज में···

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : कानूनी अड़चन बताई जाती है और इस प्रकार की कानूनी अड़चन मानो हम कानून के लिए बने हैं, कानून हमारे लिए नहीं। इसलिए हमें इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन को लाने की आवश्यकता है। यदि हम लोकतंत्र को संवारना चाहते हैं, यदि हम वास्तव में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें यह जो शासनतंत्र है, इसमें एक विशेष प्रावधान करना पड़ेगा। इसमें विशेष परिवर्तन करना पड़ेगा और खासतौर से जो प्रशासक वर्ग है, उस प्रशासक वर्ग को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने आपको भारतीयता के रंग में रंगना पड़ेगा तभी जाकर यह बीस सूत्री कार्यक्रम सफल हो सकता है। बीस सूत्री कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह भी है, समाज में समानता लाना पूर्ण समानता लाना तो बहुत कठिन है परन्तु यह जो असमानता की खाई है उसको कुछ हद तक पाटा जा सकता है। उस असमानता की खाई को पाटने के लिए यद्यपि राज्य सरकार ने बहुत से प्रयत्न किए हैं, सीलिंग कानून को बहुत अधिक मजबूत बनाया है, उसका मैं स्वागत करती हूं। परन्तु मान्यवर, सीलिंग से हमें ऐसी जमीन उपलब्ध हुई जो कि व्यर्थ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी ऐसी जमीन मिली है जो पहाड़ी और बंजर भूमि है, जिसको लेना कोई पसन्द नहीं करता है। और फिर ऊपर से उस भूमि का मूल्यांकन इतना अधिक किया गया है कि एक साधारण काश्तकार उसको नहीं ले सकता है। इसके साथ-साथ कुछ व्यक्ति यह आलोचना भी करते हैं कि यदि हम छोटे-छोटे फार्म बनाते चलेंगे तो यह अनार्थिक जोत होगी और उससे उत्पादन अधिक नहीं होगा। परन्तु मान्यवर, यह बात गलत और भ्रान्तिपूर्ण है। जापान का उदाहरण लें, फिलीपाइन्स का उदाहरण लें। वहां सबसे बड़ा फार्म दो हेक्टर का है। जब वहां पर आदमी एक विशेष तरीके से खेती कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्रश्न यह नहीं है कि भूमि की मात्रा क्या हो? प्रश्न यह है कि खेती की तकनीक क्या हो? क्या हमने हमारे यहां पर किसी प्रकार से खेती की तकनीक को बढ़ाया है? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है क्योंकि

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

हमने हमारे यहां पर जो छोटी-छोटी जोतें हैं उनके लिए विशेष प्रकार की जो सुविधा होनी चाहिये यानी उनको उपयुक्त समय पर बीज, खाद की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, क्या हमने यह सब किया है इनके लिए? बिजली का प्रश्न है, बहुत अधिक अच्छी उपजाऊ जमीन है परन्तु काश्तकारों को बिजली नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि नयी तकनीक का इस्तेमाल हो तो मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार अन्य चीजों में कटौती कर के कम से कम बिजली की व्यवस्था काश्तकारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर कर दें।

एक और प्रश्न हमारे सामने पैदा होता है कि क्या आपातकालीन स्थिति के बाद राजस्थान में अनुशासन है? यद्यपि मान्यवर, सब जगह अनुशासन का एक रंग दिखाई देता है विद्यार्थी, काश्तकार, श्रमिक अनुशासित हैं परन्तु एक प्रश्न दिमाग में पैदा होता है कि क्या पूंजीपति अनुशासित हैं? इन पूंजीपतियों का उदाहरण लें, अधिक से अधिक जितना शोषण इस आपातकालीन स्थिति में श्रमिकों का हो सका, किया है। जितना शोषण इस आपातकालीन स्थिति में काश्तकारों का हो सका, इन पूंजीपतियों ने किया है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कोई मनगढ़न्त बात कह रही हूं। मान्यवर, ऐसे तथ्य मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहती हूं। दो उदाहरण हैं–शक्कर को जो फैक्टरी है शुगर मिल तथा सीमेन्ट फैक्टरी, इन दोनों के उदाहरण यहां पर रखूंगी। राजस्थान में तीन शुगर को मिल्स हैं एक तो गंगानगर में, दूसरी कोटा जिले में केशोराय पाटन में और तीसरी चित्तौड़ जिले में भोपालसागर में। भोपालसागर में जो चीनी की मिल है वहां पर किस प्रकार से मजदूरों, काश्तकारों का शोषण किया जा रहा है। यह एक ज्वलन्त उदाहरण है। वहां पर काश्तकारों को कम से कम उनके गन्ने का मूल्य दिया जाता है। अब जो गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है वह 10 रुपये 50 पैसे किया गया है जबकि पिछले साल इसका मूल्य निर्धारित किया गया था, तेरह रुपये। अब मान्यवर सवाल यह आता है कि क्या इस समय, इस आपातकालीन स्थिति में क्या शक्कर का मूल्य गिर गया, क्या सरकार ने लेवी बढ़ा दी कि इस प्रकार से गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है। जब हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से मजदूरों, काश्तकारों का शोषण हो रहा है तो मान्यवर दुःख होता है। मान्यवर यह भी एक विडम्बना है कि लकड़ी का मूल्य बीस रुपये क्विन्टल है और गन्ना जिसको काश्तकार बड़ी मेहनत से पैदा करता है, सर्दी के दिनों में, कड़ाके की सर्दी में अपना रक्त गन्ने को पिलाता है और गर्मी के दिनों में भी किसान अपनी पसीने की बूंदों से उसको सींचता है वह किसान जब उसको बेचने को जाता है तो वह उतना मूल्य भी नहीं पाता है जितना की वह उसके प्रोडक्शन में खर्च करता है। क्या राज्य सरकार उसको उचित मूल्य नहीं दिला सकती है? क्या इस गन्ने के मूल्य को निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सकती है? मैं यह कहना चाहती हूं कि इस प्रकार की जो फैक्टरीज हैं उनका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिये और यदि नेशनलाइजेशन नहीं करें तो उनमे प्रतिस्पर्द्धा करें। यू. पी. में खडसारी की यूनिट्स हैं। क्या इसी प्रकार

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
की यूनिट्स हम यहां पर नहीं बना सकते हैं ? हमें इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये ध्यान देना होगा।

दूसरा उदाहरण सीमेन्ट फैक्टरी का है। चित्तौड़ में बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी है। उस बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी में मजदूरों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है इसके बारे में कई दफा यहां पर निवेदन कर चुकी हूं। किस प्रकार से आज के युग में भी पूंजी श्रम को कुचल रही है। पूंजी के आधार पर इन मजदूरों की यूनियन को समाप्त किया जा रहा है। खासतौर से मजदूरों की यूनियन को समाप्त करने के लिये कई प्रकार के षड्यन्त्र रचे जाते हैं। आज बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी चित्तौड़ में मजदूरों का जितना शोषण हो रहा है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। एक प्रकार मैं यह कहूं कि आज वहां पर मजदूरों को कुचलने का खुला तांडव नृत्य हो रहा है और आपके एक्स चीफ सैक्रेटरी इस नृत्य का बिगुल बजा रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार एक बार पहले भी विधान सभा में······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जेड.एस. झाला हैं और मेरे यहां पर भी ऐसी कार्यवाही कर चुके हैं।····

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : पहले भी यह निवेदन किया है कि बिड़ला सीमेंट फैक्टरी में कोई आटोमेटिक काउन्टिंग प्लान्ट हो। कोई प्लान्ट है क्या ? क्या सीमेंट बनाते हैं तो आटोमेटिक काउन्टिंग प्लान्ट नहीं बनाया जा सकता है ? निश्चिततौर से जो डस्ट बनती है उसको कन्ट्रोल करने के लिए डस्ट कन्ट्रोल प्लान्ट लगाया जा सकता है परन्तु यदि लगा दिया जाता है तो उस स्थिति में वे सीमेंट की कालाबाजारी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जायेगा कि 30 परसेन्ट सीमेंट डस्ट में उड़ गयी। फिर किस प्रकार वे कालाबाजारी सीमेन्ट की करेंगे और किस प्रकार पूंजीपति इन श्रमिकों का शोषण करेंगे। यह सब कैसे होगा। आज यद्यपि बीस सूत्री कार्यक्रम में यह बात कही है कि श्रमिक लोगों का फैक्टरी में प्रतिनिधित्व होगा। मान्यवर, सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है वरना पूंजीपति लोग कभी भी वास्तविक श्रमिकों को मेनेजमेंट में नहीं पहुंचने देंगे। पैसे के बल पर, पैसे की चमक के आधार पर, पैसे की खनखनाहट के आधार पर इन वास्तविक मजदूरों को कुचल देंगे। इस ओर राज्य सरकार को विशेषरूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यही हाल आपकी सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी का है। वह बहुत अधिक दिनों से बन्द पड़ी है। मजदूर बेकार हैं। इस प्रकार की जो फैक्टरियां हैं उनको नेशनलाइज किया जाना चाहिए। नेशनलाइजेशन के के लिए कदम उठाना होगा।

इसके अतिरिक्त मैं दूसरे पहलू पर बात करना चाहती हूं। गांधीजी ने एक बात कही थी कि भारत मां गांव में निवास करती है अर्थात् हमारी 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और यह गरीब हमेशा गरीबी की छाया में ही जिन्दा रहा है और भाग्य की रेखा में ही उलझते-उलझते उसने दम तोड़ दिया है। इन गांवों के व्यक्तियों के लिए आपने पीढ़ियों के ऋण

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
को समाप्त करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार का हृदय से स्वागत करती हूं परन्तु मान्यवर एक बात और कहना चाहती हूं कि हमने इस चीज को समाप्त किया, उसके स्थान पर एक और पेरेलल ऐजेन्सी कायम करनी चाहिए। एक गरीब का मकान बनाने के पहले अगर उसका झोपड़ा गिरा दिया जाये, उस स्थिति में वह ऋण नहीं ले सकता। हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उसमें काश्तकार को किस परेशानी से लोन मिलता है, कितनी परेशानी से मिलता है, यह सब जानते हैं। इस पर बहुत अधिक कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है।

हमारी जो सहकारी समितियां हैं जिनके बारे में एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी की जाती है, बहुत अधिक उनके बारे में यह कहा जाता है कि सहकारी समितियां जो हैं उनको एक विशेष प्रकार का ऋण दे रही हैं, परन्तु, मान्यवर, उनमें भी निहित स्वार्थ वाले लोग घुसे हुए हैं, उन निहित स्वार्थ वाले लोगों ने हर बार का, हर आन्दोलन का लाभ उठाया है। गरीब आदमी के नाम पर, आम आदमी के नाम पर सम्पन्न वर्ग ने फायदा उठाया है। इसलिए राज्य सरकार को इसकी ओर विशेषतौर से ध्यान देना चाहिए। जैसा कि एक और माननीय सदस्य ने कहा था कि ऋण देने के दूसरे तरीके अख्त्यार किये जा रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी मुझे यह बात देखने को मिली है कि वह व्यक्ति जो कि पहले ऋण देता था वह ऋण तो दे रहा है लेकिन दूसरी चीजों के माध्यम से दे रहा है; कपड़े के माध्यम से दे रहा है और कपड़े के मूल्य में ही ब्याज जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं उन पर कड़ा नियन्त्रण होने की आवश्यकता है।

अब प्रश्न उठता है कि हम ऋणग्रस्तता को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऋण लिया जाता है इसके लिए खास तौर से बात यह है कि हर व्यक्ति में दिखावे की भावना होती है। वह हमेशा अपने आपके ऊंचेपन का दिखावा करना चाहता है। खासतौर से ऋणग्रस्तता का कारण हमारे सामाजिक रीति-रिवाज हैं। हमें उन रीति-रिवाजों पर रोक लगानी होगी, उनको परिवर्तित करना होगा। यद्यपि हमने कई ऐसे कानून बना दिये हैं, लेकिन वह कानून को पुस्तिका के पृष्ठ मात्र हैं। दहेज प्रथा के बारे में हमने कानून बना दिया, परन्तु सबसे अधिक जो ऋण लिया जाता है वह दहेज प्रथा के कारण लिया जाता है। दहेज प्रथा के खूनी पंजों के आधार पर हर व्यक्ति ऋणग्रस्तता के चंगुल में फंसा हुआ है। आज हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। क्या आज हम यह हिम्मत कर सकते हैं कि कोई नवयुवक जो दहेज लेने की बात करता है उनको राज्य सरकार की नौकरी में, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इन्डस्ट्रीज की नौकरी में रोका जाय। कोई ऐसा कर्मचारी है जो अपने बेटे के विवाह में दहेज मांगते हैं तो उस कर्मचारी को सरकारी नौकरी से निकाल सकते हैं जो कि दहेज की मांग करता है। इस संबंध में इस सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनसे कहना चाहती हूं कि इसका उदाहरण स्वयं अपने को प्रस्तुत करना होगा और उसके पश्चात् इसके बारे में प्रयत्न करना चाहिए।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

सागड़ी प्रथा के उन्मूलन के लिए हमने एक सराहनीय कदम उठाया है। ग्रामीण व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए हमने साढ़े पांच लाख भू-खण्डों का आवंटन किया है, लेकिन जो भू-खण्ड दिये गये हैं उनका क्षेत्रफल बहुत कम है। इस प्रकार के भू-खण्डों में मकान बनाने के लिए और पशु वगैरह रखने की जगह बनाने की बात सम्भव नहीं है।

यद्यपि हम कई व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए लोन देने की बात सोचते हैं। उनको सोसाइटीज बनाई गई हैं। एल. आई. सी. द्वारा लोन किसी-किसी सोसाइटीज को तो दिया गया है और किन्हीं को नहीं देने की वजह से मकान बनाने की बात केवल कल्पना में हुई है, वास्तविकता में नहीं हुई। वास्तविकता में हो इसका उन्हें प्रबन्ध करना चाहिए। इसके साथ ही चार हजार रुपये जो एल. आई. सी. से मिलते हैं उनका एक प्लान बनाया जाता है वह प्लान ऐसा है कि 10–15 हजार रुपये व्यय करने के बाद भी मकान नहीं बनता है। वह गरीब आदमी जो 100 रुपये भी कर्ज लेकर आया है वह इस प्रकार के मकान का प्लान कैसे बना सकता है। यदि उसने इस प्रकार का प्लान नहीं बनाया है तो ऐसी स्थिति में बाकी की किश्तें नहीं मिलेगी। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि जो स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हों, जो स्थानीय सामग्री हो उस प्रकार के मकान बनाने की छूट हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : दो मिनिट और लूंगी। कई माननीय सदस्यों ने तो बड़ा लम्बा समय लिया है।

मान्यवर, विशेषतौर से ग्रामीण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगी, और वह यह है कि तीव्र नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसको हमें रोकना पड़ेगा। आप जरा अन्दाजा लगाइये कि आज की रेवेन्यू का जो प्रतिशत है वह 48 प्रतिशत गांवों से मिलती है। 48 प्रतिशत रेवेन्यू हमारी गांवों में मिलती है, परन्तु गांवों के विकास के लिए 48 प्रतिशत क्या आप खर्च करते हैं तो प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होगा। तो यही कारण है कि गांव उजाड़ होते जा रहे हैं और गांवों का उत्पादन और अन्य चीजें जो कुछ भी हैं वह सारी की सारी नगरों की ओर बढ़ रही हैं। इस प्रकार से नगरों में विशेषतौर से एक समस्या पैदा हो गई है, तो मान्यवर, मास्टर प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें तीव्र नगरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांवों को विकसित करना पड़ेगा। हम विकास की जो बात सोचते हैं वह नगरों की सोचते हैं, यदि कोई उद्योग लगाने की बात सोचते हैं तो नगरों की सोचते हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेज बनाने की बात सोचते हैं तो नगरों की सोचते हैं। ग्रामीण विकास के लिए भवन बनाने की बात हो तो आप पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन से बनायेंगे, अन्य कोई जरिया नहीं है। तो मेरा सुझाव यह है कि अधिक नहीं तो कम से कम हमारी रेवेन्यू का 48 प्रतिशत गांवों को मिलना चाहिए। वह गांवों पर खर्च होना चाहिए तभी जाकर हम गांवों के विकास की बात कर सकते हैं।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
और हमारे उद्योग जो हैं वह भी विकेन्द्रीकृत होने चाहिए। खास तौर से नये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने चाहिए तभी जाकर तीव्र नगरीकरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शहरीकरण, नगरीकरण नहीं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : नगरीकरण भी बोलते हैं ! यदि आपको जानकारी नहीं हो तो आप जानकारी कर लीजिये कि नगरीकरण भी बोलते हैं।

मान्यवर, जो विद्यार्थियों में भटकाव की प्रवृत्ति है, वह पहले भी थी उसमें कमी अवश्य आगई है, क्योंकि उनको हर चीज जो है वह निश्चितरूप से कन्ट्रोल्ड रैट पर मिल जाती है, इसलिए उनमें जो इस प्रकार की अनुशासनहीनता थी उसमें कमी आने की वजह से एक अच्छा आसार दिखाई देता है। अभी हाल में ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजस्थान की 30 कॉलेजों की 500 छात्राओं ने राष्ट्र सेवा योजना के तहत वहां पर कैम्प लगाया। उन्होंने सुबह प्रतिदिन उठकर सन्ध्या तक गांवों में जाकर बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में और समाज की बुराइयों के बारे में व ी स्थानीय जनता को जानकारी दी। उसके संबंध में बहुत कुछ पब्लिसिटी नहीं हुई। पता नहीं अखबार वाले उसके बारे में मौन क्यों रहे ? परन्तु यह कार्य जो था वह बड़ा सराहनीय कार्य हुआ। मैं राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में तारीफ करती हूं और उन्हें बधाई देना चाहती हूं कि इस प्रकार से नगरीय और ग्रामीण जनता के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई थी, इस प्रकार के र्यक्रमों से इस खाई को कुछ अंशों तक पाटा जा सकता है। इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी बधाई के पात्र हैं, और खासतौर से जो कैम्प की आर्गेनाइजर थी, श्रीमती चौधरी, वह इसके लिए बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने इस प्रकार का पेटर्न कायम किया जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उन लोगों का पार्टीसिपेशन भी हुआ। परन्तु इस क्षेत्र में मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष समाप्त हो गया है, परन्तु उसकी प्रेरणा अभी शेष है इसलिए ऐसे कैम्प केवल एक साल ही न लगाये जायें, प्रतिवर्ष इस प्रकार के कैम्प लगाये जाने चाहिए। उनमें साथ ही साथ ग्रामीण व्यक्तियों•••

श्री ओंकार लाल चौहान (डग) : डिकेड मनाने की बात है। वह 10 साल तक मनाया जायगा।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण व्यक्तियों का इसमें पार्टीसिपेशन हो और साथ ही शहरों का•••

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो सैकण्ड।

शहरों के रहने वाले विद्यार्थी हैं वह सीखें कि किस प्रकार से खेती की जा सकती है, किस प्रकार की वह व्यवस्था है तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं•• मान्यवर, एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी कि जो हम यह बात कहते हैं कि शिक्षा व्यवसायिक होनी चाहिए। परन्तु बार बार बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे शिक्षा मन्त्री जो स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि व्यवसा-

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
यिक शिक्षा पद्धति को लागू कर सकें। जो नई योजना 10+2+3 को लागू नहीं करें तो उसका क्या उपयोग है। आपको वह अभी से लागू करनी चाहिए उसको पोस्टपोन करने की बात दिमाग में कैसे आयी। इसको दिमाग में से निकाल देनी चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : क्या 10-2-3 ?

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : यह 10+2+3 है। छोटे बच्चों को छोटी क्लास से लेकर 10 वर्ष तक सामान्य शिक्षा। 2 वर्ष व्यवसायिक शिक्षा। फिर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। 3 वर्ष तक ग्रेजुएशन के लिये विशिष्ट शिक्षा। यह नई शिक्षा पद्धति है।

एक माननीय सदस्य : समझ में आया।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : राजस्थान विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, उनके व्यक्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। माननीय सदस्या ने और कई माननीय सदस्यों ने भी इस पर प्रकाश डाला है। वह आनन्दमार्गी हैं। यदि वह इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो उनको एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है। (हर्षध्वनि) अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष श्री यशवन्तसिंह नाहर।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय ··

श्री उपाध्यक्ष : वह कुछ अस्वस्थ है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जो उपलब्धियां पुस्तक में बता दी गई है, उन पर मैं कुछ कहूं यह अच्छा नहीं लगता है। जिस माने में मैं कुछ कहना चाहता हूं, वह मेरे कुछ सुझाव हैं। एक सुझाव यह है कि उपलब्धि के नाम पर राज्यपाल महोदय भूल गये हैं, एक ही चीज है। मिनिमम वेजेज एक्ट बराबर है। अच्छा होता कि उसके बारे में कहते तो मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कांग्रेस के और विरोधी लोग भी हैं, जो कि एक गाली निकाला करते हैं। वह यह कि हम बड़े एडवांस हैं। इतने एडवांस हैं कि दूसरा हमारे सामने कोई है ही नहीं। वह अफसरों के बारे में कहा करते हैं कि यह लालफीता शाही है। यह रैड टेपिज्म है। वह प्रतिक्रियावादी है। मेरी राय यह है कि इसको अब बिल्कुल भूल जायें। जो दोषी थे, उनको निकाल दिया गया है। अफसरों और दूसरों को मिलाकर 1906 निकाले गये हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : अब बाकी नहीं रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनमें कितने आर. ए. एस. और कितने आई. ए. एस. हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप तो गालियां निकालते थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम गालियां निकालते थे, वह बरकार है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप अपनी जुबान बन्द कर लीजिये। जितने रह गये हैं, वह ठीक हैं। जो ठीक हैं वह रह गये हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गालियां निकालना बन्द करें। कवियों से कहें कि उन पर कविता लिखें। यह बडा महान ऐतिहासिक अवसर है। जब एक शताब्दी हो जायगी तब लोग यह कहेंगे कि जो गलत अफसर थे वह अच्छे से अच्छे थे और कोई गलत नहीं है। राज्य अफसरों पर जमा है। यह इतिहास में लिखा जायगा जिन छोटे अफसरों को निकाला गया है वह अच्छे अवसर थे। हमने गलती की है, उनको गाली निकाली है। अब उनके बारे में यह नहीं कहना चाहिये। कवियों को कहो कि उन पर कविताएं लिखें। इतिहास उन्हें याद रखेगा। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है, बहुत अच्छे अफसर थे। उनको गालियां निकालना बन्द करें।

दूसरा मेरा निवेदन है, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की भूमि है। डी. एस. लोकनाथन ने राजस्थान की भूमि के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन यहां के इर्रीगेशन के बारे में हमें सोचना चाहिये। एक लाख, छप्पन सौ तेरह काश्तकार हैं। ढाई एकड़ जमीन एक फसली है और 18 एकड़ 2 फसली है। इनको छोड़ दिया जाये। बाकी 4 जिलों में जितनी ढाई सौ एकड़ से ज्यादा जमीन रखने को कहा है। उन्होंने जमीन के सम्बन्ध में भी फीगर्स दिये हैं। 91.7% 50 बीघा से नीचे और 61.5 प्रतिशत मार्जीनल फार्मर्स हैं। जिनकी सालाना इनकम बिलो दी पावर्टी लाइन है। उनका इर्रीगेशन नहीं होगा। तो क्या वह अपना करम फोड़ेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि माइनर इर्रीगेशन करें। कम्युनिटी डेवलपमेन्ट करें। 176 पंचायत समितियों का सर्वेक्षण करा लिया है। सारा पानी खेत पर जायगा। मैं भी जमीन एलॉटमेण्ट कराके आया हूं। शायद जमीन में कुछ पैदा होगा या नहीं। इसके लिए फिर वेल डवलप करने की आवश्यकता है। तब जाकर गरीबी दूर कर सकेंगे। नहीं तो जो राजस्थान का लैण्ड डवलपमेण्ट करते जायेंगे, वह बिना माने होगा। इससे कुछ ठीक होने वाला नहीं है। 40 प्रतिशत माना जाता है। 60 प्रतिशत राजस्थान कैनाल आगे बढ़ी है। 12.5 प्रतिशत और 60 प्रतिशत हमारे हाथ में है ढाई परसेन्ट इन मार्जिनल का है। क्या करना चाहते हैं, आप। इस प्रकार से आप इन गरीबों की हालत नहीं सुधार सकते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था। अब फिर निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर उदयपुर के डिप्टी रजिस्ट्रार आये। कोआपरेटिव सोसाइटी के बायलाज ही नहीं हैं। कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट की स्थिति यह है कि उनको साधन ही नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह बनियापन की बात है। बनिया मैं भी हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बनिया तो ...

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दुर्भाग्य यह है कि यह भी बनिया हैं। (श्री गोटेवाला की

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

ओर संकेत) शिड्यूल कास्ट को जमीन देते हैं तो वह खेती नहीं करते हैं। क्या करेंगे, कहां से करेंगे। इसलिए निवेदन है कि कोग्रापरेटिव या कम्युनिटी बेसिस पर नहीं कर सकते तो राजस्थान की गरीबी को दूर करने का कोई आधार नहीं बन सकता है। जमीनें जो आप अलॉट कर रहे हैं और जो जमीनें अलॉट की हैं, यह आपने बहुत अच्छा किया है। जिस प्रकार से आपने अलवर का लिया है और अन्य जगहों को भी लिया है बहुत अच्छा हुआ है, जनता भी इसको अच्छा कहेगी। लेकिन मैंने रेडियो पर सुना कि आधा एकड़ को आपने वायबिल यूनिट माना है, यह मेरे समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है, यह मैं सोच भी नहीं सकता। अब मैं यह निवेदन करूंगा, 20 सूत्री कार्यक्रम पर तो बहुत हो गया है, कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं, अधिक समय न लेकर भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो टीनेन्सी लॉ है, यह काम सही ढंग से पूरा तभी हो सकता है जबकि पुराने टीनेन्सी लॉ में पूरा परिवर्तन, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो अभी तक नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि इस सेशन में और बजट सेशन में भी इसके सम्बन्ध में कोई बात विचार करने के लिये नहीं आ रही है और यही राज्य सरकार की नीति है तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को साफ कर दें, स्पष्ट करें। तीसरा निवेदन यह करना है कि यह जो सीलिंग लॉ है, या और जितने भी आर्डिनेन्सेज आपके सामने आये हैं, मैंने अभी तक जो देखे हैं, पांच–सात दिनों में असेम्बली में पेश होने वाले, मैंने बुक सेलर के यहां भी मालूम किया और गवर्नमेन्ट रेकार्ड में भी अप्टूडेट लॉ नहीं मिल रहे हैं। सीलिंग लॉ के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में जितने भी लॉ और रूल्स हैं उन सबके होते हुए भी आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, इसके लिए हम माननीय सदस्यों की बुद्धि का लाभ नहीं ले सकेंगे, लेकिन बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस बात की। सारे लॉ अप्टूडेट मिलने चाहिए और सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिससे वे इस विषय में पूरी तैयारी कर सकें और अपने विचार सदन के सामने रख सकें। नहीं तो इसका सही उपयोग बहुत मुश्किल हो जायगा। सीलिंग लॉ आपका सन् 59 से उलझा हुआ पड़ा है और यह संभावना है कि लॉ डिपार्टमेन्ट या रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने जो कर दिया उनके आधार पर सही उपयोग या उसकी मन्शा स्पष्ट नहीं हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को अप्टूडेट लॉ देकर उनको कान्फीडेन्स में लाना चाहिए पूरी तरह से। इन्हीं शब्दों के साथ, और जितने भी बड़े परिवर्तन राज्य सरकार ने सुधार के लिये किये हैं और राजस्थान में जो सुधार के काम हुए हैं इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते 21 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत। लेकिन आइन्दा वर्षों में और भी कई काम जैसे ट्राइबल डवलपमेन्ट का है और बहुत से बड़े काम हैं, इन्हीं सुझावों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव

(श्री मोहरसिंह)

प्रस्तुत किया गया है मैं उसके विरोध में अपने कुछ विचारों का इजहार करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला तो यह कि इमर्जेन्सी लगाने का औचित्य बताया गया है और उसके पश्चात् 20 सूत्री कार्यक्रम जो आर्थिक कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत राज्य की क्या उपलब्धियां रही और आगे क्या प्रोग्राम है यह बताया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमर्जेन्सी लागू करने के जो कारण प्रस्तुत किये जाते हैं उनसे भिन्न हमारी मान्यता है। कांग्रेस गवर्नमेन्ट की वर्षों की गलत आर्थिक पालिसीज के कारण जनता को रोजमर्रा की जिन्दगी चलाने में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी और उन कठिनाइयों के परिणामस्वरूप जनता के रोष का उभार काफी बढ़ चुका था उसको दबाने के लिये यह कहकर कि देश के सामने संकट है और सरकार के सामने संकट उपस्थित हो गया है, उनकी कठिनाइयों से उभरे रोष को फेस करने के लिये, उनकी भावनाओं को दबाने के लिये प्राथमिक तौर पर इमर्जेन्सी लागू की गई। उसके साथ ही साथ चार और भी आये, कुछ मुद्दों के, कुछ विषयों के साथ में आर्थिक नीतियों को गलत ढंग से कांग्रेस ने रखा और गलतियां की, उनके परिणामस्वरूप वन-पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ जो कांग्रेस का नजरिया है वह भी एक कारण है। उसके साथ ही जैसा कि पहले बतलाया गया, गुजरात के चुनावों में कांग्रेस की हार और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो फैसला हुआ उसके कारण भी कांग्रेस में अन्तर्द्वन्द फैल गया, इसको चाहें माने या न माने, यहां भी हाउस में यह व्यक्त किया है कि कांग्रेस के बहुत से एम.पी. भी यह महसूस करते हैं कि कुछ लोग सत्ता को उलट रहे हैं या कांग्रेस की हुकूमत को बदलना चाहते हैं, उनको मिटा देंगे। लेकिन इन सबके बावजूद भी अन्तर्द्वन्द कांग्रेस में इतना बढ़ गया कि आखिर इसके परिणामस्वरूप देश में इमर्जेन्सी लागू करनी ही पड़ी उपाध्यक्ष महोदय इमर्जेन्सी के दूसरे दिन हो रेडियो प्रसारण में प्रधान मंत्री साहिबा यह एलान करती हैं और छूट देती है कि मुनाफाखोरों को और सरमायादारों को चाहे वे देश में हों या विदेश में हों, पूंजी का और नेशनाइलेजेशन नहीं होगा, तरह तरह की और भी चीजें की जाती हैं। लेकिन हमको यह समझना चाहिए इन बातों से, सारे मसले पर विचार करते हैं इनकी गलत नीतियों पर तो इनको आगे से रोकना चाहिए क्योंकि हमको समाजवादी पेटर्न पर आगे बढ़ना है। कांग्रेस ने जनता को कई वायदे दिये हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जितना कहना सही है, करना उसके विपरीत है। जाना चाहते हैं जयपुर और रास्ता दिखाते हैं लुहारू का, नहीं पहुंच सकते। देश को समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में लटका रहे हैं आज दुनियां में साढ़े तीन अरब में से एक अरब 50 करोड़ की आबादी में समाजवादी व्यवस्था कायम हो चुकी है। हम इस बात को मान रहें हैं कि समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन यह भी नहीं मानना चाहिए कि पूंजीवाद मर चुका है। सांप मरते मरते भी फण दिखाता है। अमरीका आज दुनियां में जगह जगह जाल बिछाकर समाजवाद के रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। उपाध्यक्ष

Page No 53

(53)

(श्री मोहरसिंह)

महोदय, सबसे पहले इमर्जेन्सी के सवाल पर मैं दो शब्द कहूंगा। एक तरफ हम कहते हैं कि प्रजातन्त्र है। सवाल है कि क्या हम प्रजातन्त्र के उसूलों पर चल रहे हैं? हमारे पुराने बुजुर्ग साथी जिन्होंने सामंतवाद का मुकाबला किया है, कई वर्ष जेल में काटे हैं आजादी के लिये वे आज जेल में बैठे हुए हैं। आप सोचते हैं कि इससे आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे कदम वर्तमान में उधर तो नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए विरोधी का काम तो विरोध करना है। आप विरोधी का मुंह बन्द करेंगे तो यह सही नहीं है। हमें संजीदगी से सोचना चाहिए।

आज अखबार में अध्यादेश पढ़ा। एक तरफ प्रजातन्त्र का नारा है। पर इस बात से इन्कार नहीं करते कि देश में इस प्रकार के तत्व हो सकते हैं जिनके दिमाग में कुछ गलत बातें होती हैं, कई आदमी गंदी भावना रखते होंगे किसी को मारने की प्रकृति सोच ले। किसी प्रकार से हिंसात्मक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। यह मेरी समझ में नहीं आया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को लेकर संजीदगी से सोचना चाहिए कि हमारे कदम गलत रास्ते पर न ले जायं। क्या हम खुद फासिस्टवाद की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? जगह जगह फासिस्ट विरोधी सम्मेलन कर रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर कहें कि आप फासिस्टवादी कदम नहीं उठा रहे हैं? सबको एक डंडे से हांका जा रहा है। सारी सिविल लिबर्टीज को छीनने लगे हैं। 19, 21 के अधिकार छीने जा रहे हैं, बातचीत नहीं कर सकते। यह सही है कि यहां बोलने का मौका मिलता है और आप कहेंगे कि तुमको छोड़ा हुआ है, यह गवर्नमेंट पोलिसी है। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के एम.एल.ए. को वामपंथियों के प्रचार के लिए इस प्रकार से दिखाने के लिए छोड़ा है। कलकत्ता में हमारे ज्योतिर्मयबसु पेरोल पर है। एक त्रिपुरा का एम. एल. ए. पहले गिरफ्तार हुआ था, बाद में छोड़ा। पूनमियाजी को भी गिरफ्तार किया हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस दौर में जा रहा है? कितना इम्पलीमेंटेशन हुआ है आप प्रजातंत्र पर चलते जा रहे हैं, रोजाना नए-नए अध्यादेश सरकार के, एक एक जिलाधीश को डी. आई. आर. और मीसा दे लेस किया जा रहा है, चाहे किसी को छोड़ दें चाहे धर दें मन में आया, किसी से ईर्ष्या है, अंदर डाल दिया। यह हमें कहां ले जाएगा, बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि देश में कामन मैन का स्तर ऊंचा उठे। हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि हम देश में प्रजातंत्र को कहीं खड्डे में तो नहीं डाल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के 64 कार्यकर्ता, पार्टी वर्क्स यूनियन्स के नेता 30-30, 20-20 हजार की जमानत पर आए हैं। जो जेलों में हैं उनके परिवारों को कई जगह 60 रुपए कई जगह 100) देना शुरू किया। घर में 5-6 आदमी खाने वाले तो इतने थोड़े पैसों से कैसे गुजारा होगा? तो यह काम राज्य सरकार ने किया है। इसी तरह से जिस समय गिरफ्तारी का सवाल आया, मार्क्सवादी लेनिनवादी बतलाकर चौ.घासीराम जिनकी उम्र 75 वर्ष है उनको पकड़ कर जेल में डाला। उनके आफिस के कागज पुलिस ले गई। कामरेड पूनमिया को तीन बार हार्ट अटेक हो चुका है। इन

(श्री मोहरसिंह)

हालात में हम कहते है कि यह प्रजातन्त्र है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता । आज जितने लोग जेलों में बन्द हैं उनको कहीं अलवर, कहीं जोधपुर, कहीं भरतपुर में तब्दील किया गया है और उनके परिवारों को उनसे मिलना मुश्किल हो गया, वे उनकी हालात को पूछना चाहते हैं। ऊपर से कहते हैं कि प्रजातन्त्र है। लोग कहते हैं कि इस प्रकार के हालात बन चुके थे । इमर्जेन्सी लागू करनी पड़ी, वेस्टर्न प्रेस के कई पत्रकार आये, उनके सामने हमारी प्रधान मंत्री ने बयान दिया था कि आपके दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी जय प्रकाशजी शासन को हटाने का आंदोलन करने वाले थे । उससे काफी दिन पहले विभिन्न प्रांतों के मुख्य मंत्री आ चुके थे कि संकट बढ़ता जा रहा है, ये प्रधान मंत्री के शब्द हैं कि हमारी पार्टी शुरू से गलत चली आ रही है। आज भी गलत है । आज भी हम देखते हैं कि विश्व बैंक हमें टुकड़ा डाले । एक तरफ हम कहते हैं कि दक्षिण के छोटे छोटे टापूओं में अमरीका अड्डा डाल रहा है । जिस देश में 60 करोड़ की आबादी है, अब भी देश में सोने की चिड़िया है । हिन्दुस्तान में धन की कमी नहीं है लेकिन 80 मोनोपोलिस्ट्स के पास 87 प्रतिशत दौलत है । 13 परसेंट पूंजी आम जनता के पास है । 60 करोड़ जनता के पास केवल 13 प्रतिशत और 80 बड़े बड़े मगर मच्छों के पास 87 प्रतिशत धन है । ऐसी अर्थ व्यवस्था में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम चल रहा है, यह थोथा नारा है । मजदूर, किसान व राज्य कर्मचारी की हालत देखें, जयपुर में गंदी बस्तियां देखें एक एक का विश्लेषण किया जाए तो बहुत भारी समय लगेगा ।

घड़ी की तरफ मेरा ध्यान है, मैं आपके हुक्म का उल्लंघन नहीं करना चाहता लेकिन साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की हालात हो रही है ।

जहां तक प्रोग्राम का सवाल है, मेरी पार्टी ने संघर्ष किया है मजदूर किसान के के लिए, इसमें दो राय नहीं । जगह जगह सीलिंग पर, जमीन के एलॉटमेंट के सवाल पर खेतीहर मजदूरों का प्रोग्राम है, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रोग्राम है । इसके लिए हमारी पार्टी ने बार–बार संघर्ष किए हैं, जेलों में गये हैं, इसमें दो राय नहीं है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, असल में हो क्या रहा है ? हो रहा है यह कि आपका जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसकी मिट्टी पलीत हो रही है। आप गांवों में जाकर देखें, आपने जो जमीन का अलॉटमेंट किया है और जो आपने रेडियो से बार बार प्रसारण करके कहा है कि गरीबों को जमीन अलाट की जा रही है, उनके कर्ज माफ किये जा रहे हैं, गरीबों को ऊंचा उठाया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है वह दरअसल में उन्हें आगे नहीं बढ़ाकर और पीछे धकेला जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय आप एक एक आईटम को देखें आप गांवों में जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ प्रचार के अलावा कुछ नहीं है । जगह जगह गांवों में विज्ञापनों से, रेडियो से, भाषण से थोथे प्रचार किये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज मशीनरी सरकार की

(श्री मोहरसिंह)
है, रेडियो पर काबू सरकार का है दूसरा कोई बोल नहीं सकता, दूसरा कुछ कह नहीं सकता। इमरजेन्सी लगी हुई है आप ही बोलो और अपना ही प्रचार करो यह है आज का प्रजातन्त्र।

श्री दीपंकर : आप तो बोल रहे हैं...

श्री मोहरसिंह : मैं जानता हूं दीपंकर जी। आपने जगह जगह पोस्टर लगा दिये, किसानों को, भूमिहीनों को भूमि अलाट की जा रही है, किसानों के कर्जे माफ किये जा रहे हैं पर उपाध्यक्ष महोदय कर्जे माफ नहीं किये जा रहे हैं बल्कि कर्जे लेने पर रोक एक साल के लिए लगा दी है। सिर्फ एक साल के लिए, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कहां का इन्साफ है? आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एक साल रोक दो फिर दो साल के एक साथ रोकड़ा ले लो। तो गरीब के पास कहां से आयेगा। इस प्रगतिशील सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह गरीब काश्तकार का कर्जा माफ नहीं कर सकती है और दूसरे जो कर्जे हैं कोआप-रेटिव के कर्जे उन्हें सरकार गरीबों को पीट पीट कर वसूल कर रही है। आप गरीबों का तो थोड़ा कर्जा भी माफ नहीं कर सकते पर बड़े बड़े सेठों को अगर थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है तो आप कहते हैं कि इन बेचारों को रेमीशन दो, इन्हें छूट दो। आज आप उन्हें बिजली में, पानी में, सस्ती दरों के कर्जों में सभी में छूट दे रहे हैं और उसके बाद में भी अगर किसी सेठिये को, कोई मोनोपोलिस्ट को, अगर दस बीस हजार का नुकसान हो जाता है तो आप उन्हें छूट देने की घोषणायें करते हैं लेकिन बेचारे गरीब काश्तकार को आप मुर्गा बना बना कर उससे उसके बैल और दूसरे सामान को कुडक करके वसूल करते हैं क्या यही आपका समाजवाद है? आप सोचते हैं कि मोहरसिंह क्या कह रहा है? मैं तो आपको सही स्थिति का बयान कर रहा हूं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप क्या फैसीलिटीज किसानों को दे रहे हैं? क्या काश्तकार अपनी आषाढ़ की फसल को बो सकेंगे। इसके लिये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप किसानों के कर्जे माफ करने के स्थायी आदेश प्रसारित कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि गरीब किसान और मुश्किल में पड़ जाय। आपको किसान की आषाढ़ की फसल के लिए पूरा इन्तजाम करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप गांवों में जाकर किसानों की हालत देखें आप देखेंगे कि 100 में से 70 काश्तकार ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी हैं। जिनके पास खेती करने को न खाद है, न बीज है और सिंचाई की न कोई व्यवस्था है न बिजली है। बेचारे किसान आज मुंह फाड़े खड़े हुए हैं कि सरकार हमारे लिये कुछ करे क्योंकि आप जोर शोर से विज्ञापनों के माध्यम से अपने प्रचार के माध्यम से रेडियो के माध्यम से अपने आपको काश्तकार का, गरीब का, मजदूर का मददगार बताते हैं। जिन लोगों ने पिछले साल कर्ज लेकर काश्त की है मैं समझता हूं कि दस पांच परसेन्ट किसानों को छोड़कर हर काश्तकार पर चार पांच हजार से कम कर्ज नहीं है। जिसको आपने 50 मन अनाज दिया था उससे आप 150 मन अनाज वापिस ले रहे हैं। आप किसान को लूट

Page No 56

(श्री मोहरसिंह)

रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि किसान के मददगार बनने वालों तुम गरीब किसान का कर्जा हमेशा के लिए माफ करके उसे कम कीमत पर बीज, खाद और पानी की व्यवस्था की राहत क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन यह मोटी खाल वाले हैं मोटे और धनी लोगों की आवाज तो सुनते हैं पर गरीब का दर्द यह क्या जाने ?

"जिसके पांव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई"

उपाध्यक्ष महोदय, आज 70 प्रतिशत काश्तकार हैं वह हर तरह के कर्ज के भार से लदा हुआ है, बीज का कर्जा, खाद का कर्जा, कोआपरेटिव का कर्जा और वह कर्जा किसी भी तरह समाप्त नहीं होता है क्योंकि एक तरफ आपकी वसूलियां दूसरी तरफ उसकी फसल बाजार में धूल के भाव बिक रही है। कहां आपने उसको 250 के भाव बीज दिये थे कहां आज किसान का अनाज 80 रुपये क्विंटल के भाव से बाजार में बनिया ले रहा है और कभी कभी तो यह कहता है कि हमें नहीं लेना। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक चौधरी मिला था मैंने उसे पूछा क्या हाल हैं उसने कहा कि भाव बाजरा के बहुत कम हैं। बनिया ले नहीं रहा है तो मैंने कहा चौधरी अभी हुआ क्या थोड़े दिन बाद इसी बाजरा की धुनी लगावोगे। आपने किसान को बुरी तरह दबा दिया है, उसको बरबाद कर रहे हो यही नहीं मजदूरों की भी हालत यही है। आप अपने प्रचार से आपकी मशीनरी के माध्यम से जो कि सिर्फ सरकार के पास है गरीब काश्तकार को बहका रहे हो, मजदूर को बहका रहे हो और उसी बहकावे में आकर किसान ने मजदूर ने आपका चुनावों में साथ दिया था। आपने कहा था कि हम गरीबी हटायेंगे, नेशनलाईजेशन आफ बैंक्स और नैशनलाईजेशन आफ इन्डस्ट्रीज करेंगे, किसान को जमीन देंगे और दूसरी सस्ती बिजली, सस्ता खाद और बीज देने की घोषणायें की थीं। क्या आपको वह याद नहीं क्या आप वह सभी भूल गये हैं आपको उन्हें नहीं भूलना चाहिये। गरीब जनता जो 71 में 40% थी वो सन् 75 में देश में 67.67% तक बढ़ी। वह इन आठ महिनों में 70 प्रतिशत हुई है आपने ही इतने यह बड़े फीगर्स दिये। आज भी काश्तकार का 2 बटे तीन लोग बुरी तरह से कर्ज में दबे हुए हैं। इसका कारण है कि आपके वायदे झूठे थे, आपका सिर्फ प्रचार था आपकी नीयत ठीक नहीं थी। आपने किसान को कोई रियायत नहीं दी। सही मायने में आपने सिर्फ छूट व रेमीशन दिये हैं सेठ साहूकार को बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट्स को आपने छूट दी है। आपने मजदूरों की हिमायती का ढिंढोरा पीटा था और जो मजदूर अपने बोनस के लिये लड़ रहा था उसका आपने बोनस जो 8.33 प्रतिशत था वह आपने कम करके सिर्फ चार प्रतिशत ही कर दिया है आज मजदूर बोल नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर इमरजेन्सी का खन्जर लटक रहा है और चार प्रतिशत भी अगर कोई सेठ यह कह दे कि मेरे को बहुत घाटा हुआ है तो वह भी बोनस मजदूर का साफ हो गया। तो मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि आप मजदूर को पूरा बोनस दें। अगर आप देश में सच्चा समाजवाद लाना चाहते हैं,

(श्री मोहरसिंह)

देश में मजदूरों और गरीबों को फायदा देना चाहते हैं आप उन्हें सही मायने में लाभ दें। जो किसान के ऊपर कर्जा है पांच पांच हजार रुपये कम से कम हर गरीब काश्तकार पर होंगे वह उसे माफी हमेशा के लिये कर दें। नहीं तो काश्तकार को आप आगे नहीं ला सकोगे। उपाध्यक्ष महोदय आज ऐसा होता है कि फसल आती है तो लोग पहले स्टाक कर लेते हैं, सरकारी कर्मचारी भी महीने डेढ़ महीने में अनाज ले लेते हैं उसके बाद में काश्तकार बाजार में अनाज बेचने जाता है तो कोई खरीदने वाला नहीं होता और काश्तकार को, स्टाकिस्ट लोगों को धूल के भाव अपना अनाज बेचना पड़ता है काश्त करता है तब उसे महंगी चीजें मिलती हैं और उससे उसके ऊपर कर्जा बढ़ता रहता है और वह कर्ज में गिरता रहता है। आज उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार जब बाजार में जाता है तो उसे चीनी चार रुपये अस्सी पैसे और चार रुपये पिचहत्तर पैसे मिलती है लेकिन बेचारे काश्तकार से आप गन्ना धूल के भाव खरीदते हैं। आज आप गरीब को ज्यादा मार रहे, हैं लेकिन वही गन्ना जब सेठ की मिल में जाकर शक्कर बनता है, जब सेठ की मिल का ठप्पा लगता है तो वही चीनी चार अस्सी के भाव की हो जाती है। यही हाल दूसरी चीजों में है। आज सेठ को आप रेमीशन दे सकते हो, मुनाफा दे सकते हो लेकिन बेचारे काश्तकार को नहीं दे सकते। तो मैं यह स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि यह आपका समाजवाद नहीं है यह नक्शे कदम समाजवाद की ओर नहीं जाकर साम्राज्यवाद और अमेरिकी शिकन्जे में देश को फसाना है। यह आपका कैसा समाजवाद है? जहां पर मजदूर को राहत नहीं, किसान को राहत नहीं और उसे आपने बोलने के लिये इमरजेन्सी लगाकर उसका मुंह बन्द कर दिया है और उसे कह दिया है कि बोलोगे तो अन्दर कर दिये जावोगे। आपने मजदूर और काश्तकार को इस इमरजेन्सी में इस तरह की हालत कर दी जिस तरह की घी में से मक्खी को निकाल बाहर करते हैं। वह हालत बेचारे काश्तकार व मजदूर की है। इसलिये मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अगर गरीब को आगे लाना है तो आपको समाजवाद के नक्शे कदम पर चलना होगा। आपको प्रजातन्त्र को लाना होगा। समाजवाद लाना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं इसके साथ में सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। जब से यह इमरजेन्सी लगी है इन 6 महीनों में राज्य सरकार ने करीब दो हजार सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से अलहदा कर दिया है। उन्हें यह कह कर घर बैठा दिया कि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। उनकी सी.आर. ठीक नहीं थी। उनका कार्य करने का तरीका ठीक नहीं था। करणीदान सिंह इन्सपेक्टर साल भर पहले सेक्रेटरी, डी.आई.जी. और आई.जी.पी. सब उसके गुणगान करते हैं। आज उसे घर बिठा दिया गया। आवश्यकता सीनियोरिटी की भी नहीं? सोचने की बात है। यह क्राइटेरिया साबित कर रहा है राज्य कर्मचारियों के लिए। राज्य कर्मचारियों को और विद्यार्थियों को भी देख लीजिये।

(श्री मोहर सिंह)

एडमिशन्स नहीं दिये। पढाई से अलग अलग कर दिया। हम दावा करते हैं कि गरीबी को हटायेंगे। अच्छे मकान बनायेंगे गरीब के लिए बड़े बड़े मकान बनाये गये हैं कच्ची बस्तियों में अजमेरी गेट के गन्दे नाले की बस्ती के 350 घर थे वे कहां गये ? खुले में पड़े हुए हैं आज वे लोग। उन लोगों के पास एप्रोच नहीं है। तारीख 24 मार्च 75 को सी.एम. साहब के पास जलूस आने वाला था, लिख देते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाय इसलिए 25 तारीख को लिख कर देते हैं कि उन लोगों को बस्तियों को न उठाया जाय। कई माननीय सदस्य दिल्ली में बैठे हुए थे। खूब अच्छी तरह से मालूम है। इधर गोटेवाला साहब डेपूटेशन लेकर पहुंचते हैं। यहां से फोन पहुंच जाते हैं। यहां से फोन करवाया सी.एम. साहब की चिट्ठी भी मौजूद है। ये सारी चीजें हैं। किस प्रकार से आप गरीबों का उत्थान कर रहे हैं ? किस प्रकार से आप गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं ? मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि गरीब आदमी के लिये गुन्जाइश नहीं है। हमारा तो यह दावा है कि आपका केवल कहना ही कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं आपकी थोथी घोषणायें हैं और आपकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन कर दूं कि आप इस प्रकार से गरीब का उत्थान नहीं कर सकते। गरीब को भुलावा जरूर दे रहे हैं।

आपने फरमाया कि आपकी पार्टी की क्या पालिसी है। हमारी पार्टी की बहुत ही प्रगतिशील पॉलिसीज हैं। बंगला देश का जब प्रश्न आया तो सबसे पहले हमारी पार्टी ने आपको सहयोग दिया। हर प्रकार से हमारी पार्टी ने बंगला देश के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किये। जो भी हम कार्यवाही देश के लिये कर सकते हैं हर प्रकार से करने की कोशिश की। जब मुजीब बंगला देश के प्रधान मंत्री बने तो हमारी पार्टी ने हर प्रकार से सपोर्ट किया और कहा कि सी.आई.ए. ने षडयन्त्र रच रखा है और देशों को समाजवाद की ओर नहीं बढ़ने देना चाहते, साम्राज्यवादी देश इसलिए हर प्रकार से सावधानी की आवश्यकता है। चार आदमी कत्ल हुए तो पता चला कि उसमें सी.आई.ए. का पूरा हाथ था। हमारे देश में भी सी.आई.ए. बढ़ रही है इसको भी हमने कहा है और हर प्रकार से देश को सचेत किया है।

जहां तक रूस और चीन का सवाल है। हमारी पार्टी ने मदुराई अधिवेशन में रिजोल्यूशन पास करके साफ कर दिया है। दक्षिणपंथी संशोधन वाद और वामपंथी अवसर वाद के विषय में हम समाजवादी तरीकों से ही देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश का उत्थान करना चाहते हैं। संशोधन वादियों, अवसरवादियों के हाथ की कठपुतली देश को नहीं बनने देना चाहते। हमारी पार्टी की यह स्पष्ट आइडियोलोजी है कि न हम अमेरिका के गुलाम और न रूस चीन के, इशारों पर चलना चाहते हैं। जिस तरह का वातावरण बनाया गया है मदुराई कांग्रेस ने बिल्कुल अपने रिजोल्यूशन में साफ कर दिया है। इससे किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिये।

(श्री मोहर सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कह देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का आर्थिक प्रोग्राम है और जिसके लिए हम वर्षों लगातार लड़े हैं और आयन्दा भी लड़ने के लिये तैयार हैं। यहां जोरदार भाषण करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। विरोधी पक्ष को सारे इलाके में सही ढंग से काम करने के लिए पनपने दें। आपके जलूस निकले और भाषण अखबारों में चले जायं इसी में आप भला देख रहे हैं तो बहुत बड़े मुगालते में हैं। जनता सब समझती है। वोट देकर जिन जन-प्रतिनिधियों को यहां पर भेजा है वे क्या कर रहे हैं और क्या करने दे रहे हैं इसका जनता को कोई पता नहीं है। आज कलम बन्द, जबान बन्द, कलम बन्द हैं। चारों तरफ से बन्द कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस नीति को बदल देना चाहिये। ईमानदार कांग्रेसियों को जिन्होंने सामन्त-वादी लोगों से टक्कर ली थी उनको आज आवाज बुलन्द करनी चाहिये और जो नीति आज चलायी जा रही है वह फासिस्टवादी नीति है और इसको खत्म करना चाहिये। जनता के सवालों पर पार्टी लड़ती आई है और पक्ष-विपक्ष को रखती आयी है। उसी दृष्टि से कानून बनते हैं और बनाये जाते हैं। केवल ब्यूरोक्रेसी के आधार पर उन कानूनों का इम्प्लीमेन्टेशन करना चाहते हैं तो कभी जनतन्त्र पुष्ट नहीं हो सकता। उनके लिए आपको जनता के संगठन बनाने होंगे और उनको पनपने देना होगा। मजबूत कदमों से चलना होगा। ऊपर से आप तलवार लटका कर प्रोग्राम को सफल होते देखना चाहेंगे वह प्रोग्राम कभी सफल नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एहलानिया कह देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की नीति प्रगतिशील पार्टी की नीति है और तमाम प्रगतिशील पार्टियों व लोगों से निवेदन है कि मजबूती से आगे बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास !

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला इमर-जेन्सी का प्रश्न है और देश के अन्दर यह बर्निंग टापिक है कि इमरजेन्सी क्यों लागू की गयी। किन परिस्थितियों में लागू की गई है, इसके बारे में मुतवातिरतौर से हम सुनते आये हैं और हम लोग इन हालात से वाकिफ हैं और जिन लोगों ने हालात क्रियेट किये जैसे अभी मोहर सिंह जी ने कहा उन लोगों ने हालात बनाये जिससे एमरजेन्सी लागू हुई लेकिन उपाध्यक्ष महोदय एमरजेन्सी तो एक कदम है। कोई भी देश के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय स्वतन्त्रता के बाद, कोई आजादी के बाद एक बड़ा भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन होता है और आजादी के बाद नया समाज नया देश बनता है देश का एक नया ढांचा खड़ा होता है।

यह एक संयोग की बात समझिये कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद हमारे देश का ढांचा, हमारे देश

Page No 60

(60)

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

का प्रशासन और हमारे देश के कानून वही जो प्रीसिडेंसीसर करते आये थे उसी आधार पर चला। उसके बाद संविधान बनाया, वह संविधान भी ब्रिटिश कान्स्टीट्यूशन के आधार पर हमने बनाया और वह कान्स्टीट्यूशन बनाकर उसके अनुसार हमने कार्य किया। वही सर्विसेज रही सर्विसेज के दो भाग एक्जीक्यूशन लोवर पार्ट पर होता है और संसद में अपर मोस्ट होता है उसमें पार्लिमी का हाथ होता है वह बदस्तूर रहा और देश चलता रहा इसके परिणाम यह हुये पंडितजी से जैसे कुशल नेतृत्व के बावजूद भी और उनके दृढ़ निश्चय के बावजूद इस प्रकार का प्रशासन जिसमें विरोधी दलों का रवैया और सामाजिक ढांचा रहा और जो वांछित परिणाम थे वे नहीं आ सके। यह देश की खुश किस्मती है जो श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व मिला और उपाध्यक्ष महोदय जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश का नेतृत्व सम्भाला है उसके बाद मुतवातिर इस बात का प्रयत्न किया कि इस देश का ढांचा बदला जाय, गरीबी और अमीरी की खाई को पाटी जाय और इसके लिये उन्होंने संघर्ष किया। आज नहीं किया, एमरजेन्सी की वजह से नहीं किया 69 से किया, वे बहुत क्राइसिस से गुजरी और नये परिवर्तन की ओर अग्रसर हुई। कांग्रेस के अन्दर, रूलिंग पार्टी में स्टैंड इन्टरेस्ट हो गया था उसको दूर किया उसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग रह गये। बड़े-बड़े आदमियों के लिये यह मुश्किल हो जाता है लेकिन इस अकेली औरत ने पार्टी को मजबूत बनाया और संगठन को दृढ़ किया जिसमें अपोजीशन को भी कोआपरेट किया लेकिन अपोजीशन का एक रवैया हो गया, कोई भी प्रोग्रेसिव स्टेप लें उसका विरोध करना। शताब्दियों में ऐसा नेता पैदा होता है उपाध्यक्ष महोदय, यदि उनका कार्यक्रम सफल हो जाता तो मुश्किल हो जाती और आज उन्हीं के कारणों से यह एमरजेन्सी लागू की। उपाध्यक्ष महोदय इस देश का आज भी सिर ऊंचा है—इन्टरनेशनल पालिटिक्स में तो वह मिसेज इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ है। वे देश को आगे बढ़ा रही हैं और अपोजीशन ने एक छोटी सी बात को लेकर ला-लेस-नेस क्रियेट की तो उनको एमरजेन्सी लागू करनी पड़ी, इस देश को बचाने के लिये, जनतन्त्र को बचाने के लिये। जहां तक यह सवाल है कि प्रधान मंत्री को कायम रखने के लिये किया है तो आज क्या जरूरत थी इस लेजिसलेशन और पार्लियामेंट को रखने की, आज क्या जरूरत थी जो वापिस चुनावों की बात करती है।

उन्होंने एक प्रोग्राम दिया कि किस प्रकार सामाजिक न्याय हिन्दुस्तान में आना चाहिये और गरीब तबके को ऊंचा उठाना है, कान्स्टीट्यूशन के अमेन्डमेंट की बात करते हैं जो निहायत जरूरी है जिसके अन्दर गरीब आदमियों को रहने को मकान, खाने को रोटी और पहनने को वस्त्र मिले। फन्डामेन्टल राइट्स हैं ये एनोमलस हैं। अगर न्याय प्राप्त करना है तो बदलना पड़ेगा यह एमेरजेन्सी करने का इरादा है, यह कहना खुद पावर में रहना चाहती है, गलत है। यह सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिये की है।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद)

उपाध्यक्ष महोदय, इन हालात के अन्दर मिसेज इन्दिरा गांधी एक महान लीडर है। पूरे देश के अन्दर, 70 करोड़ की आबादी के अन्दर यह कोई अलादीन का चिराग तो उनके पास है नहीं जो गरीबी को ओवर-नाइट समाप्त कर दें। हमको इसके लिये एक अपरेटस की जरूरत है और यह अपरेटस वही है जो वर्षों से चला आ रहा है जो गवर्नमेंट है उसको इन्टरप्ट करना चाहते हैं। अभी ब्लेक मनी की घोषणा की तो 11 अरब रुपये घोषित किये गये। इन्कम टैक्स ऑफिसर वही, वही मशीनरी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कामयाबी को टोन-अप किया और उसी मशीनरी से काम लिया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय यह भी सत्य है जैसा कि भाषण में कहा 20 पाइन्ट प्रोग्राम में कुछ स्टेट्स का सहयोग नहीं है जो होना चाहिये। आखिर हमारे देश में एक गवर्नमेंट नहीं है—कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट है। 20 पाइन्ट प्रोग्राम है उसमें कुछ प्रोग्राम तो डाइरेक्ट सेन्ट्रल के अन्दर में आते हैं, कुछ स्टेट्स के अन्दर में आते हैं अब उनमें से कुछ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। कोई स्टेट ज्यादा इम्पलीमेंट कर रही है तो कोई स्टेट कम इम्पलीमेंट कर रही है, कुछ पिछड़ रही है इसलिये हिन्दुस्तान में सब जगह एक समान इम्पलीमेंट नहीं हो रहे हैं और कोर्डिनेट होकर नहीं चला जा रहा है। यह बात हमारे समझने की है राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसके अन्दर सबसे पहले अब अपने दूसरी स्टेट्स को देखें जैसे गुजरात, तामिलनाडू है। उनके एक निश्चित कार्यक्रम है। 20 पाइन्ट प्रोग्राम चाहे एग्री करते हों मगर इम्पलीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी का कार्यक्रम अलग है। डिफरेन्ट प्रोग्राम लेकर चले हैं, उनकी यह बात समझ में भी आती है लेकिन कुछ कांग्रेस की गवर्नमेंट्स 20 पाइन्ट प्रोग्राम को जिस गतिशीलता से लागू करना चाहिये उतनी गतिशीलता से नहीं कर पा रही है। आज यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के लिये 21 सूत्री कार्यक्रम है—यह एक सन्देहास्पद स्थिति है कि यहां 21 सूत्री कार्यक्रम और आपकी तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है ऐडमिनिस्ट्रेटिव इकोनोमी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को आपने बाईफरकेट किया है इसमे राजस्थान में 21 सूत्री कार्यक्रम हो गया लेकिन 20 पाइन्ट प्रोग्राम जो मासेज के लिये है जिसको हम पढ़ते हैं और रोज सुनते भी हैं और जब राजस्थान के बारे में सुनते हैं तो वह 21 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं यह क्या बात है?....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : राजस्थान में आम तौर पर संख्या के आगे बिन्दी नहीं लगाते हैं और उसमें सवाया करके ही जोड़ते हैं इसलिये 20 की जगह 21 सूत्री कार्यक्रम हो गया। 101 रु. का दान दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : परम्परा पर चले जाते हैं तो देश में सामाजिक न्याय नहीं मिलने वाला है। परम्परा पर हम नहीं चलना चाहते हैं, यह जनसंघी चलना चाहते हैं, वे पुराना भारत बनाना चाहते हैं, इन्दिराजी नया भारत बनाना चाहती है। इन्दिराजी का प्रोग्राम हमारे लिए बड़ा है या आपकी परम्परा बड़ी चीज है? 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए इम्पली-

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

मेन्टेशन कमेटी बनाई। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है कि अमुक आदमी को कमेटी में लिया अथवा नहीं लिया, मैं समझता हूं यह वाजिब नहीं है। राजस्थान में 20 पाइंट आर्थिक कार्यक्रम को इम्पलीमेंट कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। अगर मुझे इम्पलीमेन्टेशन कमेटी में न लें तो मुझे शिकायत नहीं है लेकिन ऐसे व्यक्तियों को लें जिनका कन्विक्शन 20 सूत्री कार्यक्रम में नहीं है जो उससे एग्री नहीं करते हैं, उससे डिफरेंस आफ ओपीनियन हों, यह वाजिब नहीं है। ऐसे आदमी को कमेटी में लिया जिसको जानते हैं कि इस आदमी का कन्विक्शन 20 सूत्री कार्यक्रम में नहीं है, उससे एग्री नहीं करते हैं, यह कहां तक ठीक है। जिस तरह से स्टेट में स्टेट गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है उसी तरह से जिले में जिला इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की जिम्मेदारी है। 1972 के अन्दर जो लोग जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर खड़े हैं उनको लिया है। अभी एक माननीय सदस्य को सीकर में जो डी. आई. आर. और मीसा में बन्द हुआ, उसको लिया है। आपने जनसंघी को भी लिया है। मेरे क्षेत्र में जो स्वतंत्र पार्टी से इलेक्टेड था 1972 तक उसको इम्पलीमेन्टेशन कमेटी में बिठा दिया। किस प्रकार से इम्पलीमेन्टेशन करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि पालिटिक्स में डिफरेंस आफ ओपीनियन होती है उसे पोलिटिकल लेविल पर डील करना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम में अगर आप एक आदमी को 'वीकन' करने के लिए करें तो उसको वीकन नहीं कर रहे हैं बल्कि कार्यक्रम के इम्पलीमेन्टेशन को वीकन कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने दिया है–जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

इसी तरह से यहां पर कुछ लोगों को बन्द किया गया। यह गंभीर समस्या है। बन्द करने का मतलब चाहे कुछ भी कहें। अखबार की सेन्सरशिप का मतलब क्या है? मतलब यह था कि कन्सट्रक्टिव वर्क जो देश में होना चाहिए उसका ज्यादा समय डिबेट में कन्ज्यूम करके, गलत प्रोपेगेन्डा किया जाता था। अखबार पूंजीपतियों के हैं, आपने देखा है कि किस तरह सरकार के खिलाफ इन पूंजीपतियों के अखबारों ने लोगों को गुमराह किया है, जनता को गुमराह करना शुरू किया। कोई काम जनता के वाइडर इन्टरेस्ट में हो वह नहीं करने दिया जाता है। उसकी वजह से अखबारों पर सेन्सरशिप लगा दिया। क्या मिसेज गांधी को मजा आता है लोगों को बन्द करने में? लोगों को बन्द करने का मतलब था कि वे सबवरसिव एक्टिविटीज नहीं कर सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि उनको टारचर किया जाए या इलट्रीट किया जाए। खास मतलब यह है कि जो पोलीटिकल फोरम तैयार करके सबवर्सिव एक्टिविटीज करता है वह नहीं होने पाए और डिस्ट्रेक्शन प्रोग्रेस के रास्ते में न हो।

यह सत्य बात है कि राजस्थान में मेडीकल चैक-अप के नाम से बड़े बड़े लीडर्स, उनके वर्कर्स वहां रहते हैं कान्सटेन्टली एक मर्वनिंग और लाइक अटेन्डेंट। एक सिपाही मिलने दिया जाए लेकिन आपका

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

मकसद क्या रहा? बेटर कह दिया जाय कि हमें उस आदमी से लालेसनेस से खतरा नहीं है। डिटेन्शन का मतलब अपनी पोलिटिकल एक्टिविटिज परश्यू नहीं कर सकते। वहां अगर उनके फालोवर्स मिल लें और वे उनको इन्सट्रक्शन्स देते जायं तो फिर डिटेन्शन का मतलब क्या? यह भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हमको ध्यान में रखना चाहिए और फिर, उपाध्यक्ष महोदय, एक दुखद बात यह है कि जिस पर्पज के लिए आज एक जिले का जिलाधीश और एस. पी. जो आदमी उनसे नाराज हों, गलत बन्द कर दें और जिस आदमी पर मेहरबान हों, उसको नजरबन्द न करें और इमरजेन्सी पावर्स गलत इस्तेमाल करें तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर भी आती है। खास तौर से एरेस्ट्स करने में डिस्क्रिमिनेशन हो और जिनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ हो जाए तो क्या, उपाध्यक्ष महोदय, मोटिव नहीं निकलता है? वायस चांसेलर पांडे आनन्दमार्गी हैं, मुख्य मंत्री तय करें हम नहीं, लेकिन वह आनन्दमार्गी हैं, मामूली मामूली आदमियों को तो पकड़ लें लेकिन दिग्गजों को नहीं। ऋषि कुमार मिश्रा का दोस्त है तो क्या हुआ?

श्री ओंकार लाल बोहरा: How does it matter?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास: कम्पलसरी रिटायरमेन्ट की लिस्ट बनी है। मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पटवारियों का, जो पेड एम्पलाईज और क्लर्कों का कम्पलसरी रिटायरमेन्ट अगर कलक्टर मोटीवेट करे, वह बात एक हद तक बरदाश्त कर सकते हैं लेकिन कम्पलसरी रिटायरमेन्ट की पूरी लिस्ट मोटीवेटेड है। वह भी आदमी अगर आई. ए. एस. कैडर का हो, बड़ा आदमी है हैड आफ डिपार्टमेंट और अगर सरकार की नोलेज में है कि वह अनडिजायरेबिल है, इनकाम्पीटेन्ट है, करप्ट है, उसका सर्विसेज रिटेन करते हैं तो गलत है। ठीक है आज 25 पटवारी रिटायर कर दिए, 100 क्लर्क्स रिटायर कर दिए, यह मेटीरियल चीज नहीं है। जिले में कलक्टर इफेक्टिव होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप डवलप कर देता है। यह नहीं हो सकता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिथार्जिक रहे, मंगल बिहारी के मामले में अभी भी फैसला नहीं हुआ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कान्करेंस आती है लेकिन राज्य सरकार से दो कन्ट्रेडिक्टरी ओपीनियन्स गई हैं, पहले केस चला गया फिर चला गया। मंगल बिहारी अगर आनंद मार्गी नहीं हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन आनंद मार्गी है? ये मेटर्स कुछ ऐसे हैं कि इन पर हम बहुत ईमानदारी से अमल नहीं कर पा रहे हैं।

अब 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर रूरल इन्डेटनेस में साल भर के लिए मोरेटोरियम निकाला, माफ क्यों नहीं करते? उनको क्रेडिट फेसिलिटीज नहीं मिल रही है। यह सही है कि क्रेडिट फेसिलिटीज मिलना उनको बहुत जरूरी है। लेकिन इवेन्चुअली आप देखिए, एक सोशल इविल है लेकिन कुछ मुद्दे और हैं जिनके लिए काश्तकार को चिंता है,

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

उसको लोन कहां से मिल सकता है ? जैसे नुक्ते का ही काम है, इसके लिए आपके यहां से कौन लोन देता है ? गवर्नमेंट का आर्डर है कि एग्रीकल्चर के लिए लोन अवेलेबल करना चाहिए और आप प्रयत्न करते हैं कि उसको लोन मिले लेकिन नुक्ते के लिए लोन कौन देगा ? ठीक है, आपने नुक्ते को बन्द कर दिया कानून से लेकिन क्या नुक्ते बन्द हो गए ? नुक्ता अभी तक बन्द नहीं हुआ। सोशियल रिफार्म्स दोनों तरफ से होते हैं। एक लेजिस्लेटिव तरीके से और दूसरा है एजूकेटिव तरीके से। एजूकेशन आफ दी मासेज चलता है। मोरिटोरियम करना चाहिए था। अब इसमें फेमिली प्लानिंग को ले लें। फेमिली प्लानिंग में स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। आज हिन्दुस्तान की जितनी प्राब्लम है उसमें सब फेमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी है। अब आप बी. एन. जोशी साहब से कहें तो क्या हो सकता है ?

श्री ओंकार लाल चौहान : आप इनको क्यों घसीट रहे हो ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उनके इतने बच्चे हो गए तो वे करें, पहले जमाने की बात हो गई। उस वक्त तो फेमिली प्लानिंग करने का प्रश्न नहीं था, जानते नहीं थे। फेमिली प्लानिंग को जो आदमी अडाप्ट करे उसके लिए कोई अट्रेक्शन होना चाहिए। कोई रिवार्ड मिलना चाहिए, साथ में डिटरेंट पनिशमेंट भी होना चाहिए कोई अडाप्ट नहीं करे तो। गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं, सर्विस रूल्स में प्रोविजन हो। आपने कोई एक्शन लिया ? कोरी नसबन्दी रकवा ली इससे क्या होता है ? अभी फेमिली प्लानिंग के टार्जेट बने, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन्स हो गए कि जो फेमिली प्लानिंग में वासक्टोमी कराएगा उसको लैंड अलाट की जाएगी। यह तो कोई क्राइटेरिया नहीं। जो लैंडलेस आदमी है उसको जमीन मिल गई और जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स हैं उनको टार्जेट पूरे करने हैं। यह नहीं देखते कि उसके कितने बच्चे हैं। जिसके एक भी बच्चा नहीं है उसको वासक्टोमी लैंड अलाटमेंट के लिए कर दी। उसने कहा कि, सहाब मेरे एक भी बच्चा नहीं है मैं कैसे नसबन्दी करा सकता हूं। अगर नहीं कराता है तो तेरे को लैंड अलाटमेंट नहीं होगा, लैंड नहीं मिलेगी। यह तो फेमिली प्लानिंग का ही सिद्धान्त है कि तीन बच्चे होने पर ही नसबन्दी कर सकते हैं। अब अगर इसको कम करना चाहते हैं तो दो बच्चे कर दो, इसको डीक्रिज करो। अब इस तरह से मार पीट करते हैं, गाली गलोच करते हैं, अशोभनीय व्यवहार करते हैं आपके एस. डी. ओ. हैं उनको तो अपने फिगर अटेंड करना है, अपने टार्जेट अचीव करने हैं।

अब एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनोमी ले लो। काहे की एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनोमी ? हाऊस के अभी मेम्बर इस बात को जानते हैं कि सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनोमी क्या है ? मैं मानता हूं कि आपने कुछ पद अबालिश कर दिए। दूसरी तरफ इतने सारे बोर्ड बना दिए। कितनी सारी फाइनेंशियल लायबिलेटी एक्सचेकर के ऊपर है। फिर मिनिस्टर्स को बड़ी गाड़ियां देना बन्द कर दिया। सिर्फ सी. एम. इसको यूज कर

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

सकते हैं। बाकी मिसयूज गवर्नमेंट का कितना होता है यह देखा कभी ? इस इमरजेंसी के जमाने में भी यानि जितना मिसयूज पहले होता था उससे कम होता है क्या ? देहली तो ट्रेन से कनेक्टेड है और सुपर डी-लक्स बस चलती है जो चार घण्टे में दिल्ली पहुंचा देती है। अब जो भी सरकारी अधिकारी एन्टाइटल्ड हैं कार यूज करने के, मिनिस्टर साहबान को तो खामखा बदनाम करते हैं, मिनिस्टर हैं कितने, कुल 15 लेकिन मेरी जानकारी में है कि कितने ऑफिसर्स इसको यूज करते हैं। क्या जरूरत है गाड़ी ले जाने की ? वहां पर आपके मोटर गैरेज की गाड़ी मौजूद है। कल्पना कीजिए कि कितना पैसा पानी की तरह बह रहा है ? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इकानोमी हो गई ? आपने टेलीफोन काल्स पर रोक लगाई ? पुलिस की प्रेशियल प्रिविलेज हो सकती है, डाक्टर हैं उनकी हो सकती है लेकिन बाकी जो स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट हैं, उनके डायरेक्टर हैं उनके पास क्या है ? कोई लिमिट नहीं है उन पर कि कितने काल करें। कितने भी करो। आपने आखिर किसी भी तरह से कट किया ? कोई कट नहीं ? तो एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनोमी क्या कर दी आपने ?

तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनोमी यह हुई कि जोधपुर हाउस जरूर बनाया है राजस्थान हाउस के अलावा देहली में। यह जोधपुर हाउस क्यों बनाया ? क्यों इतना बड़ा एक्सपेंडीचर बांधा गया ? एक लक्जूरियस सूट और लक्जूरियस गेस्ट हाउस क्यों खड़ा किया ? उसका उपयोग मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह सब चीजें ऐसी हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं उनको स्टेट गवर्नमेंट जस्टीफाई नहीं कर सकती है। मैं कह सकता हूं कि ये मैटिरियल लेकूनाज हैं जो पब्लिक के नोटिसेज में सीधे आते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी गवर्नमेंट की विशेष जिम्मेदारी है। यानि कांग्रेस गवर्नमेंट और फिर मिसेज इन्दिरा गांधी का ऐसा क्रांतिकारी कार्यक्रम। इतनी रिस्क में उन्होंने अपने आपको डाला और इतने मेजर एक्शन लिए। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्चुअली, मैं जहां तक समझ पाया हूं एक आर्डीनर कांग्रेस के वर्कर के नाते, मिसेज गांधी फुल्ली डिटरमिण्ड हैं, अगर इसमें अड़चन आएगी तो उसको फेस करेंगी। जब तक यह गांधी हैं इसको हर हालत में इम्प्लीमेंट करेंगी और इसको इम्प्लीमेंट करने में जितना हम सक्रिय हो सकें हमको करना चाहिए। न कर सकें तो डिस-एसोशियेट कर लें तो ज्यादा बढ़िया है लेकिन एसो-सियेट करके अपना सहयोग नहीं करें यह बात जमने वाली नहीं है।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात लीगल एड की है। अब उस लीगल एड के लिए खेतसिंह जी ने सम्मेलन बुलाया वह स्थगित हो गया, अब फरवरी में बुला रहे हैं। लीगल एड मिलनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन यह बात भी सही है कि अगर अच्छा वकील है, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपने यह कर दिया कि हम सब सेवा करेंगे, लेकिन लीगल प्रोफेशन है। जो अच्छा वकील होगा उसकी प्रेक्टिस अच्छी रहेगी और लोग भी उसकी तरफ अट्रेक्ट होंगे। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग

Page No 66

(66)

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

पावर्टी लाइन के नीचे हैं तो कोई उनका काम मुफ्त में क्यों करेगा ? मुफ्त में वही करेगा जो अच्छा वकील नहीं होगा, जिसकी वकालत नहीं चलती होगी। गवर्नमेंट को उनकी सर्विसेज अवेलेबल करानी चाहिए और इस बारे में भी आपको विचार करना चाहिए।···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : हां, उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रहा हूं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बहुत इसके अन्दर वर्णित किया गया है। क्यों किया और क्यों नहीं किया गया यह अलग बात है लेकिन यह सही बात है कि आने वाले वर्ष में हमारा क्या कार्यक्रम है, गवर्नमेंट क्या प्रपोज करती है, क्या करने का विचार है और किस प्रकार से वह एक्शन लेगी, यह शायद हमको बजट स्पीच में ही मालूम होगा क्योंकि अभी पूरा विचार नहीं किया होगा। फेबुरली जनवरी में सेशन आ गया और राज्यपाल का भाषण हो गया इसलिए ये सब बाद में ही मालूम होगा। जब बाद में हमारे सामने आएगा तभी विचार कर सकेंगे। इसमें बहुत बातें हैं लेकिन मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, अपना भाषण समाप्त यही निवेदन करते हुए करना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य होगा कि जब मिसेज गांधी हमारी नेता हैं और जो कार्यक्रम आगे रख कर चल रही हैं उसको हम सफल नहीं बना सकें। वे हर हालत में इसको लागू करना चाहती हैं और अगर हम उस कार्यक्रम को लागू करने में सहयोग नहीं कर सकें या इसको पूरा लागू नहीं कर सकें उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकें तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा।

तो राज्यपाल महोदय ने जो कृपा पूर्वक भाषण किया उसके लिए मैं अनुगृहीत हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर ज्यादातर वक्ताओं ने और कांग्रेस के हर वक्ता ने पहले इस वर्ष लागू की गयी आपातकालीन स्थिति की महिमा और उसको क्यों लागू किया गया इसके औचित्य पर करीब करीब सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार यहां पर प्रकट किये हैं।

आज इस अभिभाषण का मुख्य मुद्दा···

(2.59 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

आपातकालीन स्थिति क्यों लागू की गयी है और उसका क्या औचित्य है। तो मैं भी इस पर निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति जी जिस समय देश में जनता की हालात, गरीबी में उलझ कर और अन-एम्पलायमेन्ट से परेशान होकर विद्यार्थी और गरीब लोग पावर्टी लाइन से नीचे भूखमरी में फंस रहे थे, तो उन्होंने आन्दोलन शुरू किया। इस बात के लिए मैं

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आपका ध्यान, सभापति महोदय, गुजरात के आन्दोलन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह आन्दोलन जयप्रकाशजी ने नहीं चलाया था। वहां की जनता ने इसको शुरू किया था और परेशान होकर दुखी होकर किया था। जयप्रकाश जी ने तो बाद में जाकर उनको आशीर्वाद दिया था और उनकी वाजिब मांगों का समर्थन किया था और उसके औचित्य को न केवल भारतीय जनता ने बल्कि हमारी प्रधान मंत्री ने भी माना। और वहां की सरकार को खतम करके वहां पर दुबारा चुनाव कराये। अगर जयप्रकाश जी ने यह मांग की तो प्रधान मंत्री ने उसके औचित्य को माना और स्वीकार किया। इसके बाद जो हालात बिहार में पैदा हुई उनको ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बिहार में जहां विरोधी दलों की रैलियां हुईं, विरोधी दलों ने और जनता ने एक तरफ संगठित होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठायी, उसके संदर्भ में वहां के भूतपूर्व राज्यपाल महोदय के स्टेटमेन्ट को भी आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगा। भूतपूर्व गवर्नर महोदय ने बम्बई में यह कहा था कि बिहार में जो सरकार है, उसके सारे मिनिस्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहां की सरकार भ्रष्टाचारी है। यह वहां के गवर्नर का स्टेटमेन्ट था। सभापति महोदय, गवर्नर जैसी हस्ती, अपनी स्टेट के बारे में ऐसे विचार रखे, यह सोचनीय है। यह कोई वहां की जनता के विचार नहीं हैं तो कैसे इसको गलत मानते हैं? जनता ने रैलियां कीं तो सरकार ने उन पर बैन लगाये। जगह-जगह पर नौकाएं रोक दीं, रास्ते बंद कर दिये और हेलीकोप्टर द्वारा यह देखा गया लोग रैली में शामिल होने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग इकट्ठे हुए और प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा, अब अपोजीशन की रैली के जवाब में रैली निकाली गयी तो सरकार ने उनको साधन मुहैय्या कराये, उनको जीपें दीं, बसें दीं, ट्रक दिये और रेल का रोकर फी कर दिया। खाने के पानी की व्यवस्था की गयी? रहने के लिए कमरों की व्यवस्था की गयी। बिजली की व्यवस्था की गयी और यह सब किया गया सरकारी खर्चे पर। यह थी वहां की समाजवादी जनतन्त्रीय सरकार की व्यवस्था? इसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक संदर्भ आता है। गुजरात के चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस को पूरी सत्ता ने वहां पर जोर लगाया। प्रधान मंत्री ने पूरी ताकत लगा कर हर कान्स्टीटयुएन्सी में एक-दो बार जाकर मीटिंग की और उसके बाद भी जनता मोर्चा विजयी हुआ और उसकी सरकार वहां पर बनी। उन्हीं हालातों में प्रधानमंत्री की चुनाव पिटीशन का फैसला हुआ और उस फैसले के संदर्भ में नेताओं ने, विरोधी दलों ने तथा स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। उनकी मांग का औचित्य था। उनकी मांग थी कि इन्दिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के हित में और जनतंत्र के हित में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिये। जब कांग्रेस के क्षेत्र से भी यह मांग उठी तो प्रधानमंत्री के सामने एक विकट स्थिति पैदा हो गयी और विरोधी दलों का मुंह बंद करने के लिए कोई विकल्प नहीं रह गया था और यही कारण था कि रातों-रात इमरजेन्सी की घोषणा की गई। अनडेमोक्रेटिक रूप से घोषणा कर के रातों-रात सब लोगों को जेलों में बिठा दिया गया। इमरजेन्सी की घोषणा हुई उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने केबिनेट

(श्री मूलचन्द सामरिया)

की मीटिंग बुलाकर यह कनवे कर दिया। उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। उनको सिर्फ यह कनवे किया गया था कि यह निर्णय हो चुका है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। यह था इमरजेन्सी को लागू करने का कारण।

सभापति महोदय, आपके राजस्थान के बारे में निवेदन करूंगा। यहां की सरकार, यहां की कांग्रेस कितनी जनतांत्रिक है, आपको पता है। सन् 1972 में कांग्रेस बहुत जबर्दस्त बहुमत से इस विधान सभा में आयी। जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया इसका कारण चाहे बंगला देश हो चाहे अन्य और कोई। उसके बाद हमारे यहां पर कांग्रेस ने और मुख्य मंत्री महोदय ने विरोधी सदस्यों को खतम करने का अभियान चलाया और जनतंत्र से विरोधी दलों का नामोनिशान मिटाने की उनकी यह भूख बढ़ती चली गयी। एक एक करके विरोधी दलों के सदस्यों को किसी न किसी दबाव से चाहे वह रुपयों में हो उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। सभापति महोदय, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। अति अल्पमत में यह विरोधी दल था वह सरकार के सामने ठीक तरह से खड़े हो कर बोलने की स्थिति में नहीं था, इतने अल्प से विरोधी दल को भी यह कांग्रेस को सरकार सहन नहीं कर सकी। तो यह कहना कि हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं इससे बड़ी सरासर धोखे की बात और क्या हो सकती है। जनतन्त्र के लिए और क्या हो सकती है। यह सरकार जनतन्त्र की हिमायती है, चुनाव की हिमायती है वही सरकार विरोधी दलों के सदस्यों को बहका कर, फुसला कर दल बदलाव कराती है। यह बात समझ में नहीं आती है। जो एम. एल. ए. स्वतन्त्र पार्टी से जीत कर आता है, वह सामन्तवादी होता है, प्रतिक्रियावादी होता है, साम्प्रदायिक होता है, पूंजीपति होता है लेकिन क्योंहि वही एम. एल. ए. आपके पास आ जाता है और दूसरे दिन ही वह कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वह प्रगतिशील हो जाता है, अति प्रगतिवादी हो जाता है, समाजवादी हो जाता है, न्याय प्रिय हो हो जाता है, गरीबों का हिमायती हो जाता है, पूंजीपतियों और शोषण करने वालों का विरोधी, दुश्मन हो जाता है। यह कौन सा जादू है आपके पास जिससे ऐसा बदलाव उस सदस्य का आप कर देते हैं? ऐसी कौन सी कांग्रेस के पास जादू की लकड़ी है जो कि रातोंरात ऐसे सदस्यों को समाजवादी और प्रगतिशील बना देती है? मैं इस बात को साबित करता हूं—चाहे वह साम्प्रदायिक हो, प्रति-क्रियावादी हो, पूंजीपति हो, जिनने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली उसको आप प्रगतिशील कहेंगे। चाहे फिर वह कैसा ही काम करता हो, चाहे कितनी ही उसके पास जमीन हो, चाहे कैसा ही बुरा धंधा वह करता हो, बुरे से बुरा काम करता हो, वह सब छिप जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जितने भी बुरे काम होते हैं वे सब सत्ता की छाया में होते हैं और विरोधी दलों की छत्रछाया में नहीं हो सकते। कांग्रेस शरण में ये होते हैं क्योंकि कांग्रेस ही पावर में है और कांग्रेस का जामा पहिन कर वे अति उत्तम बन जाते हैं। तो यही जनतन्त्र विरोधी कार्यवाही है और इसी वजह से आप जनतन्त्र को खतम करेंगे। उसकी ओर ही आपका यह कदम है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सभापति महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज से पचास साल बाद क्या भारत नहीं रहेगा? आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यह कहते हैं भारत इन्दिरा है और इन्दिरा ही इंडिया है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सौ दो सौ साल बाद जिस दिन इंदिरा गांधी नहीं रहेंगी क्या भारत नहीं होगा? यह एक तरह से व्यक्ति पूजा है और वह पार्टी जो जनतन्त्र की बात करती है, मैं समझता हूं, वह जनतन्त्रीय नहीं है और वह व्यक्तिवाद की पूजा करने वाली पार्टी है और व्यक्तिवाद ही फासिस्ट वाद है। फासिस्ट यही तो कहते हैं कि हमसे ज्यादा सुपीरियर और कोई नहीं है। हम से अच्छा राज्य करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे अलावा दूसरा आदमी राज्य करने योग्य नहीं है। इस तरह का दावा करने वाले फासिस्ट हैं और आज कांग्रेस पार्टी यह दावा करती है कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी इस देश का राज्य नहीं कर सकती, दूसरी पार्टियां राज्य करने योग्य नहीं हैं इस तरह की बात फासिस्टवादी ही कर सकते हैं। आपने लाखों रुपये खर्च किए फासिस्ट विरोधी रैलियां आयोजित करने में। मैं समझता हूं कि यदि आप इस पैसे को गरीब लोगों की भलाई में लगाते तो उसका अच्छा नतीजा निकल सकता था। इस तरह से जो खर्च किया गया है वह रुपया गरीब लोगों के हित में खर्च न किया गया बल्कि यह कहूंगा कि वह रुपया खास तौर से कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार पर खर्च किया गया और उसको एक तरह से समृद्ध करने के लिए खर्च किया गया है। रेडियो पर प्रचार होता है, अखबारों में यही प्रचार होता है और जनता के दिमाग में एक ही प्रकार की बात डालने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता इस प्रकार की बात सुनने के लिए आदी हो जाए और सत्य बात न जान सके जिस प्रकार कि डा. गोबेल्स कहा करता था, एक झूठ को सौ बार प्रसारित करो तो वह सत्य प्रतीत होगा। इसलिए अगर आप लाखों बार रेडियो से और समाचार-पत्रों के अन्दर इस इक्कीस सूत्री कार्यक्रम को और इन्दिरा गांधी के नाम को रटते जायेंगे और कांग्रेस वाले कहते हैं कि इन्दिराजी नहीं देवता हैं इस तरह की जिस पार्टी की प्रवृत्ति है वह पार्टी जनतन्त्र में विश्वास करती है या व्यक्ति वाद में विश्वास करती है?

इक्कीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ बातें तो ठीक भी हो सकती हैं, जैसे गरीब लोगों की कर्जों से मुक्ति की बात कही है। उसमें आपने गरीबों से चीप पापुलेरिटी गेन करने के लिए एक अध्यादेश निकाल दिया कि कर्जों की वसूली एक साल तक के लिए स्थगित की जाय तो वहां लोग जहां से कर्जा लेते थे उन लोगों ने उनको कर्जा देने से मना कर दिया। मालूम नहीं एक साल के बाद कोई ऐसा कानून बनेगा जिससे उनके खिलाफ जो भी कर्जा होगा वह माफ होगा। उसका इतना वाइड प्रचार किया गया कि हर ऋण देने वाले व्यक्ति ने गरीबों को ऋण देना बन्द कर दिया। सबसे बड़ी गलती तो यह की, सभापति महोदय, कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की और ऐलान कर दिया। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन सूत्रों में से कई सूत्र इफेक्टिव हो सकते थे गरीबों के लिए और गरीबों का कर्जा माफ हो सकता था उनके

(श्री मूलचन्द सामरिया)

लिए एकदम कानून बना देते कि किसान, उसमें गरीब की परिभाषा अलग से बना देते कि जिसके पास इतनी जमीन है या जिसकी सालाना इनकम इतनी होती है फलां तारीख से वह कर्जदार नहीं माना जायगा। बैंक के कर्ज या सहकारी बैंक के कर्ज हैं वह कर्जे इतने नहीं होंगे कि जिनको सरकार नहीं दे सकती। व्यक्तिगत कर्जों के अलावा जितने भी कर्ज हैं वह कर्जे उनके सरकार अपने पास से दे। गरीबों की सरकार है तो उसके नाम पर बड़े लोगों से टैक्स लेना चाहिए और गरीबों पर जो इनका कर्जा है उस कर्जे को चुका कर उनको ऋण मुक्त करे, तो वह वास्तव में एक सराहनीय कदम होगा इसमें मैं समझता हूं कि सरकार एक कदम दायें और एक कदम बायें उठाकर कोई स्पष्ट नीति लेकर नहीं चलती है। गरीबों को केवल नारा दिया जा रहा है प्रेक्टिकल तरीके से कुछ भी नहीं किया जाता है।

कर्जा माफ करने के साथ फिर जमीन देने की बात की। जहां पर जमीन एलाट की गई तो सिवाय चक की जमीन तो करीब करीब एलाट हो चुकी थी, तो चरागाह की जमीन एलाट कर दी। तो चरागाह के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि गरीब आदमी और जिसके पास कम जमीन है उनके पास भी मवेशी हो सकते हैं उन मवेशियों के लिए जमीन छोड़ने की आवश्यकता थी। किन्हीं जिलों में तो एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी और किन्हीं जिलों में एक इंच जमीन भी नहीं बांटी। एक तहसील में सारी जमीन एलाट हो गई तो दूसरी तहसील में नहीं हुई। खास तौर से यह बात थी कि आपको एक्सपेरीमेंट करना था तो वह आपने पूर्वी राजस्थान के जिलों में ही क्यों किया? पश्चिमी राजस्थान में भी यह बात हो सकती थी। उदयपुर में वहां पर भी छोटे काश्तकार हैं और वहां पर बहुत सी जमीन चरागाह की और दूसरी तरह की थी और उनको वह एलाट की जा सकती थी। चूंकि यह केवल परीक्षण मात्र था और उनको यह डर था कि उनकी यह नीति गलत साबित होगी और इस तरह से एलाटमेंट से न जनता का हित होगा और जनता के सामने रखने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए इसका परीक्षण उन्होंने पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में किया ताकि अगर इससे कोई नुकसान हुआ तो इधर के जिलों को उठाना पड़े। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अविवेकपूर्ण कदम था, प्रेक्टिकल नहीं था और इसको वापिस लें, और जिन लोगों के यहां पर मवेशियों के लिए चरागाह नहीं रहे वहां पर मवेशियों की हैसियत से चरागाह छोड़ दिये जायं।

आप चाहे प्रलोभन के रूप में इस एलाटमेंट के जरिये हरिजनों और आदिवासियों को बुला कर पट्टे दें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक हरिजन और आदिवासी दो या तीन बीघा जमीन लेकर उस जमीन से वह क्या कर सकता है? जब तक आप यह कानून न बना दें कि नहरी जमीन मिनिमम 10 बीघा, 15 बीघा, मिनिमम 10 से कम न दें, क्योंकि एक कारखाने में काम करके और एक परमानेन्ट मजदूर होकर जो फायदा हो सकता है उससे भी वह वंचित रह जाये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आप खेती की जमीन उन्हें एक-दो बीघा देते हैं जिस पर वह दिन

(श्री मूलचन्द सामरिया)

भर काम करे और उसका सारा परिवार काम करे तो वह उसके लिए एक वायेवल युनिट नहीं हो सकती है, और उसके आधार पर उसको जिन्दा नहीं रखा जा सकता है। इसलिए यह चीप पापुलेरिटी गेन करने के लिए प्रोपेगेण्डा की बात कही गई है इसको सरकार विदड्रा करे तो मैं समझता हूं अच्छी बात होगी।

इसके साथ ही मैं आवासीय भूखण्डों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उनकी स्थिति यह है कि जहां लोग गांवों में रहते हैं और वे वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं। यदि उनके घरों के स्थान पर आप पक्के मकान नहीं बना सकते हैं को कब्जे के आधार पर अधिकार उनका उस जमीन पर हो जाता है और पंचायत का रेट 1, 2 या तीन पैसे गज से ज्यादा नहीं होता है। अगर किसी आदमी के पास में पैसा नहीं है तो पट्टा तो उसका उस झोंपड़ी में जल जायगा, और पट्टे से ही कोई मकान या घर नहीं हो सकता है। जिन लोगों को आपने पट्टा दिया उनमें से कितनों के मकान बन गये या बन सकेंगे? वह तो हमेशा नहीं होगा। आग लगेगी तो जल जायगा झोंपड़ी के साथ। पट्टा बरसात में झोंपड़ी में ही गल जायगा। उनकी कोई वेल्यू उनके पास में नहीं है जिनके पास मकान बनाने को पैसा नहीं है। जिनकी देने की कैपेसिटी है उनसे रुपया लें और जिनको देने की कैपेसिटी नहीं है तो आप उनको मुफ्त में मकान दें। अगर आप उनको मुफ्त में मकान देते हैं, तो उन पर कोई मेहरबानी नहीं है। उनको आप बहुत दिनों से दबाकर बैठे हैं। आप उनको पट्टा देने के बजाय प्रेक्टिकल तरीके से रहने के लिए मकान दें।

इसके अलावा मैंने अखबार में पढ़ा था कि अगर दो साल के अन्दर-अन्दर मकान नहीं बनेंगे तो पैनेल्टी वसूल करेंगे। अभी तक बिना पट्टे वाले घर में रहते थे उनको कोई चिन्ता नहीं थी, लेकिन अब इस पट्टे से उनको यह चिन्ता हो गई कि अगर दो साल तक मकान नहीं बनेगा तो पैनेल्टी लेंगे। सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। उस पट्टे की क्या आवश्यकता है? उसका क्या किराया आता है पट्टा जो सरकार ने दिया है क्या वह उसके लिए 200 या 400 रुपया महीना किराया लाता है जिससे वह मकान बन जायगा? क्या उस पट्टे से उसकी आमदनी बढ़ गई है गरीब की, क्या वह इस स्थिति में है? अगर वास्तव में आप गरीब लोगों को देना चाहते हैं और आप यह समझते हैं कि आप परफेक्ट समाजवादी हैं, समाजवाद के अवतार हैं, इस देश में समाजवाद आपके ही द्वारा आयेगा, तो जिन लोगों के पास 10 धन्धे हैं, जो न खेती कर सकता है उनके पास खेत है, दुकान नहीं कर सकता है लेकिन दुकानें हैं, न कम्पनी का काम देख सकता है लेकिन उसका मालिक है और इन्डस्ट्रीज में नया कोटा आता है उसको ले लेते हैं, नौकरी करते हैं तो उनको क्यों नहीं आप एक धन्धा सलेक्ट करने के लिए कहें और वह उनको दे दें? आप यह कहते हैं कि इन्दिरा जी जैसा नेता सैंकड़ों सालों बाद पैदा होता है। इन्दिराजी जैसी नेता आपको मिल गई तो फिर एक आदमी को एक ही धन्धा करने में मजबूर क्यों नहीं करते हैं? जिनके पास 10 धन्धे हैं,

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जिनकी करोड़ों की आमदनी है उन लोगों आमदनी क्यों नहीं ले लेते हैं ? हमारे प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की इनकम दो लाख से ज्यादा न हो, उससे ज्यादा रखने का उसको अधिकार नहीं है। जिस आदमी की दुकान है जो नौकरी करते हैं सरकारी और जिनके पास बड़े बड़े धन्धे हैं उन लोगों ने जमीनें लेकर छोड़ रखी है। यह जमीन काम आती है ब्लेक धन को गाड़ने के लिए। उस जमीन पर गरीब हरिजन मजदूर काम करा सकते हैं, गरीब किसान 3-4 रुपये रोज की मजदूरी लेकर पैदावार करके रख सकता है, लेकिन उसको खुद की खातेदारी की वह जमीन नहीं होगी। एक कलेक्टर के पास जमीन हो, एक तहसीलदार के पास जमीन हो, एक आई. ए. एस. के पास जमीन हो, और एक आई.पी.एस. के पास जमीन हो सकती है जिनको आप 2, 3, 4 या 5 हजार रुपये माहवार की तनख्वाह देते हैं, तो सभापति महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका समाजवाद है कि एक 5000 रुपये पाने वाले आई. पी. एस. आफिसर के पास 500 बीघा जमीन हो ? उसको आप फिर भी एक समाजवादी कहें ? लेकिन एक व्यक्ति के पास एक बीघा भी जमीन नहीं है उसको चरागाह में से 1 या दो बीघा जमीन देते हैं तो वह जमीन भी गांव वाले उससे जूते मारकर छीन लेंगे और खेती में भी करेगा तो उसी व्यक्ति के द्वारा काम होगा जिसके पास हल और बैल होंगे। 21 सूत्री कार्यक्रम के लिए आपने हरिजनों आदिवासियों को अट्रेक्ट करने के लिए; अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जमीन दी। रेडियो और समाचार-पत्रों पर बैन लगाकर आप यह कर रहे हैं। आप प्रचार करते हैं कि उनको जमीन दे दी है। आप यह कहते हैं कि गरीब और साधारण आदमी को ऊंचा उठाने के लिए सरकार को श्रेय है। इसका क्या कारण है ? क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट पर सरकार चलती है। गरीब आदिवासी भूखे मरने लगता है तो उनको कुछ डाल देते है, मरने नहीं देते हैं। उनके पर काट कर रख दें ताकि वह और कुछ कर ही नहीं सके। जब उद्योग में करोड़ों रुपये लगाते हैं, उनको करोड़ों रुपये लगाकर स्थापित करते हैं, आप उनको 10 और 20 करोड़ देते हैं, रा-मैटीरियल भी देते हैं। उनको स्वालम्बी भी बनाते हैं। इस तरह की योजना सरकार उन लोगों केनहीं बनाती है। इसका मतलब यह है कि सरकार यह चाहती है कि इस देश में हरिजन और आदिवासी जब तक अज्ञानी हैं, तब तक सरकार चल सकती है। इसलिए उद्योग धन्धे सरकार चलाना चाहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यह सरकार गरीब आदमियों की झोंपड़ियों के पास में शराब की दूकानें खोलती है। दो रुपये कोई कमाकर दिन भर में लाया है तो उसको शराब दे दो भले ही उसके बच्चे भूखे मरते रहेंगे। शराब, चरस, और गांजा के कारण भूखे मरते हैं। गान्धी जी ने कहा था कि स्वतन्त्र भारत में शराब नहीं चलने दी जाएगी। स्वतन्त्रता मिलने पर शराब बन्द हो जाएगी। उनके चेले आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। गरीबों की झोपड़ियों में शराब बिकवाते हैं। सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर विचार

(श्री मूलचन्द सामरिया)

नहीं किया गया है। विरोधी दलों के और कांग्रेस के भी माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। इसके बावजूद इस सेशन में विचारार्थ नहीं रखी गई है। क्यों, आज वह जानते हैं कि वह भारत के लोगों को खरीद सकते हैं। इसीलिए एम. एल. ए. सोचते हैं कि हमारा भी नम्बर आ जाये। इस प्रकार से, इस तरह का नेग्लेक्टेड व्यू काम में लिया जाता है। इससे ज्यादा में क्या निवेदन कर सकता हूं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी कमजोरी हर जगह हमको मारती है। जिसको कि ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शराब बन्दी के बारे में सरकार को कई घोषणाएं हुई हैं। मा. सुखाड़िया जी ने भी घोषणा की थी। उसको यह सरकार मानना नहीं चाहती है ताकि उनको भूखों मारा जाये। स्टेट लाटरी के बारे में कुछ कह कर समाप्त करूंगा। मेरा निवेदन है कि गरीबों में कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं और अपंग हैं। उनसे यह नहीं हो सकता है कि वह अपनी फोटो कापी को अटेस्ट कराने के लिए जा सकें। वह किसी फार्म को भी नहीं भर सकते हैं। कोई अपंग और अंधा यह शर्तें कहां से पूरी कर सकता है। वह अंधा रोकर बैठ सकता है। उसके लिए क्या यह नहीं हो सकता है कि वहां के जन प्रतिनिधि लिखकर दे दें। वह यह लिखकर दे सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में या क्षेत्र में अमुक अन्धा या अपंग आदमी है। जिनको वह लिख दें उनको आप सहायता दे दें। साथ ही साथ किसी अधिकारी को भेज कर आप मालूम करा सकते हैं। अगर आप जन प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं करते हों तो बात दूसरी है। अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति जयपुर में आकर फाटो बनवाये जिसमें उसके 15-20 रु. खर्चा हो जाये। तो इस प्रकार से क्या यह समाजवादी सरकार है? या जन कल्याणकारी सरकार है?

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

मैं एक मिनट और बोलूंगा।

श्री सभापति : आप सब के 43 मिनट हैं। 28 मिनट आप बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वी राजस्थान में इन्होंने ऐसी कोई योजना लागू नहीं की है। जब कि यह क्षेत्र टैक्स सबसे ज्यादा देता है। एक जमवारामगढ़ का बन्धा था जहां से बस्सी तक के किसानों को पानी सिंचाई के लिए मिला करता था। करोड़ों अरबों रुपयों के टैक्सेज लगाये राजस्थान में लेकिन सिंचाई के साधन नहीं आप कल्पना कीजिए कि हम कितनी हीन अवस्था में हैं। एक सिंचाई का साधन रामगढ़ का बन्धा था वह भी समाप्त कर दिया। उसको जयपुर की पेयजल योजना ने ले लिया है। हमने प्लाट बनाकर मिनिस्टरों की टेबुल पर रखे हैं। वह अहसास करें तो काम हो। इसलिए कि वह जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान के एम.एल.ए. एक होते नहीं है। सारी जमीन को बेकार बना दिया है किसानों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया है। यह कल्याणकारी राज्य का काम नहीं है। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जिलों और तहसीलों को दुबारा पुनर्गठन किया जाये। कई जिलों में 3–4 तहसीलें हैं। कई जिले

(श्री मूलचन्द सामरिया)

17-17 तहसीलें आती हैं। जिन में एक ही कलेक्टर है। जयपुर में एक ही कलेक्टर है। बहुत से आंकड़ों द्वारा मैंने यह नतीजा निकाला है। बस्सी को सबहैडक्वार्टर बना दिया जाये। जमवारामगढ़ को लगाने के बाद। वही इफेक्टिव तरीका हो सकता है। और जनता अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से और अधिक आसानी से जा सकती है।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र भारतीय!

श्री सज्जन सिंह : सभापति महोदय, मेरा नाम भी····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भारतीय जी के भयंकर भाषण के बाद तो नक्कारखाने में तूती की आवाज होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समर्थन करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जैसा कि आपको बखूबी मालूम है और मेरे उधर बैठने वाले मित्र कह रहे थे, उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर 26 जून से पहले क्या हालात रहे थे, किन हालातों के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर मार्क्सवादी पार्टी और जनसंघ पार्टी हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे थे किस प्रकार आज जैसे हमारे साथी मोहर-सिंहजी ने भी अमेरिका के विरोध की बात की, मैं समझता हूं, यह सब इमरजेंसी की तस्वीर है। पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया जबसे, निक्सन पिकिंग गये थे और जबसे अभी फोर्ड गये हैं बहुत रिसेन्टली। मैं नहीं समझ पाता कि इस इमरजेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन में यह बात उन्होंने कैसे कही। हम बखूबी जानते हैं कि जिस वक्त बंगला देश का एक्शन हुआ था और बिहार की बात थी उस समय उनके मौलाना भासानी वहां पर क्या काम कर रहे थे, चीन का उस समय क्या रोल था? उस एरिस्टोक्रेटिक चीन का क्या रोल था और प्रजातन्त्र का ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका जो कहता है, जो इंगलैंड और बी.बी.सी. बोलता है, क्या उसने कहा कि बंगला देश के मौके पर कि जो भी हिन्दुस्तान में किया गया वह एक प्रजातान्त्रिक कदम है। क्या बी बी.सी. ने बोला, आजादी के पहले और आजादी के बाद में कभी उसने हिन्दुस्तान के हक में नहीं कहा। बहुत दिनों तक उसको सहन किया गया और हमारी प्रधानमंत्री ने उसको बर्दाश्त किया। इसी प्रकार हमने देखा कि उधर बैठने वाले व्यक्ति कहते हैं कि राजस्थान की पुलिस बिहार में नहीं जानी चाहिए, राजस्थान की पुलिस गुजरात में नहीं जानी चाहिए, गुजरात में जो घटनाएं हुई, माननीय सभापति महोदय, आपने देखा कि कुछ इने-गिने लोग, कुछ पूंजीपतियों के नौजवान वहां पर पकड़े गये कुछ कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उन्होंने इस बात की वहां पर कोशिश की कि प्रजातन्त्रीय तरीके से जो चुनी हुई सरकार है उसको गिरा दिया जाय, बहुत कोशिश की गई, बहुत बर्दाश्त किया गया। हमारी नेता श्रीमती इन्द्रिरा गांधी ने मजबूर होकर जिन्होंने कि अभी हाल में उपवास किया था चुनाव कराने के लिए जो उन्होंने व्रत लिया था और उन्होंने उपवास किया कि प्रजातान्त्रिक तरीके से सरकार को गिराया जाय, इसके पीछे आपने देखा और फासिस्टवादी लोग और श्री जयप्रकाश जी

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

ने इस बात को समझा कि यह तरीका अच्छा है, हम एक-एक सरकार को गिराते चलें और श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी गिरा दिया जाय। मगर हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बखूबी इस चीज को समझ गईं और उनकी हरकतों को बर्दाश्त किया पूरे एक वर्ष तक और उन्होंने इस बात को काफी हद तक बर्दाश्त किया बिहार के अन्दर एम.एल.ए. के साथ में हाथापाई की गई, लेजिसलेटिव असेम्बली में नहीं घुसने दिया, जो कुछ भी उन्होंने किया उसको उन्होंने रोका और उनको कोई भी काम नहीं करने दिया और हर तरीके से चुने हुए लोगों को रोकने की कोशिश की। आपने यह देखा कि यही नहीं बिहार के अन्दर हमारी केन्द्रीय सरकार के मन्त्री ललित बाबू का किसी आनन्द-मार्गी ने मर्डर किया। इसी प्रकार चीफ जस्टिस की कार में गोला फेंका गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से एक के बाद एक दुर्घटना हुई। ये प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले लोग प्रजातन्त्र को फेल करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इन्दिरा गांधी का गरीबी हटाओ प्रोग्राम आगे नहीं बढ़े। और भी बहुत कोशिशें कीं प्रजातन्त्र को खत्म करने की परन्तु आखिर हमारी प्रधान मन्त्री को मजबूर होना पड़ा और इमरजेन्सी लगानी पड़ी। आपने सभी अखबारों में पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ के अन्दर कांग्रेस पार्टी का जो सेशन हुआ उसमें हमारे बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर ने जो एक राजनीतिक प्रस्ताव रखा उसमें उन्होंने बखूबी तारीख वाइज व्यक्तियों को बताया गया है कि किस प्रकार जयप्रकाश जी ने जनता में बगावत पैदा करने की कोशिश की और देश को गर्त में ले जाने की कोशिश की, हमारी प्रधानमन्त्री जी ने इन सारी बातों को समझकर 26 जून को इमरजेन्सी लागू की क्योंकि 29 जून को इनका प्रोग्राम था कि बीस हजार वालियण्टर प्रधानमन्त्री के घर पर प्रदर्शन करेंगे और इनके नेता थे नानाजी देशमुख इनको इसका कमाण्डर कायम किया गया और दिल्ली में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में और गलियों में, मोहल्लों में, जिला हेड क्वार्टर्स पर और सभी जगह इस बात की इन लोगों की कोशिश थी कि इस प्रकार के कार्यक्रम किये जायें, पुतले जलाये जाएँ, बड़ी बड़ी सरकारी प्रापर्टीज को नष्ट किया जाय, इस बात को समझकर बीस सूत्री कार्यक्रम को हमारी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जिस मकसद से बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है, वहां हम दूसरी ओर देखते हैं कि जिन्होंने ललित बाबू का खून किया और वह आर.एस.एस. की पार्टी जिसने महात्मा गांधी का खून किया उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा पाये हैं लेकिन अभी भी उनके जो मित्र लोग हैं उधर बैठने वाले लोग हैं, जनसंघ पार्टी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, और आर.एस.एस. के लोग प्रतिबन्ध लगाने की वजह से कहिये या इमरजेन्सी की वजह से कहिये आज छिपे रहकर जो कार्यवाहियां कर रहे हैं उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें इस बात को भूल नहीं जाना है कि आज वह सतर्क नहीं है, जेलों के अन्दर भी वे सतर्क हैं और बाहर भी उनके लोग पूर्ण रूप से सतर्क हैं इसलिए मैं हमारी

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन साम्प्रदायिक पार्टियों के नेताओं को जेल में रखने की वजह से गेस्ट हाउस में रख रहे हैं, उनको खातीपुरा के गेस्ट हाउस में रख रहे हैं और उन लोगों को रोजाना शफाखाने में लाया जा रहा है, वे खुले ग्रार्डर देते हैं, इन्स्ट्रक्शन्स देते हैं अपनी पार्टी के लोगों को और हम देखते हैं कि बीमारी के नाम पर वे अपने लोगों से मिलते हैं इसी प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बूंदी के छोटे से जिले के अन्दर जैसा कि मैं कई बार दोहरा चुका हूं, सरकार से तीन जगह इन्दिरा मुर्दाबाद के नारे और इन्दिरा के पुतले–रात को दस बजे के बाद हिण्डोली के अन्दर पुतले जलाये गये और इन्दिरा मुर्दाबाद के नारे लगाये गये। दूसरे, मीसा में पकड़े गये लोगों को होटल में रखा गया, उनको मालायें पहनाई गई, और मुर्दाबाद के नारे लगाये, क्या सरकार सो रही है इस तरह की चीजें हो रही हैं और हमारी सरकार आंखें बन्द करके बैठी रहे मैं निवेदन करना चाहता हूं और जैसा कि हमारी नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कामागाटा मारू नगर में एलान किया था मुख्यमंत्रियों के सामने की चाहे मुख्य मंत्री जी यहां बुरा मान जायें किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि वह साम्प्रदायिकता को अपनी अपनी स्टेट में कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं और यह बात सही है और इतनी इनफार्मेशन हमारी नेता के पास है कि आज भी वह पार्टियां पर्दे के अन्दर हमें ललकार रही हैं और प्रेटा कर रही है। यह किस की कमजोरी है? यह हमारी राज्य सरकारों की कमजोरी है।

सभापति महोदय, इन्टक के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिकों के साथ इमरजेन्सी में क्या हुआ है? इस इमरजेन्सी के दौरान जैसा कि हमारे बीस-सूत्रीय कार्यक्रम में भी है कि श्रमिकों को बराबर मजदूरी दिलाई जायेगी, छंटनी और तालेबन्दी का विरोध किया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मजदूर गिरफ्तार करके राजस्थान के अन्दर जेलों में डाले गये। क्या दूसरी तरफ आपने किसी भी एक मिल के मालिक को गिरफ्तार किया? जब कि चार सौ आदमियों की छंटनी उन्होंने की, जब कि सवाई माधोपुर का कारखाना 6 महीने से बन्द पड़ा है क्या आपने किसी प्रकार का कोई कदम उठाया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी उदाहरण आप दे दें। क्योंकि दोनों ही इस देश के नागरिक हैं। दोनों को बराबर के अधिकार हैं। इमरजेन्सी में वह वायोलेशन करते हैं तो उनको भी अधिकार है। और वह करते हैं तो उनको भी अधिकार है लेकिन मिल मालिकों में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। बल्कि मालिकों ने इमरजेन्सी का नाजायज फायदा उठाया है। टैलीफोन का डायल घुमा कर मालिकों ने इस बात की कोशिश की है कि किसी भी मजदूर के लिए डायल कर दिया और उनको जेल में भेज दिया गया। हमारे मुख्य मंत्री के किन्हीं चहेतों ने किसी भी मजदूर को कह दिया कि तुम कुछ करोगे तो जेल में भेज दिये जावोगे अगर किसी ने अपने हकों की मांग की तो इमरजेन्सी के अन्दर बड़ा भारी मिसयूज किया गया श्रमिकों के साथ कि डायल घुमा कर कह दिया जाये कि यह खतरनाक आदमी है इसको जेल के अन्दर भेजा जाये। लेकिन दूसरी तरफ मालिकों के

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

साथ किसी प्रकार की कोई सख्ती अपेक्स बॉडी जो कि श्रम विभाग ने बनाई है उसके अन्दर भी हमने इस बात को प्रेस किया और हम जानते हैं कि छंटनी में आये मजदूरों को वापिस रोजगार नहीं दिला पायेंगे। तो सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेट्री भाई रामानन्द जी ने विस्तार से इस बात को कहा और करीब करीब सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा कि यहां राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर आनन्द मार्गी हैं। इसी प्रकार अग्रवाल कालेज के जो प्रिंसिपल हैं वह भी आनन्दमार्गी हैं। इस हाउस में कई बार यह बात आई लेकिन सरकार की ओर से कभी भी इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजें सरकार को देखना चाहिए। सरकार का फर्ज है कि इमरजेन्सी के अन्दर अगर यह नहीं हुआ तो यह फिर कब होगा।

दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के लिए भी मैं निवेदन करूंगा और यह सही बात है चाहे वह कांग्रेस की बेन्चेज से आये या अपोजीशन की बेन्चेज से आये कि लास्ट हाउस के अन्दर भी लोगों ने बॉय काट किया था लेकिन आज भी राज्य सरकार इस पर सो रही हैं। जिस मसले के लिए अन्तिम व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति बनाने की बात हमारी प्रधान मंत्री करती हैं और उनके लिए वह इसी प्रकार का प्रोग्राम भी बना रही हैं लेकिन हमारी राजस्थान सरकार उस पर सो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से आसन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हाउस में इस समय भी देख रहे हैं चारों तरफ कि की ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बन्धु ही बैठे हुए हैं। आप कम से कम सरकार से रिपोर्ट पेश नहीं करवा सकते हैं तो इनको बोलने का मौका तो दें। मैं कहता हूं कि 99 परसेन्ट मेरे मित्र बैठे हुए हैं जिनको आप आवाज बुलन्द करने का मौका दें।

श्री ओंकारलाल चौहान : वकालात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह तो मेरा धन्धा है।

श्री सभापति : फिर आप उन्हें अपना समय देकर उदाहरण तो पेश करें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अच्छा तो बाकी का मैं मेरा समय उनको देता हूं।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल !

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सभापति जी, आज हम महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में वाद-विवाद कर रहे हैं···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरा नाम कहां है ?

श्री सभापति : राजेन्द्र भारतीय की प्रेरणा की वजह से उनको अवसर देना पड़ा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनका भाषण तो बहुत उपयोगी था।

श्री सभापति : फिर भी आप हरिजनों की श्रेणी में नहीं आते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर भी मैं उनकी गोद बैठ चुका हूं।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल !

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सभापति जी, इस अभिभाषण के सबसे पहले पेज पर इमरजेन्सी के संबंध में कि देश की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति क्या थी उसके संबंध में इसका दिग्दर्शन कराया है। मैं इस संबंध में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि माननीय सदस्य इस संबंध मे काफी बोल चुके हैं लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना अपना फर्ज समझता हूं कि देश के अन्दर ऐसा वातावरण बना कि जिससे देश में लोकतन्त्र को खतरा पैदा हुआ और देश के अन्दर प्रतिक्रियावादी ताकतें चाहे उनको फासिस्टवादी ताकतें कह दें, चाहे इम्प्रीयलीजम के नाम से संज्ञा दे दें ऐसी ताकतें हैं, जो देश को प्रजातंत्र के रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते की ओर ले जाना चाहती थीं और उनके मुकाबले में एक शक्ति का उभरना आवश्यक था। ऐसी हालत के अन्दर जबकि देश के हालात आजादी के बाद इन 27 वर्षों के अन्दर जितने भी प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान के अन्दर हुए उन्होंने प्रजातंत्र को पूर्ण रूप से निभाया और देश के अन्दर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए विरोधी पक्ष की भी बातें मानीं लेकिन इसमें ऐसा वक्त भी आया जबकि सम्पूर्ण क्रांति के नाम पर जयप्रकाश नारायण ने उसका आह्वान् किया और देश की अर्थव्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था को ठप्प करना चाहते थे। ऐसे अवसर ऐसा मालूम होने लगा कि देश के अन्दर लोकतंत्र को पूरा खतरा पैदा हो गया है। ऐसे समय पर हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सही समय पर सही कदम इमरजेन्सी लागू करके देश को गड्ढे में और खतरे से बचाने का एक प्रयास किया। माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि ऐसी प्रक्रिया चल पड़ी थी कि जहां अनुशासन का कोई नाम नहीं था चाहे वह श्रमिकों के संबंध में हों, चाहे वह एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन के संबंध में हो, चाहे राजनैतिक जीवन में हो उस समय को देखते हुए इमरजेन्सी को कायम करना और इमरजेन्सी को लागू करना एक आवश्यक कदम था। मेरे विरोधी इस बात को कहते हैं कि इमरजेन्सी सिर्फ इसलिए लागू की गयी कि भारत की प्रधान मंत्री अपने आपको सुरक्षित रखना चाहती थी और वह एक पक्षीय राज्य कायम करना चाहती हैं। मैं समझता हूं कि यह उनका तर्क बिल्कुल गलत है। यह न्याय संगत नहीं है। आज देश के अन्दर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही थीं 26 जून के पहले कि उसको बचाने के लिए आवश्यक हो गया था। देश किस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक रूप से कैसे आगे बढ़े उस आर्थिक और राजनैतिक और सामाजिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह कदम उठाया गया। माननीय सभापति जी, ज्योंहि प्रधानमंत्री जी इमरजेन्सी लागू की आर. एस. एस. पर बैन लगा, आनन्दमार्ग पर बैन लगा जमायते इस्लाम पर बैन लगा लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन 6 महीनों के अन्दर जहां इस अभिभाषण में ला एण्ड आर्डर की बात आती है राज्य में मैं थोड़ा आपका ध्यान

(श्री ओंकारलाल चौहान)
दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, कानून और व्यवस्था आज भी राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी के अन्दर, कैपीटल के अन्दर 3 तारीख को सांगानेरी गेट पर जहां मिनर्वा टाकीज है लोगों ने स्लोगन बोले और एन्टी-नेशनल स्लोगन्स बोले। इस प्रकार के स्लोगन्स इंदिरा गांधी के खिलाफ बोले और देश के खिलाफ पर्चे बंटते हैं। उसी प्रकार से जयपुर जैसी राजधानी में 5 बत्ती के चौराहे पर 5 जनवरी को इस प्रकार के नारे लगाये जाते हैं, महिलाओं के द्वारा पिकेटिंग होता है और कामकाज को ठप्प करने की बात की जाती है। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या जो हमारी ला एण्ड आर्डर की मशीनरी है। वह ठीक है?

क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि इस प्रकार की जो आये दिन घटनायें हो रही हैं उसकी रोकथाम करें और जो भी लोग इस षड्यन्त्र के पीछे हैं उनके खिलाफ में ठोस कदम उठाये जायें। ताकि इस प्रकार की घटनाओं की हमारे यहां पर पुनरावृत्ति नहीं हो। सभापति महोदय आज भी आपके यह आर. एस. एस. वाले, आनन्दमार्गी लोग और दूसरे असामाजिक तत्व लोग इस तरीके के काम बराबर कर रहे हैं कि देश में गड़बड़ी फैले। देश में अराजकता फैले। सभापति महोदय, आज हमारे यूनिवर्सिटी के अन्दर भी ऐसे कई लोग हैं जो कि इस प्रकार की हरकतों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि उन लोगों को वहां से निकाल के बाहर करे। अभी थोड़ी देर पहले सदन में हमारे कुछ विरोधी भाइयों ने यह कहा था कि कुछ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायर किया गया है यह ठीक है कि राज्य सरकार के ऐसे लोगों के खिलाफ में कुछ कदम उठाया है लोगों को जो कि समाज और राज्य के प्रति वफादार नहीं थे या राज्य सरकार की नीतियों पर अमल नहीं कर रहे थे उन्हें कम्पलसरी रिटायर किया है। मेरे भाई ने बताया कि 1906 लोगों को कम्पलसरी रिटायर किया है। तो मैं नम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सिर्फ 1906 सरकारी कर्मचारी हैं जो कि सरकार विरोधी तत्व थे। क्या यहीं पर इस समस्या का अन्त हो गया, यह बात नहीं है। अभी तो हमें प्रजातन्त्र को ठीक तरह चलाने के लिये समाजवाद लाने के लिए हमारे देश की प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हमें और भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे उन लोगों के खिलाफ में जो कि हमारी प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में हमने 250-300 साल तक संघर्ष किया। आज भी हमारे देश में उनकी जड़ें हैं जो कि हमारे देश प्रजातन्त्र को समाप्त करना चाहते हैं इसके लिए सभापति महोदय हमें कान्फीडेन्शियल इन्क्वायरी करने की जरूरत है। आज भी हमें कान्फीडेन्शियल तरीके से देखना होगा कि ऐसे कौन से हमारे राज्य सरकार के अन्दर और बाहर तत्व हैं जो कि हमारे देश की महान नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा-गांधी की नीतियों की अवहेलना करते हैं उसके खिलाफ में कार्यवाही करते हैं, और इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं जिससे

(श्री ओंकारलाल चौहान)

हमारे देश में जनतन्त्र समाप्त हो जाये और अराजकता बढ़े। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये राज्य सरकार को सभापति महोदय इस बारे में सही ढंग से काम किया जाय। आज हमारे देश में प्रजातन्त्र के लिये दो एपेरेटस हैं राजनैतिक और प्रशासनिक जब तक इन दोनों का तालमेल ठीक तरह से नहीं होता तब तक आप चाहे जितना काम कर लें आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, गरीबी मिटाना है गरीबों को आगे लाना है, देश का विकास करना है समाजवाद लाना है तो आपके लिये यह जरूरी है कि राजनैतिक एपेरेटस और प्रशासनिक एपेरेटस में पूरी तरह से कांडिनेशन होना जरूरी है। आज हमारे देश को आजाद हुए 27 साल हो गये हैं पर फिर भी सभापति महोदय हमारे यहां पर एक बड़ी लड़ाई आज तक चल रही है वह लड़ाई है डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में। सभापति महोदय मैं ब्यूरोक्रेसी की खिलाफत नहीं करना चाहता। सभी ब्यूरोक्रेट्स की बुराई नहीं करता लेकिन मैं उनके बारे में कहता हूं जो कि बड़े-बड़े आई. ए.एस. और आई.पी.एस. आफिसर हैं जो ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं और हमारे देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की नीतियों को अमली जामा पहनाने में विरोध करते हैं उसमें रुकावट पैदा करते हैं और अन्दर ही अन्दर सैबोटिंग करते हैं तो उनके खिलाफ में हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी उन्हें हमें निकालकर बाहर करना होगा। उनके साथ में हमें नर्मी से नहीं बल्कि कठोरता से, सख्ती से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उनके खिलाफ में सख्त कदम हमें उठाने पड़ेंगे वैसे हमने कुछ कदम उठाये हैं लेकिन फिर भी अभी भी मैं इस सम्बन्ध में सभापति महोदय आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे आर्गेनाइजेशन है हालांकि आपने आज आनन्द मार्ग और आर.एस.एस. पर बैन लगाया है लेकिन आप जब तक जनसंघ पर बैन नहीं लगाते तब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। हमें इन लोगों से लोहा लेना पड़ेगा। उनका दमन करना पड़ेगा जो कि हमारे प्रधान मंत्री की नीतियों पर अमल करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसी में हमारे देश का हित है। सभापति महोदय सन् 1949 में डाक्टर अम्बेडकर साहब से मिला जो कि हमारे देश के संविधान के निर्माता थे उन्हें मुझे बताया दिनांक 26-11-49 को कि 26-1-50 को हमारे देश के अन्दर पालिटीकल समानता आ जायेगी। लेकिन हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिये हमें अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। और उस बात को हमारे देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने भी माना और इसीलिये उन्होंने सोचा कि चूंकि हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जो कि पिछड़ी हुई है छोटे लोग हैं, तथा शोषित हैं, पीडित वर्ग है उन्हें हमें ऊपर उठाना है तो हमें आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम तेजी से लागू करने होंगे। हमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं रखना है बल्कि हमें इन्हें ऊपर उठाना है जो कि पीड़ित वर्ग है। इन सभी मुद्दों पर सोच कर 26 जून को तुरन्त ही हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इमरजेन्सी लागू कर दी। जो की सही वक्त पर सही ढंग से लागू की गई। उसका असर आप सभी लोग देख रहे हैं उसकी कुछ

(श्री ओंकारलाल चौहान)

उपलब्धियां भी हुई हैं। ठीक है, पर जितना काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम निकाला जो वास्तव में हमारे देश के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे यहां पर भी हमारी राज्य सरकार ने इस 20 सूत्री कार्यक्रम में अपना हाथ बंटाया। लेकिन आज हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में कोई कार्यवाही हुई है। कहीं ऐसा नहीं हो कि यह एक कागजी कार्यवाही ही होकर रह जाय। क्योंकि आज आपको मैं बताना चाहता हूं अलाटमेंट के बारे में काफी कुछ कहा गया लेकिन हमारे झालावाड़ जिले में मेरे ही चुनाव क्षेत्र में कई ऐसी वारदातें हुई हैं अलाटमेन्ट की बात को लेकर, इजेक्टमेन्ट के मामले में करीब 100 परिवार ऐसे हैं, जिनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया। मेरे चुनाव क्षेत्र में गंगधार गांव में 100 परिवार जो कि बेचारे गरीब थे उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया जब मुझे पता पड़ा तो मैंने उसके बारे में कलेक्टर को लेटर लिखा कि जब इन लोगों को वही लैण्ड अलॉट हुई थी उनको उसी जमीन के पट्टे दिये गये थे फिर क्या कारण है कि इन बेचारे गरीब लोगों की खड़ी फसल नष्ट कर दी गई। क्या यह नेशनल वेस्ट नहीं है। सभापति महोदय, 10–11–75 को जिलाधीश, झालावाड़ को लिखा उसके बाद में मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैंने कलेक्टर को लिख दिया है तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें उन्होंने नई बात क्या की। आज इस प्रकार की घटनायें सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो नहीं बल्कि कोटा जिले में दीगोद में, शाहबाद में और कई जगह पर बेचारे गरीब लोगों की खड़ी फसल नष्ट कर दी गई। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसके लिए आपको इन्क्वायरी करनी चाहिये। इसके लिये जो दोषी अधिकारी है चाहे वह एस. डी. ओ. हो, चाहे कोई अधिकारी हो आपको उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। आपको उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। उन्हें ससपेन्ड किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं न केवल मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हुआ बल्कि और जगह भी ऐसा हुआ है उसके लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है और आप कार्यवाही नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि सभापति महोदय, हमारे कार्यक्रम पूरे नहीं हो सकेंगे। माननीय सभापति जी, दूसरे मुद्दे में प्रस्तुत करना चाहता हूं। घडी में देख रहा हूं। लेकिन मैं माफी चाहता हूं आपसे कि मैं दो एक मिनिट अधिक ले लूं।

माननीय सभापति जी, कई अहम मसले हैं। ट्राइबल बोर्ड बना। इतने कमीशन बन रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय तो हैं ही नहीं, राज्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं। इन कमीशन्स का क्या नतीजा निकल रहा है आपके सामने। इनके द्वारा छः महीने में क्या उपलब्धि हुई है। बोर्ड ने क्या किया ?

एक माननीय सदस्य : एम्पलॉयमेन्ट हो गया है दस आदमियों का।

श्री ओंकारलाल चौहान : दस आदमियों का प्रश्न नहीं है। राजस्थान का इससे विकास होता है तो मैं तारीफ करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका कोई बजट नहीं, प्रावधान नहीं। पैसा कहां से आवेगा ? बोर्ड बना दिया गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कागजों में लिखा है वह ही है, बाकी फील्ड में और ही दशा है। तहसीलें जो शामिल की गयी हैं वह की गई हैं, जिला बांसवाड़ा, जिला डूंगरपुर, जिला चित्तौडगढ़। उदयपुर की हैं 7 तहसीलें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों का क्षेत्र वहीं तक ही सीमित नहीं है। उनका इधर उधर भी तो होना चाहिये। जिससे उनमें भी तरक्की आयी। आज राजस्थान में ऐसे हिस्से भी ट्राइबल की दृष्टि से मौजूद हैं जिनका भी तो उत्थान होना चाहिए। शाहबाद में सहरिया ऐसी कम्युनिटी है जिसकी विशेष स्थिति है। विशेष प्रकार की बोली चाली है और विशेष प्रकार से जिनका रहन सहन है। मैं उनकी पावर्टी की कोई व्यवस्था ही नहीं कर सकता हूं। आध घंटे बाद भी यदि उनके कपड़े देखें तो वैसे के वैसे ही माननीय सदस्य स्वयं जाकर देख सकते हैं। उनकी दशा में सुधार नहीं हुआ है। कोई भी प्रगति चाहे एजूकेशन की दृष्टि से हो और किसी क्षेत्र में हो, उनकी नहीं हुई है। उनके नाम से दूसरे लोगों ने जमीन ले रखी है। वे उसका फायदा उठाते हैं। नाम होता है सहरियों का और फायदा उठाते हैं सरमायेदार। आज भी वे उनका शोषण करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि। 5 परसेन्ट से भला क्या उत्थान किया जावेगा ? मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिला डूंगरपुर, आसपुर 46.46 जिला उदयपुर गोगुन्दा 37.2, जिला उदयपुर 46.6 और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ 47.8। तहसील शाहबाद 33.2 परसेन्ट। यह हाल है। जो ट्राइबल, प्लान इन जिलों के लिये लागू किया है ये भी तो राजस्थान के ही हिस्से हैं। फिर यह भेदभाव क्यों ? कोशिश यह होनी चाहिये थी, प्रयास यह होना चाहिये था कि इन लोगों को भी तो जीने का अधिकार है, राजस्थान के लोग हैं, बाहर के तो नहीं हैं, जिनकी दशा खराब है इसको भी तो इन्क्ल्यूड करके विकास का कार्य करना चाहिये था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मंत्री महोदय इससे सम्बन्धित है इसको पुनर्विचार करें, इसको रिव्यू करें और वे भारत सरकार के पास जायं उनसे निवेदन करें कि इन लोगों को शामिल करिये।

इर्रीगेशन के मामले में झालावाड़ जिला काफी पिछड़ा हुआ है। इन्डस्ट्रियली भी पिछड़ा हुआ है। तहसील खानपुर, गंगधार और पचपहाड़ तीन जगह ऐसी हैं जहां पर अन्न ज्यादा पैदा होता है। दोनों फसलें अच्छी होती हैं। लेकिन ताज्जुब यह होता है कि बिजली मंत्रीजी के पास में बिजली है, सड़क का महकमा है और पावर का महकमा भी है। ये तीनों महकमे ऐसे महकमे हैं जो गाइड लाइन्स प्राइम मिनिस्टर ने दी हैं प्रान्त की बहबूदी के लिये, ये अहम चीजें मौजूद हैं। उस कान्स्टीट्यूएन्सी के सम्बन्ध में देवपुराजी को लिख रहे हैं। और वे कमेन्ट्स मांग रहे हैं। चिट्ठी पढ़ने का समय नहीं है। तीन साल से पंचायत समिति और जिला परिषद् झालावाड़ बराबर लिख रहे हैं आर.ई.सी. स्कीम में शामिल किया जाय। क्या रूपरेखा बनाना

(श्री ओंकारलाल चौहान)

चाहते हैं ? क्या रोड़ा है ? मैं समझ नहीं पाता। मैं समझता हूं सरकार को गौर से देखना चाहिये। सब चीजों को शामिल करना चाहिये। प्रधान मंत्री यही तो चाहती हैं कि किसान मजबूत हो, मजदूर मजबूत हो। धीरे 2 उनको आगे आने का मौका मिले।

एजूकेशन की बात को लेना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं। 176 स्कूलों को क्रमोन्नत किया है। क्या आधार है ? मैंने देखा है, लिस्ट उठा कर आप भी देख लीजिये। कई माननीय सदस्य के यहां तो दो दो स्कूल खोले गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नहीं।

श्री ओंकारलाल चौहान : सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य के यहां दो जगह खोल दिये हैं। जांच करवा लीजिये आप। नहीं तो मैं अपने वर्ड्स वापिस ले सकता हूं। हमने शिक्षा मंत्रीजी से कहा है तो कहा कि मुख्य मंत्रीजी से कहें। हमने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ कहा। शिड्यूल्ड कास्ट की कान्स्टीट्युएन्सी है, पिछड़ा हुआ इलाका है, मध्य प्रदेश के बोर्डर पर है माननीय शिक्षा मंत्रीजी, बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह भेदभाव क्यों करते हैं ? पोलिटिकल ग्रिवान्सेज, झगड़े हो सकते है, डिफरेन्स आफ ओपिनियन हो सकती है। क्षेत्र और जनता ने क्या बिगाड़ा है ? इस प्रकार की वातों से ठेस पहुंचती है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो जनता के सामने विकास सम्बन्धी हैं और ये जो उपलब्धियां हैं वे कैसे आवेंगी ? केवल भाषण हो जाने से यह होने वाली नहीं हैं। सही दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रधान मंत्री की नीति और नियत दोनों साफ हैं। लेकिन राज्य सरकार ठीक तरह से इम्प्लीमेन्ट नहीं कर रही है। गम्भीर मसले होते हैं। सोचने और देखने की बात है कि किस प्रकार से पिछड़े हुए प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं।

मैं यह निवेदन करता हूं कि इन चीजों के बावजूद राज्य सरकार उन सब बातों पर गौर करेगी और एक कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच लेकर करेगी। इम्पलीमेन्टेशन में किसी मेम्बर को लिया और नहीं लिया, कई लोग आते हैं और चले जाते हैं लेकिन ऐसे लोग जो कांग्रेस के विरोधी हों, हमारे माननीय सदस्य दलपत सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़े, मुझे नाम तो याद नहीं•••

श्रीमती सुमित्रा : छोगा लाल।

श्री ओंकारलाल चौहान : जिनकी कोई नीति नहीं, जिनका कोई विचार नहीं, जिनका कोई ख्याल नहीं, आज कांग्रेस में आ गये तो उनके व्यवहार में फर्क हो गया, उनके थिन्किंग में फर्क हो गया आखिर हमको असली चीज कि किस प्रकार से जो देश की रीढ़ की हड्डी है–किसान और मजदूर उनके शोषण को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। एक पाइन्ट और आ गया, बहुत आभारी हू आपका, आपने समय दिया मैं क्षमा चाहता हूं–एक कर्ज की बात याद आ गई उसमें यह लिखा है जिस तारीख से घोषणा की 15 अगस्त से राजपत्र में उससे यह लागू होता है, उससे पहले के जो कर्जे हैं या सूट चल रहे हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, मैं समझता हूं कोई

(श्री ओंकारलाल चौहान)

भी व्यक्ति जो महाजन है और इस प्रथा को चलाता है वह बहुत सोच समझकर चलाता है उसमें कोई न कोई चीज निकाल लेता है जिससे वह बच निकलता है। कोई कानून किसी तरफ प्रभावशाली न हो तो उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

तो पहले वाले कर्जों पर कोई फायदा नहीं होगा इसलिये मैं बहुत नम्रता से निवेदन करते हुये यह कहना चाहता हूं सब बातों के होते हुये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज : सभापति महोदय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस सम्बन्ध में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं संकटकालीन स्थिति पर काफी बातचीत हुई है मुझे तो संकट कालीन स्थिति, इस शब्द से जरूर ऐतराज है अगर सचमुच में इसका सही नामकरण किया जाय तो संकट मोचन स्थिति होना चाहिये। जो भी आपदायें हमारे देश के सामने हैं उनका विवेचन यहां हुआ है लेकिन मैं सभापति महोदय जैसा हमारे इस विधान सभा के बाहर जब कभी बैठकें होती थीं और जो प्रदर्शन व हालात होते थे उससे हमारे खुद के काम में कितना विघ्न होता था, कितनी बाधायें आती थीं उसको सोचकर यह कह सकते हैं कि कितनी बाधायें आती थीं हमारे माननीय सदस्य जो इस समय मंत्री हैं छंगाणी साहब, वे एक बार फटे कुर्ते और पैजामें में आये थे और उनकी यह हालत किसने की, जयपुर के जो क्रीम आफ दी सोसायटी गिनी जाती हैं उनके द्वारा जो प्रदर्शन हो रहा था और जिस हालात में आये सचमुच हम जो लोकतन्त्रीय पद्धति में विश्वास रखते हैं उन्होंने सोचा होगा कि हम किधर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हर स्कूल में, हर फैक्टरी में और हर जगह क्या हालत बिगड़ गई थी सचमुच जो स्थिति है एमरजेन्सी के अन्दर संकट मोचन के नाम से जानी जायगी जिसने हमारे देश को आवारा गर्दी से बचा लिया और सुदृढ़ पुनः लोकतन्त्री पद्धति की ओर अग्रसर किया।

मैं समझता हूं काफी लोग आज भी इस ख्याल में हैं कि ज्यों ही एमरजेन्सी खतम हो जायगी त्यों ही उनके वे दिन पुनः लौट आयेंगे और वापिस गुण्डा गर्दी करेंगे, मनमाने रूप से हड़ताल करेंगे, मनमाने ढंग से लूट-खसोट करेंगे, इस प्रकार की चर्चा चलती है जो कुछ आफिसर्स और लोगों के दिलों में हैं तो इसका निराकरण भी जरूरी है, यह भी जरूरी काम है जो 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे प्रधान मंत्री ने शुरू किये हैं यह एक बहुत पुरानी श्रृंखला की एक कड़ी है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, महात्मा गांधी जी ने भी एक तरफ आजादी का संघर्ष छेड़ा था तो दूसरी तरफ रचनात्मक कार्यक्रम भी साथ चलते थे ताकि रचनात्मक प्रवृत्तियों द्वारा भी काम किया जा सके। उसी प्रकार हमारे देश की प्रधान मंत्री ने लोकतन्त्र की विरोधी ताकत है उनके खिलाफ एक जिहाद छेड़ा और दूसरी ओर 20 सूत्री कार्यक्रम का यह रचनात्मक कार्यक्रम भी छेड़ा है।

(श्री मोहन राज)
इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए यह छेड़ा है।

यह एमरजेन्सी चन्द दिनों की है ज्यों ही हट जायगी त्यों ही पुराने दावपेच, वे ही हड़तालें करवायेंगे, मन माने समय पर दफ्तरों में आयेंगे और उसी पुराने ढंग से काम करेंगे–इस प्रकार की जो विपरीत भावना है वह अभी एमरजेन्सी के कारण दबी हुई है तो जब तक वह समूल रूप नष्ट नहीं हो जाय तब तक इस एमरजेन्सी को बनाये रखना है। मैं समझता हूं जो हमारा आर्थिक कार्यक्रम है उस दृष्टि से भी लम्बे रूप में सोचना पड़ेगा आखिर यह जो भावना लोगों के मन में है उसको निकालनी होगी और लोगों के दिलों में यह बात बैठानी होगी कि अब पुराने दिन लौटने वाले नहीं है, हमारी प्रधान मंत्री ने भी जैसा कहा है कि अब पुरानी स्थिति को नहीं लौटने दिया जायगा और इसके लिए हमें भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यह सुझाता हूं–

एक तो शिक्षा को अर्थ प्रधान बनाना पड़ेगा दूसरा प्रशासन के ढांचे को निष्ठावान और ईमानदार बनाना होगा, तीसरा मेरा जो सुझाव है वह यह है कि मजदूरों और किसानों को आर्थिक लाभ का हिस्सेदार बनाना होगा और चौथा सुझाव है आम जनता में लोकतन्त्री निष्ठा का और लोकतन्त्री सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना होगा और इन सबको मजबूती से करना होगा। मैं सोचता हूं इन पर विस्तार से कहा जा सकता है लेकिन जब कभी मौका आयेगा या अलग से गोष्ठी होगी उसमें विचार किया जा सकता है। कुछ मुद्दों पर विचार किया है लेकिन बुनियादी तौर पर जो इन्सान की भावना है पुराने सामन्ती युग की भावना को बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक वापिस निरंकुश शासन में रहने की जो प्रवृत्ति है वह खतम नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि ये सारी चीजें जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अथवा आर्थिक तरक्की के लिए कदम उठाया गया है उसमें आम आदमी में सुधार हो रहा है जिसके पास रहने को मकान नहीं थे, उनको मकान दिये जा रहे हैं, जिनके पास खेती को जमीन नहीं थी उनको खेती के लिए जमीन दे रहे हैं सारे आर्थिक सुदृढ़ता के लिए कदम उठा रहे हैं लेकिन अगर हम उनके जीवन में परिवर्तन नहीं लाये जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान हो···

(4.20 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

तो हमारे सारे कार्यक्रम गड़बड़ा जायेंगे इसलिए मैं प्रधान मंत्री ने जो 2 अक्टूबर को 12 सूत्री कार्यक्रम नशाबन्दी का लागू किया है उस ओर भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह मुख्य बात है। प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम जो लगाया है उसमें माली हालत सुधारने के बाद मजदूर और किसान के घर में पैसा आयेगा। अगर वही पैसा फालतू कामों में आने से नहीं बचा कुरीतियों में लगने से नहीं बचा तो उसका घर फूटे घर की तरह ही रहेगा। इसलिये

(श्री मोहन राज)

उन्होंने 12 सूत्री कार्यक्रम का आवहान किया हैं और तमाम प्रान्तों में यह कहा है कि नशा बन्दी की दिशा में प्रथम कदम मानते हुए अग्रसर हों। हमारे प्रधान मंत्री ने उसी सप्ताह अक्टूबर में ही एक स्टेटमेंट देकर यह एलान किया कि राजस्थान में इनमें से बहुत सारी बातें 12 सूत्री कार्यक्रम की लागू हैं·· मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने इस तरह के सरकुलर्स जरूर निकाले, इस तरह की विज्ञप्तियां जरूर जारी कीं कि हमारे यहां शिक्षण संस्थाओं के पास, देवालय और मन्दिरों के पास, धर्मशालाओं के पास, मजदूर बस्तियों के पास रेगरों की बस्तियों में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। आज भी जगह जगह इतनी शराब की दुकानें जो पुरानी हैं उसके अलावा नयी दुकानें खुल गयी हैं। जिस आदमी के पास थोड़ा पैसा है तो वह उन शराब की दुकानों पर जाता है और जो उसका नतीजा होता है वह आप सब जानते ही हैं।

जयपुर में रेगरों की बस्ती में शराब की दुकान बन्द करने का बहुत बड़ा आन्दोलन छिड़ा था और मैं भी उन दिनों वहां गया था जबकि वहां पर शराब का ठेका था। एक छोटा सा बच्चा वहां पर मिला और वहीं का एक कार्यकर्ता भी हमारे साथ था। मैंने उस बच्चे से पूछा जिसकी उम्र ग्यारह या बारह साल की थी कि तुम क्या करते हो। उसने कहा कि मैं बूटों की पालिश करता हूं। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते तो उसने कहा कि मैं अगर स्कूल चला जाऊं, तो परिवार में दूसरे लोग भूखों मर जायेंगे। उसके परिवार में मां थी, बाप था, एक बड़ा भाई और छोटी दो-तीन बहिनें थीं। उसने आगे बताया कि मेरा बाप और बड़ा भाई जो भी कमाकर रोज की मजदूरी से लाते हैं वह शाम को आते हैं तो ठेके पर खर्च करके चले आते हैं और शाम को एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं रहता है। मैं जो भी बूट पालिश करके थोड़ा बहुत कमाता हूं उससे घर के लोगों को रोटी मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके स्कूल खुले हुए हैं और इस तरह से वह बेकार चले जाते हैं। आज जनता के जिस वर्ग के लिए स्कूलों का प्रचार कर रहे हैं वह शिक्षा से महरूम रहते हैं इसलिए कि आज जगह-जगह पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं। जब भी इसके लिए कहा जाता है तो यही जवाब दिया जाता है अगर शराब बन्दी कर दी गयी तो हमारी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जायेगी। हमें इससे जो धन प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त होना बन्द हो जायेगा तो हमारे विकास की गति मन्द पड़ जायेगी। मैं कहता हूं कि आप शराब की दुकानें खोलकर उससे रुपया कमा कर कौनसी विकास की गति और कैसी विकास की गति को तेज कर रहे हैं। मैंने अभी बताया कि क्या हालात हो रहे हैं। गरीब आदमी जिसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आप शराब से अधिक कमाई करना चाहते हैं वास्तव में शराब उसी के जीवन स्तर को तो नीचे गिराने के लिये काम में लाई जा रही है। इसके ऊपर गम्भीरता से सोचना चाहिए। केन्द्रीय सरकार से जो मदद मिल सकती है वह लेनी चाहिए लेकिन अब तो उनका यह आदेश हो गया है, मैं अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पुराने प्रस्ताव हैं उनका जिक्र नहीं करता, जो हमारे भारतीय संविधान के अन्दर इसके

(श्री मोहन राज)
मुतल्लिक धारा है उसका जिक्र नहीं करता मैं तो 2 अक्टूबर को घोषणा हुई है उसके संबंध में कहता हूं। यदि राज्य सरकार इसकी तत्काल परिपालना करवा दें तो बहुत बडा कल्याण होगा और गरीबों की बहुत बड़ी सेवा कर पायेंगे और वह आदेश है केन्द्र का। अगर शराब बन्दी के प्रोग्राम पर आंख मूंदे बैठे रहे तो आपका बीस सूत्री कार्यक्रम निकम्मा होकर रह जायेगा और इसका असली फायदा जो जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पायेगा। मैं सोचता हूं कि इस ओर राज्य सरकार खास तौर से ध्यान देगी।

दूसरी चीज जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है परिवार नियोजन के बारे में। यह एक ऐसा अहम मुद्दा है कि हमारे सारे विकास की योजनाएं और सारे सुधार के कार्यक्रम बिलकुल बेकार पड़े रह जायेंगे अगर हमने बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। यह ऐसी चीज है कि हमारे जो आज के आंकड़े हैं उनके आधार पर हम अपनी योजनायें बनाते हैं और चन्द वर्षों के अन्दर सारे आंकड़े गलत हो जाते हैं। उसके आधार पर हमारी सारी योजनायें बेकार हो जाती हैं और इसके लिए जो भी उपाय किये जा रहे हैं वह बड़े हाफ हार्टेड किये जा रहे हैं। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है। मैं सोचता हूं कि इसके लिए कुछ ठोस प्रोग्राम बनाया जाये और उसके लिए जो आपके बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग हैं और उसके अन्दर चाहे सरकारी कर्मचारियों को ले लीजिए या दूसरे लोग हैं एक तत्कालिक उपाय यह हो सकता है कि जिन लोगों को राज्य सरकार के खजाने से चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हैं कम से कम उनके ऊपर यह बन्दिश लगा दें कि उनके दो सन्तान होने के बाद अगर और सन्तान होती है तो उनको मेडिकल फैसेलिटी बिलकुल बन्द कर दी जायेगी। अगर यह उपाय आप काम में लायें तो आप को बड़ा भारी लाभ होगा और आपका यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दूसरे भी मेरे दिल में कई सुझाव हैं। आपने अभी फैमिली प्लानिंग सेन्टर्स कायम कर रखे हैं और वही इस काम को करते हैं। क्यों नहीं हमारे गांवों में जो डिस्पेन्सरीज हैं, एड पोस्ट हैं जहां दूसरी मेडिकल फैसेलिटीज मिलती हैं वहां पर हजारों और लाखों की तादाद में स्टाफ है उस सारे स्टाफ को इस काम के अन्दर प्राथमिकता के तौर पर लगायें। उनको कहें कि सारे और चिकित्सा के काम गौण हैं और पहला काम हमारा फैमिली प्लानिंग का है और आपकी जो जगह-जगह एड पोस्ट्स हैं, डिस्पेन्सरीज हैं और सब सेन्टर्स हैं फैमिली प्लानिंग सेन्टर्स के अलावा उनको भी आप फैमिली प्लानिंग के बारे में टारगेट्स दीजिए तब जाकर हम यह अभियान के तौर पर इस कार्यक्रम को छेड़ सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं।

दूसरी चीज जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि जब बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सीलिंग कानून के तहत बड़े-बड़े राजा और महाराजाओं की जमीन अधिग्रहण करने का अभियान शुरू किया तो मैंने देखा है मेरे इलाके की बात ही नहीं दूसरी जगह पर भी यही हालात होंगे कि बड़े पैमाने पर हरे दरख्त काटे जा रहे हैं। बाली के एक किलोमीटर की दूरी पर भूतपूर्व जोधपुर महाराजा का एक 7

(श्री मोहन राज)

हजार बीघा का जोहड़ आया हुआ है जिसके लिए सरकार से आदेश हो गये है कि वह कब्जे में ले लिया जाये लेकिन वह अभी तक कब्जे में नहीं लिया गया है। वहां पर चन्द लोगों ने पांच बड़े-बड़े कोयले के भट्टे बनवा दिये और सारी लकड़ियां काटकर साफ कर दी गयीं। इसी तरह से बाली से 1।। मील दूर सेला गांव है वहां पर भी तीन बड़े भट्टे कोयले के बनाये जो कि फारेस्ट में गोचर के लिए भूमि रिजर्व की थी। चन्द लोगों ने अनधिकृत रूप से न किसी एस. डी. ओ. की परमीशन, न तहसीलदार कर परमीशन और न कलेक्टर को इसकी जानकारी और वाला-वाला चन्द लोगों ने चोरी करने के लिहाज से लाखों दरख्त काट दिये और जब इस बात को ध्यान में लाया गया तो कानून देखते है। कानून स्पष्ट होते हुए भी इस समय जो मौके के राजस्व अधिकारी है उन्होंने इस मामले में बड़ी लेतलाली बरती है और मैं सोचता हूं कि राजस्व मंत्री जी बैठे है वह जानकारी करें। जहां भी इस तरह की जमीन अभी तक अधिग्रहण नहीं की गयी है जैसे जोधपुर महाराजा की नहीं ली गयी उसको तत्काल लिये जाने के आदेश दें वरना वह जमीन सरकार के कब्जे से निकल जायेगी और जिसके ऊपर जनता की 60 हजार मवेशी गुजर करती है उसके भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। इसलिए उसके लिए तत्काल कदम उठायें।

दूसरी चीज जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह काश्तकारों को पास बुकें कुछ जगह दी गई और कुछ जगह नहीं भी दी गई लेकिन जो भी पास बुकें दी गई उसके अन्दर हमने काफी विचार विमर्श के बाद कई खाने दिए थे। सरकार से उसने जो कर्जा लिया उसमें कितना दे दिया और कितना देना है, देश की सरकार में उसको बीगोड़ी देनी है, बीगोड़ी जमा कराएगा तभी दर्ज करेंगे ताकि अकाउण्ट बुक कम्प्लीट रहेगी। जब कभी उसे सरकार से लोन लेना हो या बैंक से लोन लेना पड़े तो दूसरी जगह से सर्टीफिकेट लाने की या सर्टीफाइड कापी लाने की आवश्यकता नहीं हो, कोई भी डाकूमेंट तहसील से प्राप्त करने की जरूरत नहीं हो लेकिन जो भी पास बुक वितरण की गई हैं वे अधूरी हैं, उन्हें भी कम्पलीट कराया जाये। और इस तरह की विज्ञप्ति आप जारी करेंगे या नियमों के अन्दर दाखिला करेंगे, यह घोषित करेंगे कि काश्तकारों के पास खातेदारी के, उसकी जमीन के मुत्तल्लिक, कर्जे के मुत्तल्लिक पास बुक के जो इन्द्राजात है वही आखिरी डाकूमेंट है। कम्प्लीट इन्द्राजात हैं, उसके आधार पर कहीं भी बैंक में जाकर, पंचायत समिति में जाकर या सरकार में जाकर अपना अकाउण्ट पेश करके काम चल जाएगा। उसको और कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टीफिकेट या नो ड्यूज सर्टीफिकेट लाने की जरूरत नहीं होगी। यही ऑथेंटिक डाकूमेंट होना चाहिए। इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स जारी करेंगे तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहनराज : एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा। देसूरी तहसील में कोट गांव है। मैं राजस्व मंत्री जी के ध्यान में यह चीज ला चुका था कि यह इमरजेंसी के लागू होने के बाद भी वन विभाग के तीन

(श्री मोहन राज)

कर्मचारियों ने वहां पर एक पशुपालक जो गांव के चरागाह के अन्दर मवेशी चरा रहा था उसको यह कह कर बेरहमी से पिटाई की कि तुम बकरियां चराते हो इसलिए हमारे खाने के लिए बकरा दो । क्योंकि यह बकरा लाग पहले थी जो कभी की यह बकरा लाग माफ हो चुकी है । जागीरदारों और राजा महाराजाओं के समय बकरा लाग वसूल किया करते थे । गांवों में यह अधिकारी अपने आपको उनसे कम नहीं समझते । उसकी बेरहमी से पिटाई की । वहां के सरपंच ने; गांव वालों ने तार दिए लेकिन कोई असर नहीं हुआ । सरपंच और गांव के मुखिया और मैं, कलेक्टर के पास गए कि मौके पर अफसर को भेज कर जांच करायें । मैं भी साथ गया था । उसकी कमर तोड़ दी गई और आज भी वह आदमी चार महीने के बाद भी चलने फिरने की हालत में नहीं है । इस तरह से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और फिर इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने यह आदेश दिया अधिकारी ने कि इनको तत्काल सस्पेंड किया जावे, वे कागजात बीच में ही कहां गुम हो गए । मैं आपके पास आया और आपसे निवेदन किया कि यह हालत है । उन्हीं तीन कर्मचारियों ने दो हरिजन महिलाएं जो कि सूखी लकड़ी जंगल से अपने सिर पर बेचने के लिए गांव में ला रही थी, वह बांधकर ला रही थी सूखी लकड़ी फाड़ करके और उसके साथ में सूखा घास का पूला था मवेशी को चराने के लिए, उसके अन्दर आग लगा दी और उनकी वह ओढ़नी थी ओढ़ने के लिए, वह जल गई । हम मौके पर गए तो उस समय उन औरतों ने रो-रो कर अपनी करुण कहानी हमें सुनाई कि हमारे साथ इन अधिकारियों ने क्या किया है । यह सारी रिपोर्ट अधिकारियों के पास भेजी गई । मैंने लिखित रूप में अपने दस्तखतों से एक शिकायत की । सी.सी.एफ. से सारी बात की और मेरे उस लिखित दरख्वास्त पर और दस्तखत की हुई शिकायत पर इंक्वायरी कौन करता है, वही मामूली वहां का रेंजर और डिप्टी रेंजर जो उन्हीं से मिला हुआ है । वह इंक्वायरी करता है और न जाने क्या रिपोर्ट देता है मुझे उसकी जानकारी नहीं । सरपंच से पूछा तो उसने भी कहा कि मुझे भी कोई जानकारी नहीं । मुझे कोई भी पूछने के लिए नहीं आया, हालात मालूम नहीं किए । फिर मैं पुलिस में गया और वहां कलेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पुलिस में पेश करवाई । पुलिस ने मौके पर जांच की और तीन गुनहगारों के खिलाफ चालान पेश हो गया । आपकी पुलिस की इंक्वायरी होती है, गुनाह लागू हो गया, आपका कलेक्टर इंक्वायरी करके गुनाह लागू कर देता है लेकिन वन विभाग के अधिकारी अभी तक भी उन्हें गुनाहगार नहीं मानते । वह अभी भी वहां बैठे हुए हैं । हुकूमत कर रहे हैं, फिर उनको कब सस्पेंड किया जावेगा । जब वन मंत्रीजी से निवेदन किया तो वे कहते हैं कि सिर्फ आपके कहने से सस्पेंड नहीं किया जा सकता है । मैं मानता हूं कि सही हकीकत है, मेरे कहने से सस्पेंड नहीं किया जा सकता । आपके ऊंचे से ऊंचे अधिकारी कभी यह कहेंगे नहीं कि वन विभाग के निम्न कर्मचारियों ने कोई गुनाह किया है । कलेक्टर कहता ही रहे, एस. डी. ओ. कहता रहे, पुलिस कहती रहे, मैं कहता रहूं

(श्री मोहन राज)

लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मैं सोचता हूं कि इन सारी बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे और वन मंत्रीजी न्याय करेंगे और जो इस तरीके से अराजक प्रवृत्तियों के कारण जो दूसरे लोगों पर इसका असर होता है और हम लोग जो काम करने वाले गांवों में फिरते हैं उनका असर किस तरह का हो सकता है इसका अनुमान मुझ से अधिक आप अधिक अच्छी तरह से लगा सकते हैं। मैं इस विषय में और अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझता।

एक चीज आदिवासियों के बारे में निवेदन करना चहता हूं। हमारे क्षेत्र में 17-18 पंचायतें ऐसी हैं जो इधर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो इलाका है उससे लगी हुई हैं और उधर आबू और पिंडवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र लगे हुए हैं। आप इन आदिवासियों की हालत को जानते हैं कि वहां कोई विशेष योजना बना करके काम शुरू नहीं किया जायगा उनका शोषण यों का यों ही कायम रहेगा। जमीन उनके पास काश्त की नहीं। वे भी जागीरदारों से चीजें लेकर गुजर करते थे। अब वहां पर ऐसे बड़े आदमी पहुंच गए। उन लोगों की बुरी हालत है। गुजर उनका हो नहीं सकता। इसलिए निवेदन करना है, जो ट्राइबल बोर्ड को बनाकर जो विकास योजना राजस्थान में बनाई जा रही है उसके अन्दर इस सारे बाकी क्षेत्र को सम्मिलित किया जावे और उसमें इन आदिवासी इलाकों को सम्मिलित किया जावे तभी जाकर इस आस पास के गांवों का, इस इलाके का कल्याण हो सकेगा वरना नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करते हुए मैं पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन चार रोज से राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर बहस चल रही है और विरोधी पक्ष की भी विशेष कर जनता पार्टी के अग्रणी नेताओं की, मार्क्सवादी पार्टी के विद्वान नेता की और अनेकों कांग्रेसजनों के प्रभावपूर्ण भाषण सुने।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे मार्क्सवादी पार्टी के लोग जो यह कहा करते थे कि कांग्रेस में टेलीस्कोप लगाकर या माईक्रोस्कोप लगा कर भी कोई प्रगतिशील आदमी दिखाई नहीं देता आप यह अहसास करते हैं कि कांग्रेस के प्रगतिशील लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी है और इस देश को ऊंचा उठाने के लिए, इस देश के इजारेदारों को तोड़ने के लिए, इस देश में जो 87 प्रतिशत धन जेबों में जमा हो गया था उसको छिन्न भिन्न करने के लिए काम किया है। उनके दृष्टिकोण में निश्चित रूप से परिवर्तन नजर आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग जो यह कहा करते थे कि इस देश ने कहीं कोई तरक्की नहीं की और आजादी के इस 25 वर्षों के बाद भी आज देश नंगा और भूखा है, उन लोगों की भी आवाज सुनने को मिली आज भी उनको देश के अन्दर कोई तरक्की नजर नहीं आती। यह देश जब

91

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आजाद हुआ तो इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी वहां आज देश के अन्दर एटोमिक विस्फोट हुए या ओटोमिक संक्टर से आज हमारा सेटेलाईट आर्य भट्ट इस विश्व का चक्कर लगा रहा है और हम गौरव कर रहे हैं। इस देश में जिनको तरक्की नजर नहीं आती वे यह जान लें कि आज सैन्य शक्ति के अन्दर सारे विश्व में भारत पांचवां स्थान रखता है। आज एस्ट्रो फिजिक्स में सारे विश्व में भारत का छठा स्थान है। आज अणु शक्ति के क्षेत्र के अन्दर सारे विश्व में भारत सातवां स्थान रखता है और आज भारत के टेक्निशियन, डाक्टर्स सारे विश्व के अन्दर चौथा स्थान रखते हैं। यह गौरव भारत को प्राप्त है। जिनको इस देश में तरक्की नजर नहीं आती और फिर उन लोगों को आज भी देश में कोई संकट नजर नहीं आता। जिनको देश के अन्दर कोई संकट नजर नहीं आता उनमें गोलवलकर के चेलों की बात तो समझ सकते हैं जो आज भी इस राज्य की ब्यूरोक्रेसी में, इस देश की ब्यूरोक्रेसी में, इस देश के व्यापारियों में इस देश के शासकों में, इस देश के सामन्तों में जड़ें जमाए हुए हैं और इस इमरजेंसी के बाद भी स्वच्छन्द फिर रहे हैं लेकिन इन आर.एस.एस. के लोगों को बात समझ में नहीं आती, सभापति महोदय (उपाध्यक्ष) जो नजरन्दाज करते हैं विश्व की बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो भूल गए हैं कि जब सन् 1923 में हिटलर ने मेनकाफ जर्मन की, बर्लिन जेल में लिखा था। उसके दो वर्ष बाद सन् 1925 में हैडगेवार ने आर. एस. एस. की नींव रखी थी और शायद इन तीस वर्षों के इतिहास को भी भूल गए हैं। शायद वे नहीं जानते हैं कि इस को फासिस्टवाद से बचाने के लिए पांच करोड़ लोग बलिदान हुए। सोवियत भूमि को फासिस्टवाद से बचाने के लिए दो करोड़ लोगों ने बलिदान दिया और केवल हिटलर के कंस्ट्रेशन कैम्प के अन्दर एक करोड़ बीस लाख लोग मारे गए। वे जानते हैं इस चीज को और हैडगेवार साहब जानते हैं कि सन् 25 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इस देश में नींव रखी गई और इस मसले को लेकर आये तब इसकी जड़ों को उन्होंने गहरा जमाया था.. मैंने इस सदन के बजट के सत्र में यह बताया था उपाध्यक्ष महोदय, और हमारा लज्जा से सिर झुक जाना चाहिये कि इस विधान सभा भवन के सामने ही आर. एस. एस. की शाखा लगती थी और इसी विधान सभा भवन से 200 गज की दूरी पर गोविन्द देवजी के मंदिर में आनंद मार्ग का बकायदा दफ्तर चलता था। आज उस दफ्तर के अन्दर खोपड़ियां मिली हैं, बाच्छे मिले हैं, भयंकर डाक्यूमेन्ट बरामद हुए हैं।

आज उपाध्यक्ष महोदय जो यह कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से उन्होंने आंखें मूंद ली हैं। वे देश के उत्तर की ओर देखना नहीं चाहते हैं, और न दक्षिण की ओर ही देखना चाहते हैं और क्यों नहीं देखना चाहते क्योंकि वे स्वयं इन सारी चीजों के कर्ता हैं, इन चीजों के अगुवा हैं और उन्हीं के द्वारा देश की स्वतन्त्रता खतरे में है, वे सरगना हैं और जयप्रकाशनारायण के पटना के अन्दर जलूस निकलते हुए उनके सिर पर चोट आ जाये तो देश के सारे पूंजीपतियों के अखबारों में मुख पृष्ठ पर समाचार छप जाता है और देश के दक्षिण में बारह हजार

Page No 92

(92)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाली तोपें फिट हो जाती हैं तो बिड़ला के ये अखबार अपना मुंह बंद कर लेते हैं और उनके अखबारों में समाचारों की सुर्खी नहीं छपती है। अमेरिका का सातवां बेड़ा हिन्द महासागर में आ जाता है, करांची के बन्दरगाह में मोस्ट मोडर्न लीडिंग आर्म्स फिट कर दिये गये तो इन अखबारों को कोई बात नजर नहीं आती है। पेशावर का अड्डा आटोमेटिक हथियारों से लैस हो जाता है और इनको नजर नहीं आता है, गिलगित के अड्डे पर 15 हजार किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली तोपें फिट हो जायें तो इनके समझ की बात नहीं। उत्तर की ओर चीन की 6 सेना हमारे देश के ऊपर खतरा पैदा कर दे तब भी यह बात इनके समझ में नहीं आती है। वे सब बातें समझते हैं और समझते हुए भी नहीं छापते हैं वे एजेन्ट हैं इन सारी शक्तियों के। आज देश के साम्राज्यवादी बौखलाए हुए हैं। जगह-जगह साम्राज्यवादियों के मुंह तोड़ दिये गए हैं। वे षड्यन्त्रकारी हैं। उन्होंने इस देश के अन्दर साम्राज्यवाद को जीवित रखने के लिए भयंकर से भयंकर षड्यन्त्र किया है। इस स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के लिए भगतसिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फन्दे पर शहीद हो गये। कामागाटामारू जहाज के बहादुर मल्लाहों ने अपनी छाती को छलनी बना दिया। मणिदत्त और जयदत्त कपूर बलिदान हो गये। इसके अलावा महात्मा गांधी की छाती में गोलियां उतार दी गयी वे इस प्रजातन्त्र, इस आजादी को कुचल देना चाहते हैं तो मार्क्सवादी बन्धुओं से कहना चाहता हूं, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि इस देश की रक्षा मात्र जिससे हो सकती है, और कांग्रेस ने इस बात को पूरी शक्ति से कहा है, कम्युनिस्टों से इस देश की रक्षा नहीं हो सकती है, कम्युनिस्ट सबसे बड़ा देश भक्त हो सकता है परन्तु इस देश के अन्दर इस देश से सच्चा प्यार इस देश के मजदूरों के अन्दर ही हो सकता है। वे अपना पसीना इस धरती पर डालने वाले हैं। सच्चा प्यार टाटा, बिड़ला के अन्दर नहीं हो सकता। 62 के अन्दर बिड़ला ने इस देश के डिफेन्स फण्ड में एक लाख रुपया दिया था और पाकिस्तान को 15 लाख डिफेन्स फंड में दिया था। तो उनके अन्दर इस देश से सच्चा प्यार नहीं हो सकता। वे तो इस देश को रात दिन बेचते हैं। क्या कमी रह गयी थी इस देश के प्रजातन्त्र को समाप्त करने के लिए? क्या ललितनारायण मिश्र की हत्या नहीं की गई? क्या चीफ जस्टिस पर बम नहीं फेंका गया? और क्या-क्या नहीं किया गया। और क्या कारण नहीं थे इमरजेन्सी की घोषणा करने के लिए? जनसंघ के दफ्तर से बीस हजार वर्दियां मिलीं कागज मिले, हैण्ड ग्रेनेड बरामद हुई, 40 सदस्यों के हस्ताक्षरों का कागज मिला, टेप रिकार्ड बरामद हुआ जिसके अन्दर सारी योजनाएं बनायी गयी थी जिस तरह से हिटलर ने बर्लिन के अन्दर किया था। उसी तरह से ये अल्पसंख्यक प्रति क्रियावादी लोग एकजुट होकर इस देश के जनतन्त्र को समाप्त करने का षड्यन्त्र कर रहे थे। तो क्या मार्क्सवादी बन्धुओं की आंखें बन्द हैं क्या वे इन तथ्यों को नहीं देखते हैं···

श्री मोहरसिंह: आराम से देखते हैं··

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहरसिंह : हम भी देश के लिए बलिदान हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, हमेशा लड़ते आये हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जब बोलते थे तो मैंने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी ताकि मेरे मुंह से शब्द न निकल जायं और एक दफा तो बाहर निकल गया था ताकि बोल न सकूं ।

आप अपनी छाती पर पत्थर रख कर सुनिये । चीन ने 62 के अन्दर इस देश के ऊपर हमला किया (विराम) 64 में····

श्री मोहरसिंह : उस वक्त मार्क्सवादी पार्टी नहीं बनी थी···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आप बिराजिए ।

श्री मोहरसिंह : इस तरह के शब्द बोलेंगे, मार्क्सवादी पार्टी पर आरोप लगायेंगे तो कैसे सुन सकता हूं···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 64 के अंदर इस प्रश्न के ऊपर कि चीन ने देश पर हमला किया है, आप हम से जुदा हो गये । 64 के अन्दर यह बात कही कि क्रांति बन्दूक की नली से निकलती है लेकिन सन् 67 के अन्दर आपने सारी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ सरकारें बना लीं··

श्री मोहरसिंह : हमने जनसंघ के साथ सरकार नहीं बनायी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देश के हजारों नवयुवकों को आपने कहा 'नो बैलेट बट बुलेट' और इसलिए आपने इन बहादुर नौजवानों को, जो कि इस देश की पूंजी थी, आपने नक्सलवाद के रास्ते पर डाल दिया । जो बात आपने इन नौजवानों को कही वह आप नहीं कर पाये···

श्री मोहरसिंह : हमने नक्सलवादी नहीं बनाये···(व्यवधान)····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्थिति यही है । सुनिये । आपको सुनने का हौसला होना चाहिये । आप बुजुर्ग आदमी हैं···

श्री मोहरसिंह : ये अनर्गल बातें हैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नेगी रेड्डी के ग्रुप पैदा हो गये । नौजवानों, जिनको आपने बुलेट की बात कही थी, का सपना टूट गया तो आपने कहा वे अमेरिका के एजेन्ट हैं और जब चीन ने, जिसके पद-चिन्हों पर आप 64 में चले थे, आपको ठोकर मार कर अलग कर दिया तो उसको भी आप सह नहीं सके क्यों कि उसकी नीति के अनुसार आप नहीं चले··

श्री मोहर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इन बातों का उत्तर देने का मौका मिलना चाहिये···

श्री उपाध्यक्ष : और भी दूसरे रास्ते हैं । संसदीय प्रणाली में हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जब संकट और भी गहन हो गया तो एमर्जेन्सी उस वक्त का एक मजबूत

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कदम था। कामनवेल्थ कान्फ्रेंस के लोग जब दिल्ली में आये उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया के लोग, समाजवादी दुनिया के लोग, जो आज दुनिया की दो अरब आबादी है, इंदिरा गांधी की मजबूती की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। देश के कोने कोने में जाकर उन्होंने देखा कि इस एमर्जेन्सी से देश आगे बढ़ा है, मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल के नेता ने एमर्जेन्सी के बाद की उपलब्धियों पर काफी प्रकाश डाला है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं करूंगा यदि एमर्जेन्सी के दुरुपयोग की कुछ बातें सदन में न रखूं। मेरी पार्टी का पक्ष अधूरा रहेगा यदि एमर्जेन्सी में किये जाने वाले बहुत से कार्य जो नहीं किये गये हैं उनको मैं सदन के अन्दर प्रस्तुत न करूं तो। मेरे दल के नेता ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि यह प्रोग्राम की एक सीढ़ी है और कम्युनिस्ट पार्टी केवल इस प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स के सिद्धान्त के अन्दर दृढ़ विश्वास करती है। मार्क्स ने कहा है कि मजदूर दुनियां को फासिस्टवाद से मुक्त करता है, इजारेदारी से मुक्त करता है, सामन्तवाद के अवशेष से मुक्त करता है, पूंजीवाद से मुक्त करता है, सम्प्रदायवाद से मुक्त करता है, इन सब बुराइयों से मुक्त करने के बाद सबसे आखिर में मुक्त होता है। माननीय सदस्य, जो इस भ्रम में हों कि मेरी पार्टी का यह विचार है कि यह अन्तिम प्रोग्राम है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जब तक इजारेदारी जीवित है तब तक कम्युनिस्ट पार्टी रुकने वाली नहीं है, जब तक पूंजीवाद है तब तक कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। मार्क्स ने जो क्रान्ति-दर्शन बताया है मेरी पार्टी उस पर दृढ़ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बात इन्दिराजी ने कामागाटा मारू नगर में कही है वह राजस्थान के अन्दर पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। आज भी दूसरे राज्यों के अन्दर प्रतिक्रियावादी ताकतों के बारे में कमजोर हैं, और मैं इस सदन के अन्दर चैलेंज करके कह सकता हूं कि चाहे राजस्थान युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर पांडे साहब हों, चाहे राजस्थान युनिवर्सिटी में उनके मुख्य आदमी एच.जे. पन्त साहब हों, चाहे लालबहादुर शास्त्री कालेज के चेयरमेन श्री तिवाड़ी जी हों, देवीशंकर जी तिवाड़ी हों, चाहे पारीख कालेज के नानाजी देशमुख के बाद दूसरे व्यक्ति हों और उनके डाइरेक्शन में चलने वाला मैनेजमेंट बोर्ड हो। आज जगह-जगह आर.एस.एस. के लोग, आनन्दमार्ग के लोग और एक्स्ट्रीम लेफ्ट के लोग बड़ी ताकत के साथ मौजूद हैं। आज मैं चैलेन्ज के साथ यह कह सकता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर, जी.सी. पांडे आनन्दमार्गी हैं, और यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पन्थ के सबसे अगुवा नेता सरकार का युनिवर्सिटी के प्रांगण के अन्दर स्वागत किया। यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी दल के नेता, आनन्द मार्ग के नेता के संबंध में वह शब्द लिखे हैं जो उनकी अटूट प्रशंसा के शब्द हैं जो देश के उच्चतम नेता के रूप में उनको साबित करते हैं। मैं मुंह जबानी बात नहीं करता हूं। पांडे साहब का उनके बारे में आर्टीकल है। उनके शब्द मैं पढ़ूंगा।

'Shri Shri Anand Murtiji combines in himself this rare synthesis

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

of the past and the present, the Indian and the Universal, spiritual and the secular. Anandmarg thus ramifies in a number of branches and covers human life and activity in a comprehensive manner . . .'

आपको (श्री मोहरसिंह) अंग्रेजी में समझ में नहीं आयेगा इसलिए हिन्दी में ही बोलूं। विश्व की अभूतपूर्व मूर्ति हैं यह कथन है जी.सी.पाण्डे साहब का। यह वही आनन्द मूर्तिजी है जिन्होंने ललितनारायण मिश्र की हत्या करवाई, जिन्होंने इन्दिराजी को मारने का षड्यन्त्र किया बिहार के अन्दर बैठकर, जिन्होंने हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर बम का गोला फिंकवाया, और जिन्होंने सारे देश के अन्दर हिंसा का वातावरण बनाया वह केवल भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की महान् हैसियत हैं। इतना ही नहीं आज भी पांडे साहब अपनी आमदनी का ढाई पर्सेन्ट आनन्द मार्ग के अन्दर देते हैं। आज भी जेल के अन्दर बन्द केशवानन्द जो हैं उनके सम्बन्धी जो सम्पूर्णानन्दजी हैं वह जब जी चाहे पाण्डे साहब के घर पर तशरीफ लाते हैं, और मैं चैलेन्ज से कह सकता हूं मेरा पूरा विश्वास है कि जेल के अन्दर जो आनन्दमार्गी रहते हैं युनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस से बने हुए पकवान आज भी जयपुर की जेल में उनको प्राप्त होते हैं। और, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इन लोगों ने एक ऐसा गैंग बनाया है प्रोफेसर्स का इन पाण्डे साहब ने जो कि या तो माओइस्ट हैं या जे.पी. समर्थक हैं। वह दिन दूर नहीं है जब कि इस युनिवर्सिटी के प्रांगण के अन्दर जे. पी. की सम्पूर्ण क्रांति का ओपनिंग इन्हीं पाण्डे साहब ने किया था जब कि युनिवर्सिटी में उनको ले जा कर विद्यार्थियों का आह्वान किया था कि आप सम्पूर्ण क्रांति के पथ पर चलें। जिसका आह्वान देश के महान् नेता जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं। आज भी यह शब्द मिटे नहीं हैं, इनकी कानों में गुन्जन अब तक चल रही है। इसका उदाहरण उनके गैंग के जितने प्रोफेसर हैं, चाहे वह श्री एन. सी. गौतम हों, चाहे वह एम. एल. अग्रवाल हों, चाहे डाक्टर एस. एम. दुबे हों जो कि प्रसिद्ध आनन्दमार्गी हैं, चाहे गुप्ता हों, चाहे राजेन्द्र शर्मा हों, चाहे सुरेन्द्र उपाध्याय हों, चाहे बसन्तसिंह हों जो कि आर.एस.एस. के माने हुए लोग हैं चाहे एच. जी.पन्त हों, चाहे छोटेलाल हों, चाहे वह आग्नेय हों, यह लोग मौजूद हैं।

मैं पन्त साहब का एक आर्टीकल इस सदन के अन्दर लाया हूं जो कि पौलिटिकल साइन्स रिव्यू के वाल्यूम नं. 1, दिसम्बर, 1975 के इश्यू में उन्होंने निकाला है। मेरे पास समय का अभाव है। मैं इसमें से बहुत से पोर्शन पढ़ने की आवश्यकता समझता था, लेकिन एक पोर्शन जिससे पंत साहब बेनकाब हो जाते हैं इस सदन के अन्दर अवश्य पढ़ूंगा जो कि पेज 47 पर छपा है। पंत साहब जिसमें अपना नकाब उतार देते हैं वह क्या है–

"The CPM is now finding itself on the horns of dilemma resulting by joining the rost of the reactionary parties in the Government in suppressing the Nexalbari up-rising. Thus a third Communist party, CPI (ML) was born more loyal to

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
Lin Piao. This is then Lin Piao would himself prove. It appears to Indira Government and her loyal opposition parties that in Nexalbari revolution that began spreading soon. They dreaded spil over of Chinese cultural Revolution had already arrived."

इन्दिरा गांधी और नक्सलबाड़ी के लोगों ने यह देखा कि कलचरल रिवोल्यूशन माओ साहब ने किया था वह देश के अन्दर होने वाला है। माओ का मोटो उल्टा लटका हुआ है तो हाथ तोड़ दिया जाय। बाकी के पोर्शन मैं पढ़ूं तो और भी ज्यादा समय लगेगा।

इस प्रकार मैं आपको अब उन महा पुरुष की ओर ले जाना चाहता हूं जो आज अपना रोल अदा कर रहे हैं वैसे तो मेरे पास बहुत से डाक्यूमेंट्स हैं। शिक्षक संघ का सम्मेलन हुआ है बिहार के अन्दर जिसमें इन्होंने प्लान बनाया है जिसमें उदयपुर के भी कुछ प्रोफेसर्स शामिल हैं, जोधपुर के प्रोफेसर्स शामिल हैं। वह डाक्यूमेन्ट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन समयाभाव के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। यह डाक्यूमेंट्स काफी उपयोगी हो सकते हैं जिनमें उनका स्पष्ट रूप उभर कर सामने आता है। जो टीचर्स की कान्फ्रेन्स बिहार में हुई थी उसमें जोधपुर कालेज, उदयपुर कालेज, और जयपुर कालेज के प्रोफेसर्स का हवाला दिया हुआ है और इनको वहां की संघर्ष कमेटी की एक्जीक्यूटिव के अन्दर बाकायदा नामजद किया गया था....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 12 जनवरी, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5 बजे सोमवार, दिनांक 12 जनवरी, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

Page No 97

(97)

परिशिष्ट

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

निर्धन वर्ग को निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु सप्लाई की योजना

55. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या राज्य में निर्धन वर्ग को निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु सप्लाई के लिये केन्द्रीय सरकार ने किसी प्रकार की योजना राज्य सरकार को भेजी है ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार किस प्रकार कर रही है ?

(3) यदि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है तो क्या राज्य सरकार के पास अपनी कोई योजना क्रियान्विति के लिए विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) राज्य में निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से ये निर्देश प्राप्त हुये हैं कि आवश्यक वस्तु सुलभ करवाने के लिये सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को प्राथमिकता दी जाय।

(2) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में सहकारी विभाग द्वारा जयपुर एवं अजमेर शहरों में उपभोक्ता होलसेल भण्डार स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है तथा राज्य में चल रही उचित मूल्य की दुकानों में भी 50% दुकानें सहकारी संस्थाओं को देने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

(3) राज्य भर में फैली हुई जन वितरण प्रणाली द्वारा राज्य की जनता को खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, कोयला और कपड़ा निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु जन सहयोग के लिये, मोहल्ला सतर्कता समिति, महिला समिति एवं विभिन्न स्तर पर सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं। वितरण के कार्य में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य सरकार ने राजस्थान आवश्यक वस्तु मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शन आदेश दिनांक 19-11-75 को डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इण्डिया रूल्स, 1971 के अन्तर्गत जारी किया है जिसमें अब 15 आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर 30 आवश्यक वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुयें आसानी से एवं उचित मूल्य पर मिल सकें।

इसी प्रकार राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) आदेश भी डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इण्डिया रूल्स 1971 के अन्तर्गत दिनांक 19-11-75 को जारी किया है जिससे कि उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर तुरन्त एवं सख्ती से कार्यवाही की जा सके।

(98)

तहसील खानपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत खोलने की मांग

56. श्री गौरीशंकर (खानपुर) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खानपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत खोलने का राज्य सरकार से 3 वर्ष से निवेदन किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अकलेरा के मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में 25 प्रतिशत मुकदमात अकलेरा के हैं और 75 प्रतिशत मुकदमात खानपुर तहसील के होते हैं ? यदि हां, तो फिर खानपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत क्यों नहीं खोली जाती ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तहसील वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बाड़मेर जिले में अतिवृष्टि से सड़कों को क्षति

57. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में इस वर्ष अतिवृष्टि और लूनी नदी की बाढ़ से किन किन सड़कों को क्षति पहुंची ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अतिवृष्टि और बाढ़ से जो सड़कों की क्षति हुई उससे राज्य की कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

(3) उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधारने के लिए सहायता विभाग ने कितनी कितनी राशि का प्रावधान किया और कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) बाड़मेर जिले की सड़कों को अतिवृष्टि एवं बाढ़ से अनुमानत: 25.42 लाख रुपये की क्षति आंकी गई है।

(3) क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरन्त मरम्मत हेतु रिपेयर्स ग्रान्ट से मरम्मत की जा रही है। विशेष मरम्मत का कार्य धन-राशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा।

बाड़मेर जिले में इस वर्ष अतिवृष्टि और लूनी नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची।

1–बाड़मेर सिन्दरी जालोर सड़क
2–बाड़मेर बायतू बागुन्डी सड़क
3–सिंदरी गूड़ा सड़क
4–चौहटन आसासर सड़क
5–चौहटन स्वरूप का तला सड़क
6–जोधपुर बाड़मेर सड़क (सिंदरी तक)
  अ–जोधपुर बालोतरा सेक्शन
  ब–बालोतरा सिंदरी सेक्शन
7–पचपदरा रेलवे स्टेशन से पचपदरा साल्ट
8–बालोतरा मेवनगर सड़क
9–बालोतरा सिवाना जालोर सड़क।

चूरू जिले में अधिक लगान की वसूली

58. श्री मोहरसिंह (भादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही नहीं है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया ने गंगानहर आन्दोलन की सफलता पर विधान सभा में बारानी इलाके का तत्कालीन बन्दोबस्त के परिणाम स्वरूप सवाये से ज्यादा लगान नहीं होगा यह घोषणा की थी ?

(ख) अगर हां, तो क्या कारण है कि बन्दोबस्ती कागजात में दुरुस्ती न करके जिला चूरू को राजगढ़ व चूरू आदि कितनी ही तहसीलों में सवाये से ज्यादा लगान वसूल किया जा रहा है ?

(ग) इस सिलसिले में क्या अब सरकार इस वसूली को रोकने का तथा अधिक वसूल लगान को लौटाने का या अगली साल के लगान में जोड़ने का आदेश दे रही है ?

(घ) अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) दिनांक 25-3-70 को इस आशय की घोषणा की गई थी। यह घोषणा गंगनहर एवं भाखरा नहर के क्षेत्रों की लगान की दरों के बाबत की गई थी। परन्तु राज्य सरकार ने आदेश दि. 15-5-70 के द्वारा इसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी लागू कर दिया था।

(ख) यह सही नहीं है। इस घोषणा के दायरे में लगान की वे दरें आती हैं जो इसके पूर्व की एक वर्ष की अवधि में अथवा इसके बाद लागू की गई। राजगढ़ तहसील की लगान की दरें पूर्व में ही लागू की जा चुकी थीं। तहसील चूरू के अतिरिक्त अन्य तहसीलों की लगान की दरें भी पूर्व से ही लागू हैं। तहसील चूरू में जो दरें लागू की गई वे पिछली लगान की दरों से लगभग 25 प्रतिशत के करीब ही ज्यादा है। दरों को थोड़ा बहुत कमी बेसी करके मैट्रिक प्रणाली के कारण गोलांक किया गया है जिससे दरों में हुई वृद्धि कुछ मामलों में पच्चीस प्रतिशत से थोड़ी बहुत भिन्न है।

(ग) फिलहाल वसूली को रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। ये चूरू तहसील के लिए हैं।

(घ) मामला विचाराधीन है।

जालौर जिले में डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत कार्य

59. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भू-संरक्षण कार्य के लिए जिला जालौर में डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के तहत एक विशेष प्रोजेक्ट खोला गया है ? अगर हां, तो कब ? यह प्रोजेक्ट क्या है एवं इसका क्या कार्य होगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त प्रोजेक्ट के तहत अब तक बहुत कम कार्य हो पाया है ? अगर हां, तो क्यों ? कार्य की प्रगति में क्या क्या कठिनाइयां हैं एवं उनको कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

Page No 100

(100)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) पंचायत समितिवार अब तक उक्त प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या कार्य किये गए हैं ? भविष्य में कब तक क्या क्या कार्य करा दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत जनवरी, 1975 से यह प्रोजेक्ट सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला जालौर में अकाल के समय तकनीकी दृष्टि से भू-संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्यों के जल छाजनों के आधार पर पूर्व में योजना व नक्शे आदि बनाने का है। इसके लिये विस्तृत सर्वेक्षण, किया जाकर कार्यों के तखमीने आदि बनाये जाते हैं। इस परियोजना से वैज्ञानिक आधार पर भू-उपयुक्तता के अनुसार भूमि उपयोग करना सम्भव हो सकेगा एवं जो अकाल राहत कार्य किये जायेंगे वे व्यवस्थित व लाभदायक होंगे।

(2) जी हां। मानसून लम्बे समय तक रहने से कार्य की प्रगति धीमी रही। इस काल में जल छाजनों का चयन किया गया व परियोजना को व्यवस्थित किया गया। कुछ पद रिक्त व इस प्रकार के कार्य के लिये पूर्ण अनुभवी कर्मचारियों के अभाव के कारण भी प्रगति धीमी रही। रिक्त पदों को भरे जाने की व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) पंचायत समितिवार सूचना उपलब्ध नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जालौर जिले में 1.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल का भू-संरक्षण कार्य का लक्ष्य निर्धारित है।

सुमेर हायर सेकेण्डरी स्कूल जोधपुर को अनुदान

60. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या प.सं. 29(44) शिक्षा—5173 दिनांक 29-6-73 द्वारा सुमेर हायर सेकेण्डरी स्कूल, जोधपुर को 50,000/-रुपये का तदर्थ अनुदान दो किश्तों यानी मार्च, 1974 में 25,000/-रुपये एवं मार्च, 1975 में 25,000/-रुपये देने का निर्णय किया था ?

(2) उपरोक्त निर्णय को लागू करने के लिए अब तक कितनी कितनी धनराशि उपरोक्त स्कूल को कब-कब भुगतान की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्कूल को मार्च सन् 74 में 5,000—तथा मार्च, 1975 में 5,000/-रु. दिये गये।

ग्राम सेसम (दांतारामगढ़) में मंदिर श्री ठाकुर जी की काश्त की जमीन

61. श्री गोरधन सिंह (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री ठाकुरजी विराजमान ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर दिनांक 1-7-63

(श्री गोरधन सिंह)
को पुनः ग्रहण हुआ था और उस समय मन्दिर के खाते व काश्त में ख. नं. 224 की 43॥) बीघा भूमि राजकीय भू-अभिलेख में दर्ज थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खाता कुछ व्यक्तियों ने अपने नाम हस्तांतरण करवा लिया है जो विधि सम्मत है ? अगर हां, तो क्या उसे निरस्त किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त खातों में दर्ज कृषि भूमि का हस्तान्तरण हुआ है जो गैर कानूनी है। अग्रिम कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश जिलाधीश द्वारा दिये जा चुके हैं।

राज्य में शिक्षा की नई योजना

62. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रस्तावित शिक्षा नीति 10+2+3 राज्य सरकार राज्य में किस सत्र से क्रियान्वित कर रही है ?

(2) क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें तैयार कर प्रकाशित कर चुका है ?

(3) क्या राज्य में इस शिक्षा नीति के लिए आवश्यक अध्यापक उपलब्ध हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार ने यह सर्वे कर लिया है कि कितने माध्यमिक स्कूल 10 की योजना में और कितने माध्यमिक स्कूल 10+2 की योजना में आयेंगे ?

(5) क्या राज्य सरकार ने यह सर्वे कर लिया है कि कितने उच्च माध्यमिक विद्यालयों को केवल माध्यमिक (10) में रिड्यूज कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) इसके लिए विद्यालयों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

(4) इसका सर्वे अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं।

जयपुर जिले में सीलिंग कानून के तहत जमीन

63. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

जयपुर जिले में सीलिंग कानून के तहत कितनी जमीन सरकारी कब्जे में आवेगी तथा उसका वितरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

सीलिंग कानून के तहत कितनी जमीन आवेगी इसका सही अनुमान नहीं लगाया

(राजस्व मंत्री)

जा सकता। अब तक 35,755 एकड़ भूमि को अधिग्रहण किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। जिस भूमि के सम्बन्ध में अपील न्यायालयों से स्थगन आदेश आदि नहीं हैं एवं जो परिणाम स्वरूप अधिग्रहण करली जावेगी उसे जून, 1976 तक आवंटित कर दिया जावेगा।

सिंघवी व राजीव स्टील वर्क्स को स्टील व चादर का कोटा

64. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:–

(1) क्या प्रेमसिंह सिंघवी एवं राजीव स्टील वर्क्स नाम की कोई फर्म कोटा में रजिस्टर्ड की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त फर्म को कब-कब कितना-कितना स्टील व चादर का कोटा दिया गया? तथा इस फर्म ने इस माल का क्या किया?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्टील व चादर का कोटा विभाग द्वारा नहीं दिया गया है।

सीनियर शिक्षकों का रिवर्शन

65. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1969 में कुछ सीनियर शिक्षकों को रिवर्ट किया गया था उनमें से पांच माह बाद कुछ अध्यापकों को फिर अप्रेल, 1970 में पदोन्नत कर दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि इस रिवर्शन से इन अध्यापकों को आर्थिक क्षति हुई?

(3) क्या यह सही है कि एक अध्यापक ने हाईकोर्ट में रिट दायर करके स्टे प्राप्त कर लिया और उनकी कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने श्री त्रिभुवन चन्द्र जोशी अध्यापक की प्रार्थना पर ता. 16–8–74 व ता. 8–10–74 को यह आज्ञायें प्रसारित कीं, कि हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त करने से कनिष्ठ अध्यापक को जो सुविधा मिली है वह श्री त्रिभुवनचन्द्र जोशी को भी दी जावे? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। परन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आदेशों के पूर्व ही श्री भूरे खां की याचिका कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है तो इस पर श्री जोशी को कोई लाभ दिया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया?

103

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी, 1976)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
52	नीचे से 7	अपर	ऊपर
65	ऊपर से 4	किलेक्टर	कलेक्टर
67	नीचे से 14	फेदफुल	फेथफुल
99	ऊपर से 15	अवसर	अफसर
113	ऊपर से 6	माफी	माफ
114	नीचे से 8	इन्सपेक्टर	इन्सपेक्टर था
115	ऊपर से 2	अलग	--
116	नीचे से 6	गुलाम	गुलाम
118	ऊपर से 2	एहलानिया	एलानिया
119	ऊपर से 5	बिट्रिश	ब्रिटिश
119	ऊपर से 9	भाग	भाग है
119	नीचे से 7	स्टेड	वेस्टेड
125	ऊपर से 5	एक्विटिविटीज	एक्टिविटीज
126	नीचे से 8	इन्टेडनस	इनडेटडनेस
128	ऊपर से 5-11	वावसटोमी	वासक्टोमी
130	ऊपर से 13	आर्डीनर	आर्डीनरी
144	ऊपर से 14	स्वालम्बी	स्वावलम्बी
156	नीचे से 7	इनेमरजेन्सी	ने इमरजेन्सी
159	नीचे से 6	सेबांटिग	सेबोटेजिंग
179	ऊपर से 15	टिस्ट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट